अंक ; 1

राजभाषा भारती

अप्रैल, 1978

प्रवेशांक

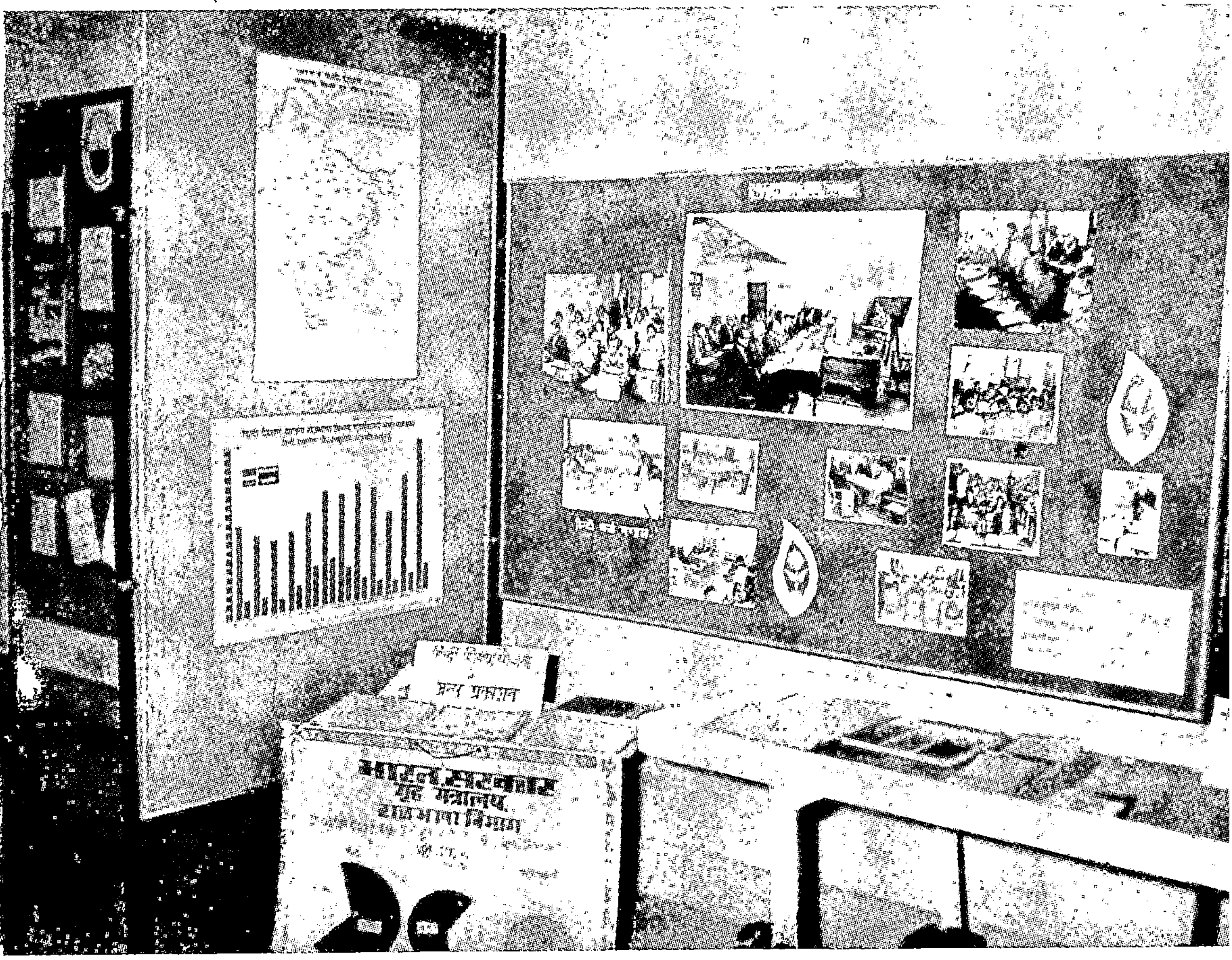

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री

संदेश

आजादी हासिल करने के बाद दर-असल हमारे देश का तमाम कारोबार देश की भाषा में होना चाहिए था। लेकिन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में शरीक होने के संक्रमण काल में ग्रंथों का भाषांतर करने में देर हुई। परन्तु जब लोगों की अपेक्षा है कि उनके नाम से उनके प्रतिनिधि कैसा कामकाज कर रहे हैं उसकी जानकारी जनता को हो इसलिए हमारी राज्य सरकारें अपना बहुत सारा कामकाज भारतीय भाषाओं के माध्यम से करने लगी हैं। केन्द्रीय सरकार के कामकाज में हिन्दी का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, फिर भी लोगों में हिन्दी के प्रति ऐसी रुचि पैदा करनी चाहिए जिससे इस भाषा को वे स्वेच्छा से स्वीकार कर सकें।

मुझे खुशी है कि राजभाषा विभाग ने "राजभाषा भारती" नाम से एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करने का फैसला किया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि भाषा ऐसी सरल हो जिसे आम जनता को समझने में कोई दिक्कत न पड़े। इसकी सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएँ भेजता हूँ।

मोरारजी देसाई

नई दिल्ली,
5 अप्रैल, 1978

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि केन्द्र सरकार के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, उनकी जानकारी जन-जन तक पहुँचाने के लिए राजभाषा विभाग की ओर से एक पत्रिका के प्रकाशन की व्यवस्था की गई है । इस पत्रिका के अभ्युदय से केन्द्र सरकार द्वारा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में सही चित्र लोगों के सामने उपस्थित हो सकेगा । साथ ही सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। हिन्दी को उसका उचित स्थान दिखाने की दिशा में यह पत्रिका एक मुख्य भूमिका निभा सकेगी, ऐसी मेरी आशा है । पत्रिका की सफलता के लिए कृपया मेरी हार्दिक शुभ कामनाएँ स्वीकार करें ।

लाल कृष्ण आडवाणी
सूचना और प्रसारण मंत्री

□

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि राजभाषा विभाग की ओर से संघ के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में किए जा रहे प्रयत्नों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए एक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है ।

हिन्दी को इस देश की राजभाषा इसलिए नहीं बनाया गया कि वह अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में श्रेष्ठ है । उसे इसलिए यह पद दिया गया है कि हिन्दी देश में व्यापक रूप से बोली व समझी जाती है । हिन्दी में राजकाज चलाना जरूरी है ताकि आम लोगों को यह मालूम हो सके कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है और वे कैसे राजकाज में हिस्सा ले सकते हैं । यह हम सबका कर्त्तव्य है कि सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें ताकि सरकार और जनता के बीच फासला न रहे, पर साथ ही यह भी आवश्यक है कि हिन्दी को सरल, सुगम व सुबोध रखा जाए और सबको प्रेम पूर्वक समझा बुझाकर उसे आगे बढ़ाया जाए । सबके सहयोग से ही हिन्दी आगे बढ़ेगी।

मैं आपकी पत्रिका की सफलता की कामना करता हूँ ।

हेमवती नंदन बहुगुणा
पैट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री

□

भारत की संविधान सभा ने विचारपूर्वक और एकमत से यह निश्चय किया था कि भारत की राजभाषा हिन्दी होगी । संविधान में हिन्दी को उसके योग्य आसन पर प्रतिष्ठित करने के लिए एक चरणबद्ध योजना बनाई गई थी । इस बात के लिए 15 वर्ष का समय तय था किन्तु संविधान के उपबंधों का आदरपूर्वक पालन नहीं किया गया या यों कहें कि उनका अनुपालन नहीं किया गया । फलतः आज भी हिन्दी को वह स्थान प्राप्त नहीं है और अभी भी अंग्रेजी भारतीय भाषाओं का स्थान घेरे बैठी है ।

वास्तविक प्रजातंत्र तो तभी आएगा जब जनता और शासन के बीच भाषा की दीवारें नहीं होंगी । राज्यों का काम उनकी राजभाषा में होना चाहिए और केन्द्रीय सरकार का काम हिन्दी में ।

अभी हमने केन्द्र के लिए द्विभाषिकता की नीति अपना रखी है । राज्यों को चाहिए कि अपना काम अपनी राजभाषा में करें । किसी एक क्षेत्र में भाषा को एकाएक लाना संभव नहीं होगा । सरकारी कामकाज के क्षेत्र में, न्याय प्रशासन के क्षेत्र में और सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा में, सभी जगह भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में अपनाना होगा । इसके लिए बहुत सी तैयारियाँ आवश्यक हैं। पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कार्य हो चुका है । अब आवश्यकता है कि उस शब्दावली का प्रयोग करते हुए विभिन्न विषयों का साहित्य सृजन किया जाए । विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई में उनका उपयोग किया जाए । और इस प्रकार भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षित पीढ़ी के लिए सरकारी नौकरियों और अन्य नौकरियों के लिए दरवाजे खुलें । यही प्रणाली न्याय प्रशासन के क्षेत्र में भी होनी चाहिए । जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना चाहिए । न्यायालय और अधिवक्ता अपना काम जनता की भाषा में करें ।

आपकी पत्रिका के प्रथम अंक के प्रकाशन के लिए अपनी शुभकामनाएँ भेजते हुए मैं आशा करता हूँ कि आपकी पत्रिका भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ।

शान्ति भूषण
विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री

□

यह हर्ष की बात है कि राजभाषा विभाग संघ के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के संबध में किए जा रहे सतत प्रयत्नों के प्रचार-प्रसार हेतु पत्रिका प्रकाशित कर रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके इस प्रयत्न से लोगों में हिन्दी को सरकारी कामकाज में अधिकतम प्रयोग करने की प्रेरणा उत्प्रेरित होगी । मेरी कामना है कि आपको इस शुभ कार्य में सफलता मिले ।

प्रताप चंद्र 'चंद्र'
शिक्षा मंत्री

प्रसन्नता की बात है कि हिन्दी का प्रचार-प्रसार बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से एक पत्रिका के प्रकाशन का आयोजन किया गया है ।

हिन्दी को राजकाज में सम्पर्क भाषा के रूप में व्यवहार में लाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था बहुत पहले से की जा चुकी है लेकिन इसके रास्ते में बड़ी अड़चनें हैं । सरकारी कामकाज की मौजूदा व्यवस्था, जो विदेशी शासनकाल से चली आ रही है, अंग्रेजी भाषा में काम करने की अभ्यस्त है और हिन्दी में काम करने की उसकी झिझक अभी भी दूर नहीं हो पाई है । हिन्दी में जो कर्मचारी या अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, उनका भी हिन्दी में काम करने का संकोच बना हुआ है । इस संकोच को कार्यशालाएँ चलाकर या अन्य उपायों से दूर करने की कोशिश की जा रही है और हिन्दी का काम भी बढ़ रहा है, फिर भी हम संवैधानिक दायित्वों को पूरी तौर पर निभाने के लक्ष्य से अभी काफी दूर हैं ।

रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है और अपने कामकाज के दौरान इसका सबसे अधिक सम्पर्क जनता के साथ होता है । रेलों पर, खासकर हिन्दी क्षेत्रों में चलने वाली रेलों पर और उनके कार्यालयों में बराबर यह कोशिश रही है कि वहां अधिकाधिक काम हिन्दी में किया जाए । इसी विचार से समूची पूर्वोत्तर रेल और अन्य रेलों के हिन्दी भाषी कई मंडल कार्यालयों को राजभाषा नियम, 1976 के अन्तर्गत हिन्दी में काम करने के लिए अधिसूचित कर दिया गया है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपना शतप्रतिशत काम हिन्दी में ही करें । फिर भी हिन्दी में कर्मचारियों के प्रशिक्षण और हिन्दी में काम करने की प्रवीणता प्राप्त व्यक्तियों तथा अपेक्षित संख्या में हिन्दी के काम के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता जैसी कठिनाइयाँ हैं और हम इनके निराकरण की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें इस कोशिश में सफलता भी मिली है। आज पूर्वोत्तर रेल, मध्य रेल, पश्चिम रेल और उत्तर रेल पर क्रमशः 90 प्रतिशत, 72.3 प्रतिशत, 65.1 प्रतिशत और 71.4 प्रतिशत कामकाज में हिन्दी का प्रयोग हो रहा है ।

राजभाषा विभाग द्वारा पत्रिका के प्रकाशन का प्रयास सर्वथा सराहनीय है क्योंकि इससे कर्मचारियों एवं अधिकारियों को नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करने में सहायता मिलेगी । मैं आशा करता हूँ कि इस दृष्टि से यह पत्रिका उपयोगी सिद्ध होगी और हिन्दी के काम को समुचित गति प्रदान करने में सहायक होगी । इसकी सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएँ स्वीकार करें ।

मधु दंडवते
रेल मंत्री

□

हिन्दी इस देश की राजभाषा है इसलिए सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शासन द्वारा इस दृष्टि से कार्य हो रहा है, यह प्रसन्नता की बात है। इसकी जानकारी लोगों को देने के लिए राजभाषा विभाग ने एक पत्रिका प्रकाशित करने का निर्णय लिया है, वह सराहनीय है।

मेरी शुभकामनाएँ।

मोहन धारिया
वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री

□

मुझे हर्ष है कि राजभाषा विभाग संघ सरकार के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में किए जा रहे प्रयत्नों के व्यापक प्रचार-प्रसार के बारे में एक पत्रिका प्रकाशित कर रहा है। मुझे आशा है कि इस पत्रिका के प्रकाशन से इस संबंध में जन-साधारण को पूरी जानकारी मिल सकेगी और सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

पत्रिका की सफलता के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

एच० एम० पटेल
वित्त मंत्री

□

संविधान बनाने वालों ने हिन्दी को संघ की राजभाषा बनाने का निर्णय बहुत सूझ-बूझ कर किया था। कोई भी स्वाभिमानी तथा स्वतंत्र देश यह नहीं चाहेगा कि उसकी सरकार के कामकाज के लिए किसी विदेशी भाषा का प्रयोग किया जाए। स्वाधीनता प्राप्त करने के 30 वर्ष बाद भी विदेशी भाषा को राजभाषा के रूप में जारी रखना हमारे लिए निःसंदेह गौरव की बात नहीं है। अतः सरकार संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग करने के लक्ष्य की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हम सब को इस लक्ष्य की प्राप्ति में पूरा सहयोग देना चाहिए।

मुझे प्रसन्नता है कि गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग हिन्दी को उचित स्थान दिलाने के लिए एक पत्रिका निकाल रहा है। पत्रिका के प्रथम अंक के प्रकाशन के शुभ अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएँ भेजता हूँ।

बीजू पटनायक
इस्पात और खान मंत्री

राजभाषा का प्रश्न मात्र राष्ट्र की प्रतिष्ठा का ही नहीं बल्कि इस प्रश्न से भी जुड़ा है कि हम अपने जन-प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग करते हैं। हिन्दी आज केन्द्र सरकार की राजभाषा है किन्तु सम्पर्क भाषा के रूप में यह हमारे देश में चिरकाल से प्रतिष्ठित रही है। देश की स्वाधीनता के बाद विदेशी भाषा में प्रशासन के कामकाज अनंतकाल तक चलते रह यह किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह परमावश्यक है कि हम अपनी प्रशासन व्यवस्था में अपने देश की भाषा का प्रयोग करें और इसी उद्देश्य से हमारे देश की संविधान सभा ने यह तय किया था कि भारत की राजभाषा हिन्दी होगी।

देश की आत्मा की अभिव्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से ही संभव है और मेरा विश्वास है कि हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाएँ सभी क्षेत्रों में अपना समुचित स्थान शीघ ही प्राप्त करेंगी क्योंकि विदेशी भाषा का बोझ देश बहुत दिनों तक वहन नहीं कर सकता।

यह प्रसन्नता की बात है कि राजभाषा विभाग इस विषय से संबंधित एक पत्रिका प्रकाशित करने जा रहा है जिसमें भारत सरकार द्वारा हिन्दी के प्रयोग से संबंधित विषयों पर विचार तथा उपयोगी रचनाएँ प्रकाशित होंगी।

पत्रिका की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

अटल बिहारी वाजपेयी
विदेश मंत्री

□

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि राजभाषा विभाग केन्द्रीय सरकार के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में किए जा रहे प्रयत्नों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए एक पत्रिका प्रकाशित करने जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है इस पत्रिका के प्रकाशन से सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा और यह पत्रिका सरकारी कर्मचारियों को उपयोगी मार्गदर्शन देगी।

मैं इस पत्रिका की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं।

रवीन्द्र वर्मा
संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री

□

प्रजातांत्रिक देश का राजकाज उसकी अपनी भाषा में हो यह अभीष्ट है। इस दृष्टि से भारत की समस्त भाषाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। भारत जैसे बहुभाषा-भाषी देश में हमें विशेष परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हमारे राष्ट्र में अनेक भाषाएँ हैं उनका अपना विस्तृत कार्य क्षेत्र है और समृद्ध साहित्य भी। आवश्यकता है इन भाषाओं को एक सूत्र में बाँधने की। यह दायित्व किसी एक भारतीय भाषा को ही सौंपा जा सकता है। ज्यादा लोगों द्वारा समझी व बोली जाने वाली भाषा होने के कारण हिन्दी को यह दायित्व सौंपा गया है। केन्द्र में राजकाज की भाषा के रूप में हिन्दी की स्थापना जितनी जल्दी होगी, उतनी जल्दी राज्यों की भाषाएँ अपना स्थान पाएँगी।

केन्द्र सरकार की इस भाषा नीति और इस दिशा में किए जा रहे कामों का प्रचार करने में केन्द्रीय राजभाषा विभाग की पत्रिका उपयोगी सिद्ध हो, यही कामना है।

बृजलाल वर्मा
संचार मंत्री

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग का हिन्दी त्रैमासिक

वर्ष–1 प्रवेशांक अप्रैल, 1978

संपादक

राजमणि तिवारी

उप संपादक

हरिहर प्रसाद द्विवेदी

☐

पत्र-व्यवहार का पता :

संपादक, "राजभाषा भारती"
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
23-24 बाबा खड़कसिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110001

☐

फोन नं० 382522, 384144

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अपनी बात	8
अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई का उद्घाटन भाषण	9
अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह का अध्यक्षीय भाषण	11
राजभाषा हिन्दी और प्रादेशिक भाषाएँ	15
संघ की राजभाषा नीति	17
अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन––विचार और सिफारिशें	23
केन्द्रीय हिन्दी समिति–गठन और कार्य	28
संघ के सरकारी कर्मचारियों का हिन्दी में प्रशिक्षण	31
संसदीय राजभाषा समिति––उद्देश्य और स्वरूप	34
केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के कार्य	37
भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं को और अधिक उपयोगी बनाना	38
हिन्दी कहाँ और कितनी ?	41
केन्द्रीय सरकार के अधिसूचित कार्यालय	44
सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग	45

मुख पृष्ठ––राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित 'अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' के अवसर पर विज्ञान भवन में आयोजित 'राजभाषाओं के बढ़ते चरण' प्रदर्शनी का चित्र

अपनी बात

राजभाषा भारती का पहला अंक आपके हाथों में है । इस पत्रिका के माध्यम से हम राजभाषा संबंधी अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं । आप जानते ही हैं कि आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ने राष्ट्र निर्माण के लिए निर्धारित कार्यक्रमों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया था क्योंकि उनकी राय थी कि भारतीय भाषाओं में हिन्दी ही राष्ट्रभाषा बन सकती है । वे चाहते थे कि हमारे देश का राजकाज देश की जनता की भाषा में हो, तभी हम नए भारत का निर्माण कर सकेंगे और तभी आजादी सार्थक हो सकेगी। इसे देखते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि हम राष्ट्रपिता के इस सपने को साकार करने में कोई कोरकसर न उठा रखें, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी भी क्षमा नहीं करेंगी ।

हालांकि हिन्दी का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है, किन्तु राजकाज में इसे अभी वह स्थान प्राप्त नहीं हुआ है जो होना चाहिए था । अभी संघ के कामकाज में द्विभाषिक स्थिति चल रही है अर्थात् संघ सरकार का कामकाज हिन्दी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में करने की छूट है, लेकिन सच तो यह है कि अधिकांश काम अभी भी अंग्रेजी में ही हो रहा है। हिन्दी को सही अर्थों में संघ की राजभाषा बनाने के लिए. हमें काफी कोशिश करनी है। यह काम दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के समुचित समन्वय से ही सम्पन्न हो सकता है । इसके लिए सरकार की तरफ से बहुत से प्रयत्न किए गए हैं और लगातार किए भी जा रहे हैं, किन्तु उनकी जानकारी लोगों को नहीं है । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया गया है ।

इस पत्रिका के माध्यम से लोगों को राजभाषा संबंधी कानूनी स्थिति की भी जानकारी दी जाएगी और साथ ही, उन आदेशों आदि के बारे में बताया जाएगा जिनसे सरकारी कर्मचारियों को राजकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में सहायता मिले । अगले अंकों में सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली हिन्दी के नमूने भी दिए जाएँगे । इन नमूनों से यह बात साफ हो जाएगी कि हम अपने कामकाज में सरल और सहज हिन्दी का प्रयोग कर सकते हैं और यह तभी संभव है कि जब हम मूल रूप से ही हिन्दी में लिखें। इसके लिए अनुवाद की बैसाखी की जरूरत नहीं है क्योंकि केवल अनुवाद का सहारा लेने से हिन्दी का विकास उसकी प्रकृति के अनुकूल नहीं हो पाएगा और ऐसा करके हम हिन्दी को लाभ पहुंचाने के बदले उसकी क्षति ही करेंगे ।

जनतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि देश का काम जनता की भाषाओं में ही हो और इसलिए यह जरूरी है कि सभी प्रदेशों में उन उन प्रदेशों की राजभाषाओं में सरकारी कामकाज किया जाए । संविधान के अनुसार हिन्दी भारतीय संघ की राजभाषा है और उसी के प्रचार-प्रसार के लिए यह पत्रिका प्रकाशित की जा रही है । इस इरादे को पूरा करने के लिए हमें धीरे-धीरे आगे बढ़ना है ।

इस बार इस पत्रिका के प्रवेशांक में मुख्यतः राजभाषा विभाग की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। अगले अंकों से हिन्दी के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे विद्वानों तथा इसका प्रयोग बढ़ाने के लिए कोशिश में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के लेख आदि के साथ और भी उपयोगी सामग्री दी जाएगी ।

मुझे आशा है कि इसकी सामग्री सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उपयोगी साबित होगी ।

—रमाप्रसन्न नायक

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

के अवसर पर

प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई

का

उद्घाटन भाषण

* * *

राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित "अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन" का उद्घाटन करने के लिए जाते हुए प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई साथ में हैं गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह, राजभाषा विभाग के सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार श्री रमाप्रसन्न नायक तथा राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री सुधाकर द्विवेदी (गृह मंत्री जी के पीछे)।

आज का जो यह कार्यक्रम है उसको मैं बहुत ही महत्व देता हूँ, इसीलिए कि भाषा को लेकर, हमारे देश में जिस ढंग से हम, कुछ हकीकत से दूर जाकर, कई बार सोचते हैं उससे देश के पूरे-पूरे एक बनने में कुछ न कुछ बाधा आती है। यह देश बहुत ही बड़ा है और अनेक भाषाओं का देश है। हमारे संविधान में जितनी हमारी भाषाएँ, देश की भाषाओं के रूप में स्वीकार की गई हैं, मैं नहीं जानता कि उतनी भाषाएँ किसी और देश में होंगी। अलग-अलग भाषा होना, कोई आपत्ति की बात नहीं है, बल्कि इससे कभी-कभी फायदा भी होता है। आपत्ति तब होती है जब एक देश में रहने वाले लोग हरेक बात में पूरे देश की बात न सोचें और सिर्फ प्रदेश की ही बात सोचें। देश को नुकसान न हो, इसीलिए सब हिस्सों का बराबर ध्यान रखना चाहिए। यह न सोचें, तब तक देश में वैसी मजबूती व समृद्धि, जैसी हम पैदा करना चाहते हैं, लाना मुश्किल है। हमारे देश में, हमारी भाषाएँ इतनी भी चलती नहीं है, जितनी चलनी चाहिए और वह भी आजादी के तीस वर्ष बाद। अंग्रेजी हो या हिन्दी, इसी वादविवाद में हम पड़ते हैं। यह वादविवाद आजादी के पहले नहीं था। आजादी के पहले तो, दक्षिण से यह कहने की शुरुआत हुई थी कि हिन्दी राष्ट्रभाषा हो, बंगाल से भी हुई थी, महाराष्ट्र से हुई। इसके लिए बात सबसे पहले वहाँ से ही उठी। परन्तु आजादी के बाद हम उलझने लगे। यह बात नहीं है कि अगर हम हिन्दी को एक सामान्य भाषा के रूप में सब लोग हिन्दुस्तान में सीखें तो इससे हमारी और भाषाएँ कमजोर होती हैं, या उनका महत्व कम होता है, वह सवाल हो नहीं सकता। सब भाषाओं को समृद्ध करने का हमारा निर्णय है और यही नीति है। मगर हमारी सब भाषाओं को, जिन्हें संविधान में स्थान दिया गया है, उनमें अंग्रेजी नहीं है, यह भी बहुत सूचक है।

संविधान में हिन्दी को हमारी सामान्य भाषा माना गया है, साथ-साथ हमारा इतिहास ऐसा रहा है कि जिससे कुछ मुसीबत पैदा होती है तो अंग्रेजी को साथ रखा है क्योंकि जब हम आजाद हुए, उसके पहले हरेक प्रदेश में वही राजभाषा थी। वह हरेक प्रदेश में थी मगर जितनी देशी रियासतें थीं उन सबमें वह भाषा नहीं थी। उन सबमें तो वहाँ की मातृभाषा थी। कई जगह, जो मैं जानता हूँ वहाँ उनका कारोबार बराबर उसमें चलता था। यह बात नहीं है कि वे भाषाएँ सक्षम नहीं हैं, परन्तु हमारे दिमाग में तो दूसरी बात बैठ गई। इसलिए मेरे जैसे ज्यादातर लोग जो कारोबार में आए वे सारे अंग्रेजी ही ज्यादा जानते थे और इसलिए उन्होंने अपनी सहूलियत देखी, देश की जरूरत को नहीं देखा, उतना नहीं देखा जितना देखना चाहिए था। इसी वजह से 47 में हमने जो विकल्प 15 साल के लिए छोड़ दिया था, उससे ही कई कठिनाइयाँ पैदा हुईं। मगर मेरा विश्वास है कि ये कठिनाइयाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी और हमारी सारी जनता यह समझ लेगी, सब प्रदेश यह समझ लेंगे, कि इसके सिवाय यह देश मजबूत होने वाला नहीं है।

2 M of HA/78—3

असल में हिन्दुस्तान की भाषाएँ समृद्ध हैं। सबसे ज्यादा संस्कृत समृद्ध है। जितनी संस्कृत समृद्ध है, उतनी और कोई भाषा नहीं, उसका नाम ही संस्कृत है। ऐसा किसी भाषा का नाम नहीं। कई भाषाओं का नाम, बाकी की भाषाओं का नाम तो अपने-अपने प्रदेश पर पड़ा हुआ है मगर संस्कृत भाषा का नाम 'संस्कृत' है और उसकी लिपि देवनागरी कही जाती है। यह भी हम भूल गए हैं। मगर हम भूल गए हैं तो किसको दोष अब कैसे देंगे। एक हवा चली आई है कि हमारी शिक्षा का भी दोष है। इस सब में दुरुस्ती किए बगैर ये सारी बातें दुरुस्त नहीं होंगी, ऐसा भी लगता है। एक बात ऐसी भी चल पड़ी है कि हिन्दी और भाषाओं को कमजोर कर देगी, मातृभाषा और जिन्हें राष्ट्रभाषा माना गया है, उनको यह कमजोर कर देगी। यह बात नहीं, कमजोर तो आज अंग्रेजी से सब भाषाएँ हुई हैं क्योंकि अंग्रेजी में ही जब सारी शिक्षा होती रही है, सारी शिक्षा और किताबें वगैरह उसमें होती रही हैं और फिर अपनी भाषाओं में तो कुछ ज्यादा होती नहीं। हमारी अजीब सी प्रकृति है कि अंग्रेजी में गलती हो,——मैं अंग्रेजी बोलने वाले की बात करता हूँ, जिनका प्रभुत्व कुछ चल रहा है, तो हमें शर्म आती है। मेरी गलती मेरी भाषा में हो तो मुझे कुछ नहीं लगता। यानी अपनी भाषा के लिए कोई गौरव नहीं होना, यह कहाँ की बात है?

इसीलिए मैं तो पहले से ही, कहता रहता हूँ गांधी जी ने भी वही कहा था, हरेक प्रदेश में, वहां की भाषा में सब काम चलाना चाहिए, शिक्षा सारी उसमें ही चलनी चाहिए। सारी शिक्षा जब उसी भाषा में चले तो फिर इस भाषा को कमजोर कौन कर सकेगा वह और ज्यादा मजबूत होगी और हिन्दी इससे मजबूत होगी और हिन्दी उसको मजबूत करेगी। क्योंकि हिन्दी भी हमारी ही एक भाषा है। हिन्दी इसीलिए पसन्द की गई थी कि हिंन्दी भाषा हिन्दुस्तान में कम से कम 60-70 फीसदी लोग समझते हैं और कोई अपनी भाषा इससे आधे भी लोग नहीं समझते, इससे चौथाई हिस्सा भी नहीं समझते। यह हकीकत है। तो इसीलिए जो भाषा 60-70 फीसदी समझते हैं वही हमारी भाषा सबके लिए सामान्य बन सकती है, दूसरी नहीं बन सकती। मैं नहीं कहता हूं कि हिन्दी इसीलिए हो क्योंकि वह हमारी सब भाषाओं से सबसे ज्यादा समृद्ध है। यह किसी का दावा नहीं है। परन्तु हमारी सब भाषा समृद्ध हो, इसलिए भी हमें इसको बराबर समझ लेना चाहिए और स्वागत भी करना चाहिए। हम किसी प्रदेश पर जबरदस्ती उसके ऊपर कुछ नहीं कराना चाहते हैं। परन्तु राष्ट्रभक्ति पूरी हो, उसका तकाजा होगा कि इसके बगैर भारत, भारत बनने वाला नहीं है। आज अंग्रेजी दो प्रतिशत लोग हमारे जानते हैं, दो फीसदी से ज्यादा नहीं जानते। वह 100 फीसदी जानने वाले कैसे हो जाएँगे? और तो 100 फीसदी भाषा जानें, ऐसी भाषा सामान्य भाषा बने, तभी हमारा कारोबार बढ़ेगा, बराबर बढ़ेगा। परन्तु हिन्दी किसी पर थोपी नहीं जाएगी। इसलिए सबसे पहली जरूरत यह है कि हरेक प्रदेश में वहां की भाषा में ही यानी जो सबकी मातृभाषा है, या ज्यादातर लोगों की भाषा है उसमें ही शिक्षा चले, उसमें ही राज्य का कारोबार चले, उसमें ही अदालतों का भी कारोबार चले। जब एक-दूसरे के साथ हमारे प्रदेशों को काम लेना है तो इसके साथ-साथ वे हिन्दी जान जाएँ तो उससे वही कारोबार होगा, जो आज अंग्रेजी से होता है। कुछ हिन्दी से भी होता है मगर पूरा नहीं होता है, जैसा होना चाहिए। मगर वह भी हम बराबर सोच-समझ कर करें, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं हो सकती और मैं तो मानता हूँ कि दक्षिण में जब हिन्दी स्वीकार की जाएगी तो दक्षिण में रहने वाले लोग उत्तर से ज्यादा अच्छी, ज्यादा समृद्ध हिन्दी बोलेंगे और लिखेंगे। इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। यही हिन्दुस्तान की खूबी है। हिन्दुस्तान में दो चार भाषा जानना कठिन नहीं है। यह भी हमारे हिन्दुस्तान की एक शक्ति है।

अंग्रेजी भाषा के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है मगर वह हिन्दुस्तान की भाषा तो नहीं हो सकती। वह परदेसी भाषा है इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए हमारी भाषा जो स्वीकार की गई है, वह जो हिन्दी भाषा है, हिन्दी हिन्दुस्तान की, वही स्वीकार की गई है किन्तु एक परदेसी भाषा को सीखना भी जरूरी है। क्योंकि हमारा वैसा विकास नहीं हुआ है, पराधीनता की वजह से, यह भी अंग्रेजी का ही कारण है और इसलिए भी हमें सोचना चाहिए। मगर बाहर का ज्ञान हमें जो ज्यादा विकसित देशों से मिले वह भी लेना है इसलिए इन भाषाओं को जानना जरूरी है और अंग्रेजी ज्यादा आसान है हमारे लिए। क्योंकि इसके साथ हमारा व्यवहार रहा है। इससे एक दूसरी कमजोरी यह भी हो सकती है कि दूसरी समृद्ध भाषाओं की ओर हम जाते ही नहीं, सिर्फ हम अंग्रेजी की ओर जाते हैं। इसलिए सारी बातों को सोचकर अपनी भाषाओं को मजबूत बनाना, समृद्ध बनाना हम सबका कर्त्तव्य है और इसलिए हरेक प्रदेश में इस तरीके का व्यवहार हो।

इसलिए तीन भाषा का फार्मूला बनाया गया है जो सामान्यतः स्वीकार हो गया है। मगर स्वीकार होने के बाद भी इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, यह हमारा रिवाज है, थोड़ा चलता रहेगा। मगर उस रिवाज को बदले बगैर और देश के लिए पूरा चिन्तन करने की आदत पड़े बगैर, हमारे कई मसलें आसान होने वाले नहीं हैं। और भाषा के खासकर के हमारे एक दूसरे के बीच व्यवहार का एक मात्र साधन के। और इसीलिए एक दूसरे के साथ, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, जब तक एक भाषा में हम व्यवहार नहीं कर सकते तो बिरादरी का भाव इतना पैदा नहीं हो सकता है। और वह काम हिन्दी ही कर सकती है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है।

[शेष पृष्ठ 14 पर]

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

के अवसर पर

गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह

का

अध्यक्षीय भाषण

* *

दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आजाद देश हो जो अपनी जनभाषा में अपना काम न करता हो। जिन देशों ने हाल ही में आजादी हासिल की है, वे भी अपने कामकाज में अपनी ही भाषा या भाषाओं के इस्तेमाल की कोशिश में लगे हुए हैं। यूरोप में अट्ठारहवीं शताब्दी से पूर्व ही जन-भाषाएँ तेजी से ग्रीक और लैटिन जैसी प्राचीन भाषाओं को हटाकर स्वयं शासन का माध्यम बन रहीं थीं और विचारों के आदान-प्रदान के लिये जनता और शासन के बीच कड़ी का काम करने लगी थीं। वहां सरकारी कामकाज में अपनी-अपनी भाषाओं के प्रयोग का दौर इतना जबरदस्त हुआ कि उससे यूरोप की सबसे रसमयी भाषा फ्रेंच भी न बच पाई। अंग्रेजों ने चौदहवीं शताब्दी में उसे अपने यहां से धीरे धीरे निकाल फैंकने का निश्चय किया, हालांकि वहां का संभ्रान्त वर्ग चिल्लाता ही रहा कि फ्रैंच के हट जाने से उनकी सभ्यता और संस्कृति मिट जाएगी और वे फिर से जंगली बन जायेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जनभाषाओं के इस्तेमाल का नतीजा यह हुआ कि इंगलैंड, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र और औद्योगिक क्रान्ति के क्षेत्र में कदम ब कदम बढ़ता गया और बाद में सारी दुनिया का नेता बन गया।

हमारे संविधान बनाने वाले यह महसूस करते थे कि देश को अपना पिछड़ापन हटाने और एक आधुनिक और मजबूत राष्ट्र बनने के लिये थोड़े ही समय में भारी पैमाने पर, आर्थिक, औद्योगिक, आदि क्षेत्रों में तरक्की करनी होगी और यह सब एक विदेशी भाषा के माध्यम से मुमकिन नहीं था। वे यह भी जानते थे कि अगर यहां एक विदेशी भाषा ही सरकारी कामकाज में चलती रही तो न्याय, स्वतन्त्रता, समता और बन्धुता के सिद्धान्त कोरे सिद्धान्त ही रह जाएँगे और उस पर अमल करना बड़ा कठिन होगा। इन सबकी वजह से और शासन तथा जनता के बीच अंग्रेजों के जमाने में बनी खाई को खत्म करने के लिये संविधान ने भारतीय भाषाओं में सरकारी कामकाज करने की व्यवस्था की। राज्यों में वहां की भाषाओं को राजभाषा बनाने के लिये कहा गया और केन्द्र के कामकाज तथा केन्द्रीय शासन और राज्य सरकारों के बीच सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी को चुना गया, जो भारतीय भाषाओं में सबसे सरल है। परन्तु हो कुछ नहीं पाया।

यह सोचने की बात है कि संविधान की राजभाषा के बारे में मंशा पूरी करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? कुछ राज्यों ने आजादी के तुरन्त बाद ही कानून बनाकर अपनी भाषाओं को राजभाषा बनाया और कुछ ने इस बारे में बहुत बाद में कार्रवाई की, लेकिन दोनों ही तरह के राज्यों में स्थिति लगभग एक सी ही रही और उनका अभी भी ज्यादातर कामकाज अंग्रेजी में ही चल रहा है। यही हाल केन्द्र में हिन्दी का है। हिन्दी सन् 1950 में केन्द्र की राजभाषा बनी। सन् 1950 से 1960 तक का समय तो शब्दावलियों के लिये संस्थाएँ खोलने और भाषा से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिये आयोग और संसदीय समिति बनाने में गया। सन् 1960 के बाद जरूर थोड़ी बहुत कार्रवाई शुरू हुई और हिन्दी के इस्तेमाल के लिये आदेश भी जारी किये गये, लेकिन वे कागज या तो मंत्रालयों की फाइलों में उलझकर रह गए और अगर नीचे के दफ्तरों में गए भी, तो बिना किसी कार्रवाई के फाइल कर दिए गए। मंत्रालयों में भी प्रशासनिक कठिनाइयां बताकर उन आदेशों पर ठीक ठीक अमल नहीं किया गया। उस समय कोई ऐसी मशीनरी नहीं थी जो इस बात की खोजबीन करती कि उन आदेशों का कहां तक अमल हो रहा है और किस हद तक अंग्रेजी की जगह हिन्दी को लाया जा रहा है।

मैं बड़ी साफगोई से कहना चाहूंगा कि इस मामले में ढील की दो वजहें थीं। एक तो भारत का पढ़ा-लिखा अंग्रेजीदां तबका सोच ही नहीं सकता था कि अंग्रेजी छोड़कर

किसी भारतीय भाषा में भी काम हो सकता था। उनका कहना था कि हिन्दी के उपयोग के लिए जो तैयारियां चाहिए थीं, वे पूरी तौर पर नहीं हो पाई थीं। गोया जब अंग्रेजी का इस्तेमाल शुरू हुआ था, तब सब तैयारी हो चुकी थीं और सारे कोड और मैनुअल अंग्रेजी में पहले ही से तैयार किये जा चुके थे। दूसरी बात यह थी कि यह प्रचार किया जा रहा था कि अगर केन्द्र शासन में अंग्रेजी की जगह हिन्दी को लाया गया तो हिन्दी न जानने वाले लोगों को इससे नुकसान हो सकता है और यह एक प्रकार से उन लोगों के ऊपर हिन्दी को थोपना होगा। इसलिये भी लोग हिन्दी का प्रयोग करने में हिचकिचाने लगे।

मैं, हिन्दी के ही क्यों, किसी भी भाषा के थोपने में यकीन नहीं करता। अगर भारतीय भाषाओं के प्रयोग से भारत की अखण्डता खत्म होती है तो मैं पहला व्यक्ति होऊँगा जो कहेगा कि भारतीय भाषाओं को छोड़ो और विदेशी भाषा में ही काम करते रहो। पर मैं इसके लिये केवल अंग्रेजी जानने वाले दो प्रतिशत व्यक्तियों की ही राय नहीं लेना चाहूँगा। वे तो अंग्रेजी चाहते ही हैं, क्योंकि अंग्रेजी ही उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वर्चस्व और प्रभुत्व का रहस्य है। अगर अंग्रेजी हट गई तो जनता के कोटि-कोटि के लोग उन्नति के साधनों में उनके साझीदार बन जाएँगे और सरकारी नौकरियों के इम्तिहानों में उनके बच्चों के साथ जनता के बच्चे भी बैठेंगे और चूंकि ये बच्चे जनता की भाषा के ज्यादा नजदीक होंगे, इसलिये वे बाजी मार ले जायेंगे। असल में भारतीय भाषाएँ इन्हीं वजहों से नहीं बढ़ रही हैं। शब्दावली की कमी के कारण नहीं, टाइपराइटरों की कमी के कारण नहीं, और न अनुवादकों की कमी के कारण। परन्तु हम बहुत ज्यादा दिन तक भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल को नहीं टाल सकते। सरकार को जनता के पास पहुंचना है तो जनता की भाषा में ही पहुंचना होगा। नहीं तो जनता और सरकार के बीच दरार बढ़ती ही जाएगी और बाद में उसको पाटना मुश्किल होगा।

राजनैतिक नेता भी इसके लिये काफी हद तक जिम्मेदार हैं। वास्तव में हम लोगों का दोहरा व्यक्तित्व है, सिप्ल्ट पर्सनलैटी है। जब हम जनता के पास चुनाव के दौरान जाते हैं तो उन्हीं की भाषा में बोलते हैं ताकि वे हमें समझ सकें और वोट दें। लेकिन जब हम चुने जा कर शासन की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं तो हम भी उसी दुश्चक्र के शिकार हो जाते हैं और अंग्रेजी को ही माध्यम रखने की बात सोचते हैं। उस वक्त यह भूल जाते हैं कि भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल से ही जनता और शासन के बीच तादात्म्य स्थापित हो सकता है, आत्मीयता बढ़ाई जा सकती है और जनता की समस्याओं को हल करने के लिये उपाय भी आसानी से ढूंढे जा सकते हैं।

जनता को वही भाषा अच्छी लगेगी जिसमें उसकी मिट्टी की महक हो, जिसमें उसकी हवा की सुगन्ध हो, जिसे वह बोलती हो, समझती हो और जिसके माध्यम से अपने उद्‌गार प्रकट करती हो। अंग्रेजी में ये सब गुण कहां है? यह कभी भी इस देश की आम जनता की भाषा नहीं बन पाएगी।

सरकार की नई औद्योगिक नीति और सामान्य नीति के अनुसार भी हमें गांवों की ओर ध्यान देना है, जो अभी तक उपेक्षित रहे हैं। यदि गांवों की उन्नति करना है, वहां लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों का विकास करना है, यदि वहां तकनीकी प्रसार करना है, तो भारतीय भाषाएँ अपनानी ही होंगी। इस काम को हम अंग्रेजी के माध्यम से नहीं कर पाएँगे। कितनी विडम्बना है कि आज खेती और खेतिहरों से संबंधित मामलों में भी जो भी खोजबीन की जाती है, उसका परिणाम खेतिहरों के पास उनकी भाषा में नहीं पहुंच पाता। यदि हमारे वैज्ञानिक भारतीय भाषाओं में अनुसन्धान करने में दिक्कत महसूस करते हैं, तो वे अंग्रेजी में करते रहें, लेकिन उसका निचोड़ भारतीय भाषाओं में खेतिहरों तक पहुंचना ही चाहिए।

संविधान ने सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के उपयोग की छूट दी है और यह छूट तब तक रहेगी जब तक एक भी अहिन्दी भाषी राज्य इसे खत्म न करना चाहे। मुझे इसके खिलाफ कुछ नहीं कहना है। सरकारी कामकाज में भाषायी परिवर्तन के लिये जनता का आश्वस्त होना बहुत जरूरी है और यह जरूरत तब और बढ़ जाती है जब लोगों के दिमाग में यह भर दिया गया हो कि हिन्दी के प्रयोग से उन्हें असुविधा होगी। लेकिन मैं यह कहने में नहीं हिचकिचाऊंगा कि अंग्रेजी के इस्तेमाल से काम-काज ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा। नीचे के तबके कर्मचारी अंग्रेजी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं और उनमें से ज्यादातर लोग अंग्रेजी को महज ऊपर के कर्मचारियों से डर से काम में ला रहे हैं। यह एक हकीकत है और इसको स्वीकार करना ही होगा। नहीं तो मुझे डर है कि इस भाषा के गोरखधन्धे में फंसकर हम अपनी निपुणता और कर्मठता को खो बैठेंगे।

भाषा के मामले में बहुत कुछ गलतफहमी त्रिभाषा फार्मूला पर ठीक अमल न करने के कारण भी है। इस फार्मूले के अनुसार गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी और अंग्रेजी और उनकी क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाना चाहिये और हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा एक दूसरी आधुनिक भाषा पढ़ाना चाहिए। यह भाषा पड़ोसी राज्य की क्षेत्रीय भाषा हो सकती है अथवा उसी राज्य की उर्दू जैसी समृद्ध भाषा हो सकती है या फिर इसके लिये किसी दक्षिणी भाषा को तरजीह दी जा सकती है। लेकिन बहुत कम राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस फार्मूले का ईमानदारी से पालन किया हो। इस मामले में कुछ मुझे हिन्दी भाषी राज्यों से खास

शिकायत है जो तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ाते हैं। आप संस्कृत पढ़ाइये, क्योंकि वह हमारी सभ्यता और संस्कृति का स्रोत रही है और लगभग सभी भारतीय भाषाओं की वह जननी रही है, लेकिन वह एक आधुनिक भाषा का स्थान नहीं ले सकती। इसकी पढ़ाई का कोई और ही प्रबन्ध करना होगा। आज त्रिभाषा फार्मुले के अनुसार पढ़ाई राष्ट्रीय एकीकरण के लिये बहुत ही जरूरी है नहीं तो हममें से बहुत से लोग अपने देश में अजनबी बन कर रह जाएँगे, और मुझे विश्वास है कि कोई भी आदमी जो अपने देश से प्रेम करता है, ऐसा नहीं चाहेगा।

आज हमारी शिक्षा की प्रणाली में अंग्रेजी का ही बोलबाला है, भले ही उसकी पढ़ाई का स्तर निरन्तर गिरता ही क्यों न जा रहा हो। दूसरी ओर, भारतीय भाषाओं के विकास का प्रबन्ध वैसा नहीं हो रहा है, जैसा होना चाहिये। आज के युग में अंग्रेजी का जानना उन लोगों के लिये बहुत ही जरूरी है जो ज्ञान-विज्ञान, टैक्नालाजी, इंजीनियरी और चिकित्सा आदि के क्षेत्र में खोज करना चाहते हैं, क्योंकि इस भाषा के माध्यम से इन क्षेत्रों में बहुत बड़ा काम हो रहा है। लेकिन रोजमर्रा के काम के लिये उसे छोड़ना ही होगा।

अंग्रेज जब गए तो हमें विरासत में दो चीजें दे गए—एक अंग्रेजी और दूसरी अंग्रेजियत। बल्कि, अंग्रेजियत अंग्रेजी से ज्यादा फैल गई है, हालांकि वह फैली अंग्रेजी की ही वजह से। नतीजा यह है कि हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण अंग का जीवन कृत्रिम हो गया है और भारतीय परिवेश में वह अपने आपको अजनबी-सा महसूस करता है। निश्चय ही सामाजिक क्रान्ति के लिये भी अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषाओं के ही प्रयोग की जरूरत है। स्वामी दयानन्द सरस्वती अंग्रेजी का एक शब्द नहीं जानते थे, परन्तु आधुनिक युग के वह सबसे बड़े समाज-सुधारक सिद्ध हुए हैं।

मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप अपने यहां भारतीय भाषाओं के उपयोग के लिये उस दिन का इन्तजार न कीजिये जबकि आपके यहां सभी प्रकार की शब्दावलियां पूरी तौर पर बन जायें, जब आपकी आवश्यकता के अनुसार टाइपराइटर इकट्ठे हो जाएँ और जब आपके सारे दफ्तरों में अनुवादक आ जायें। आप उस दिन की भी प्रतीक्षा न कीजिए जब आप के सभी कर्मचारी राजभाषा में काम करने के दक्ष हो जाएँ। अगर टाइपराइटर नहीं हैं, तो हाथ से लिखिए और कारबन लगा कर भी काम चलाइए, कर्मचारियों से अपनी अपनी राजभाषाओं का प्रयोग करने के लिये अनुरोध कीजिए, भले ही वे टूटी-फूटी भाषा क्यों न लिखें। कोई भी आदमी भाषा पर अधिकार उसका प्रयोग करके ही पा सकता है। जब तक पानी में कोई उतरेगा ही नहीं तब तक वह तैरना कैसे सीखेगा, चाहे उसे कितना ही बढ़िया सिखाने वाला क्यों न मिले। आप अपने कर्मचारियों को सरकारी काम काज में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने को कहिए। कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि उनके द्वारा जो नोट और ड्राफ्ट पेश किये जाते हैं, वे कितनी मँजी हुई भाषा में होते हैं। आखिर अंग्रेजी भी कितने लोग सही लिखते हैं?

इस सिलसिले में नौकरी में भर्ती के लिए भाषा की बात भी आ जाती है। अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषाओं का प्रयोग जरूर होना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी होगा कि अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाओं के लिए किसी भाषा विशेष के कारण किसी को अनुचित लाभ न पहुंचने पाए। इसलिये ऐसी परीक्षाओं में हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं को भी माध्यम बनाना बहुत जरूरी है। राज्य सरकारों को भी अपनी अपनी परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम का विकल्प देना चाहिए ताकि क्षेत्रीय भाषाओं को उनका उचित स्थान मिले और इम्तिहान में बैठने वालों को सुभीता हो। जैसे-जैसे ऐसा होगा, वैसे-वैसे लोग भारतीय भाषाओं को सीखेंगे और नौकरी में आने के बाद उनका उपयोग करेंगे।

किसी भी बहुभाषी देश में सरकारी कामकाज के लिये भाषा के इस्तेमाल के बारे में फैसला करते समय उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जिनकी भाषाएँ बोलने वालों की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि वे राजभाषा बन सकें। हमारे संविधान ने ऐसे अल्पसंख्यकों की जरूरत पर पूरा ध्यान दिया और उनके लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये प्रशासन को दायित्व सौंपा। ऐसे भाषायी अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राइमरी स्तर पर उनकी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना बहुत जरूरी है और इसके लिए अवश्य प्रबन्ध करना चाहिए। यदि किसी राज्य के किसी तहसील का म्युनिसिपलिटी आदि में किसी खास भाषा के बोलने वालों की संख्या काफी है तो प्रशासन के कुछ कामों में भी उनकी भाषा की आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरणार्थ, ऐसे लोगों से दरख्वास्तें उनकी भाषा में स्वीकार करनी चाहिए और ऐसी जगहों में खास खास नोटिसों और कानूनों के सारांश भाषायी अल्पसंख्यकों की भाषा में भी प्रकाशित किये जाने चाहिए ताकि उन्हें सरकारी आदेशों की जानकारी हो सके।

मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि हिन्दी और भारतीय भाषाओं की किसी पर थोपने की बात गलत है, हम यही चाहेंगे कि वे अपने स्वाभाविक रूप से बढ़ें और अंग्रेजी की जगह लें। लेकिन इसके लिये जो भी कोशिश की जा सकती है, वह जरूर होनी चाहिये। बेबुनियाद कारणों से भारतीय भाषाओं की गति को रोकना राष्ट्रीय हित में नहीं है, बल्कि उससे राष्ट्र की उन्नति में बाधा ही पड़ेगी। सभी भारतीय भाषाएँ अपने क्षेत्र में बढ़ें और कामकाज के लिये अपनाई जाएँ और इनके बोलने वाले मिलजुलकर राष्ट्र की प्रगति और विकास में योगदान दें, यही मेरी कामना है। यदि इस सिलसिले में यह सम्मेलन कुछ ठोस सुझाव रख सका, तभी मैं मानूँगा कि वह सफल रहा है। □

[पृष्ठ 10 का शेष→]

आज भी मेरा अनुभव है कि मैं दक्षिण में भी जाता हूँ तो वहाँ सामान्य आदमी देहातों में अंग्रेजी कम जानते हैं और हिन्दी में कुछ कहो तो थोड़ा सा समझ भी लेते हैं, यह भी एक हकीकत है। कितने प्राचीन साधू-संत, शंकराचार्य से लेकर जो कई बड़े-बड़े महानुभाव तक हैं, हिन्दुस्तान के एक नाके से लेकर दूसरे तक पहुंचे और सारे हिन्दुस्तान में फैले। ज्यादातर दक्षिण में भी आए हैं और वह अपना काम सबको समझाते थे। किस भाषा में ? इसी सामान्य भाषा में सबको समझाते थे तभी तो वे सब जगह पहुँच सके। तभी सबके ऊपर प्रभाव पड़ा। इसलिए इन सारी बातों को सोचकर इस बारे में हमारी जो नीति है, उसको समझकर इस पर अमल करने के लिए हमें कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, एक बात ठीक है कि इसमें हमें किसी के साथ झगड़े में नहीं पड़ना है। इसका मतलब यह नहीं है कि गलत बात स्वीकार करो या जिससे कमजोरी पैदा होती हो वह बात स्वीकार करो। सब समझें यह तो जरूरी है, मगर इसकी हवा एक दूसरे की मोहब्बत से ही पैदा हो सकती है, झगड़े से पैदा नहीं हो सकती। इसलिए हरेक को एक-दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। सबको रखना चाहिए। यह नहीं कि एक बाजू को ही रखना चाहिए, दूसरे बाजू को नहीं रखना चाहिए। हम एक दूसरे का ख्याल जब रखेंगे तो सारी बातों का फैसला करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। और मैंने तो हमेशा ही कहा है कि जब तक हमारे सभी लोग हिन्दी नहीं जानते हैं और वही सामान्य भाषा के रूप में सब जगह पूरा स्वीकार नहीं होती है, तब तक यह देश, पूरा देश भारत जैसा गौरव हमारा था, एक जमाने में, पहले भूतकाल में, ऐसा गौरवशाली देश बनना होगा। हमें इससे भी ज्यादा आगे बढ़ना है, अधिक गौरवशाली बनना है। मगर वह तब होगा, जब हम पहली बार 30 साल पहले एक राज्य बने जो पहले कभी नहीं हुआ था और एक राज्य जब बनें हैं तो पूरे मायने में हम एक हो जाएँ। अब 30 साल बाद मौका आया इसके पहले नहीं था, इसलिए ऐसी हालत पैदा हुई है। मगर जब वह पैदा हुई है तब उसका पूरा-पूरा साथ देना चाहिए और उसका फायदा उठाना चाहिए और देश को जितना जल्दी बने, उतना जल्दी हमें बराबर एक भावना से रंग देना चाहिए। उसमें भाषा का सबसे बड़ा काम है और भाषा को लेकर झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि समझदारी से निपटाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और मेरा विश्वास है कि वह निपट जाएगा और यह मसला हल होगा मगर इसके लिए मेहनत करना आवश्यक है। सिर्फ आशा रखने से तो काम नहीं होगा।

इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप जब यहाँ इसकी चर्चा करेंगे तो इस काम के लिए झगड़े पैदा किए बगैर, और सबको साथ लेने के तरीके आप निकालेंगे जिससे जो हमारा आदर्श है उस आदर्श तक पहुँच सकें और उस पर अमल कर सकें।

आज यहाँ आकर और कुछ आपके सामने विचार रखकर मुझे खुशी हुई और इसी आशा से इसका मैं उद्घाटन कर रहा हूँ कि आप जल्दी इस काम में कामयाबी हासिल करें।

धन्यवाद।

□ □ □

"बिना अंग्रेजी के ज्ञान के भी भारतीय मस्तिष्क का सर्वोच्च विकास हो सकना चाहिए। हमारे देश के लड़के और लड़कियों को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करना कि अंग्रेजी के ज्ञान के बिना उसकी सर्वोच्च समाज में पैठ नहीं हो सकती, भारत के पुरुषों और महिलाओं का अपमान करना है।"

—महात्मा गाँधी

हिन्दी एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा हम विश्व के एक बड़े जन समुदाय से भावात्मक रूप से जुड़े हुए हैं।

—दयानन्द लाल वसंत राय (मारीशस के एक मंत्री)

जब तक इस देश का राजकाज अपनी भाषा में नहीं चलेगा तब तक हम यह नहीं कह सकते कि देश में स्वराज्य है।

—मोरारजी देसाई

राजभाषा हिन्दी और प्रादेशिक भाषाएँ

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में 15 भाषाओं को भारत की प्रमुख भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। ये भाषाएँ हैं—(1) असमिया, (2) उड़िया, (3) उर्दू, (4) कन्नड़, (5) कश्मीरी, (6) गुजराती, (7) तमिल, (8) तेलुगु, (9) पंजाबी, (10) बंगला, (11) मराठी, (12) मलयालम, (13) संस्कृत, (14) सिन्धी, और (15) हिन्दी। इनमें से हम किसी को भी अविकसित भाषा नहीं कह सकते क्योंकि इनमें से प्रत्येक का इतिहास सदियों पुराना है और प्रत्येक का काफी बड़ा और समृद्ध साहित्य भी है। साथ ही इन में से अधिकांश किसी न किसी विशिष्ट प्रदेश में बोली जाती है और यही कारण है कि भाषाई आधार पर प्रदेशों के पुनर्गठन की मांग काफी दिनों से की जा रही थी और बाद में स्वतन्त्रता के बाद धीरे-धीरे करके सभी प्रमुख भाषाओं के (उर्दू, सिन्धी और संस्कृत को छोड़कर) अपने-अपने प्रदेश बन गए। इसके सिवा इन सभी भाषाओं की अपनी-अपनी लिपियाँ भी हैं। हाँ, हिन्दी, संस्कृत और मराठी की लिपि एक है।

भारत में इतनी भाषाओं के होने का यह तात्पर्य नहीं है कि इन सब में कोई सामान्य तत्व है ही नहीं। इन भाषाओं में से 10 इंडो-आर्यन कुल की हैं और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संस्कृत से ही उत्पन्न हुई हैं। इन में से 4 द्रविड़-कुल की हैं, लेकिन इन पर भी संस्कृत ने काफी प्रभाव डाला है। वैसे तमिल पर से अब यह प्रभाव घट रहा है, किन्तु दूसरी ओर मलयालम पर संस्कृत का इतना अधिक प्रभाव है जितना इंडो-आर्यन कुल की किसी भी भाषा पर नहीं है।

उर्दू को छोड़कर बाकी सभी भाषाओं ने संस्कृत भाषा के महान ग्रंथों के रत्नाकर में से ही रत्न एकत्र किए हैं और उन सब की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इतनी ज्यादा मिली-जुली है कि यदि हम एक साहित्य के अध्ययन के बाद दूसरे के साहित्य का अध्ययन करने लगें, तो भाषा को छोड़कर हमें यह लगता ही नहीं कि हम अपरिचित परिवेश में आ गए हैं। जहाँ एक ओर, प्रत्येक कुल की भाषाएँ एक-दूसरे के बहुत नजदीक हैं, वहीं इंडो-आर्यन और द्रविड़ कुल की भाषाओं में भी व्याकरण और वाक्य विन्यास में बहुत सी समानताएँ हैं, क्योंकि उनका एक-दूसरे पर हजारों वर्षों तक प्रभाव पड़ा है। दर्शन, धर्म, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें लगभग सभी भाषाओं ने संस्कृत से ही सामान्य शब्दावली ग्रहण की है और बाद में मुस्लिम शासन के समय इन सभी भाषाओं ने सामान्य रूप से राजस्व और प्रशासन के क्षेत्र में फारसी से शब्द लिए हैं। आज करीब-करीब सभी ने बहुत से अंग्रेजी शब्द भी ग्रहण कर लिए हैं और इस तरह उनमें इतनी बड़ी खाई नहीं है जितनी कि किसी बाहर वाले को लगती है।

इसी प्रकार उनमें से अधिकांश की लिपियाँ अलग-अलग होते हुए भी बंगला, असमिया, गुजराती, उड़िया, आदि की लिपियां हिन्दी, संस्कृत और मराठी की लिपि देवनागरी के काफी निकट हैं। गुजराती देवनागरी में शिरोरेखा नहीं लगती और स्पष्ट-रूप से ऐसा दिखाई पड़ता है कि यह किसी व्यावसायिक समाज द्वारा जल्दी में लिखी गई लिपि है। बंगला और असमिया में बहुत ही कम अन्तर है और यदि देवनागरी के अक्षरों को छोड़कर उनके सर पर पगड़ी लगा दी जाए तो वे उड़िया के वर्ण बन जाते हैं। असल में लिखने के माध्यम की आवश्यकता के कारण बंगला, असमिया और उड़िया लिपियाँ लूपों से भरी पड़ी हैं। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि तमिल की लिपि देवनागरी की लिपि के बहुत नजदीक है। हाँ, यह जरूर है कि तमिल में महाप्राण के अक्षरों के होने के कारण उसकी वर्णमाला छोटी है। उर्दू को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख भाषाओं की वर्णमाला करीब-करीब वही है और यदि हम उनका ध्यान से अध्ययन करेंगे तो पाएँगे कि किसी मूल आधार के वे विभिन्न परिवर्तित रूप हैं।

यों भारत में बहुत सी बोलियाँ बोली जाती रही हैं, किन्तु साथ ही यह भी सच है कि देश में एक सूत्रता बनाए रखने

के लिए हमेशा किसी न किसी संपर्क भाषा ने अपना योगदान किया है । प्राचीन भारत में संस्कृत ही कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति धर्म और दर्शन की भाषा थी । विभिन्न प्रदेशों के विद्वान उसी माध्यम से एक-दूसरे से विचार-विनिमय करते थे । और यह क्रिया हजारों वर्षों तक चलती रही । इस संबंध में शंकर, रामानुज, निम्बार्क, अप्पयदीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ, कल्हण-विल्हण, भवभूति, कालिदास, पाणिनि, मम्मट, सायण, बौद्धायन, कौटिल्य और न जाने कितने नाम गिनाए जा सकते हैं । उनमें से कोई कश्मीर के थे तो कोई केरल के, कोई काठियावाड़ के तो कोई कामरूप के ।

बाद में मुगल साम्राज्य के चरम विकास के काल में फारसी ने अखिल भारतीय स्तर पर राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर लिया और यद्यपि प्रदेशों में प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से काम किया जाता था, फिर भी, अखिल भारतीय स्तर पर फारसी ही संपर्क भाषा का काम दे रही थी । हिन्दुओं के पुनरुत्थान के प्रबल समर्थक पूने के पेशवा तक का नाम मराठी में नहीं, फारसी में है । लेकिन इसी बीच विशेष कर उत्तर भारत के बाजारों में एक भाषा जनभाषा के रूप में अपना स्थान बना रही थी और शीघ्र ही जन-भाषा बन भी गई । भले ही उसे दो लिपियों में लिखे जाने के कारण अथवा संस्कृत या उर्दू फारसी से प्रेरणा लेने के कारण, उसकी दो शैलियाँ हो गईं, लेकिन यह भेद केवल उच्च विषयों या उच्चवर्गीय स्तरों तक ही सीमित था, और जनभाषा एक ही थी ।

18 वीं सदी के अन्त में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पैर जमा लिया और 19वीं सदी के प्रारम्भिक भाग में अंग्रेजी ने फारसी को हटाकर अपना आसन जमा लिया । जैसा कि होता है, कुछ लोग उस बदली स्थिति को न समझ पाये और पुरानी आदत के मुताबिक फारसी ही पढ़ते रहे और इसी लिये यह कहावत मशहूर हो गयी कि "पढ़े फारसी बेचे तेल", देखो रे किस्मत का खेल" । जैसे-जैसे अंग्रेजों के पैर जमते गए, वैसे-वैसे हमारे देश पर अंग्रेजी का सिकंजा भी मजबूत होता चला गया । यहाँ यह भी याद रखने की बात है कि यही माध्यम था जिसके कारण भारत का प्रबुद्ध समाज एक हो गया और उसने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत का झंडा ऊँचा किया । लेकिन जब जनता के बीच आंदोलन करने का समय आया, तो उन्हें देशी भाषाओं का ही सहारा लेना पड़ा और अधिक प्रसार और विस्तार को देखते हुए उन में से अधिकांश ने जनता से संपर्क के लिए हिन्दी को ही चुना, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे बालगंगाधर तिलक हों चाहे अन्य कोई नेता। यदि इतिहास से हम कोई सबक ले सकते हैं तो वह यही है कि कोई साम्राज्य आता है तो वह अपनी संस्कृति और भाषा लादता है और फिर चला जाता है, किन्तु जनता की शक्ति अपरिमित और अपराजित है और अन्त में उसी की विजय होती है । लेकिन ऐसा दो एक वर्षों में या दशाब्दों में नहीं होता । कभी-कभी इसमें सदियाँ भी लग जाती हैं ।

ऐसा नहीं है कि हमारा ही देश अनोखा है, जिसमें पुराने उपनिवेशवादी साम्राज्य की भाषा अभी तक जमी हुई है । संसार के अधिकांश नवोदित और नव स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्रों में पुरानी साम्राज्यवादी भाषाएं अभी भी जड़ जमाए हुए हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा और इसके हानि और लाभ भी हैं।

कोई राष्ट्र अपनी आत्मा को फिर से पहचाने और राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ हो इसके लिये यह आवश्यक है कि उसकी अपनी कोई देशी भाषा ही राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित की जाए । हर किसी को लगता है कि एक विदेशी भाषा को राजभाषा के पद पर हमेशा के लिये रखना देश के आत्मसम्मान के प्रतिकूल है क्योंकि ऐसी विदेशी भाषा हमें हमेशा अपने गुलामी के दिनों की याद दिलाती है । इसके सिवा जब कभी हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दूसरे देशों के संपर्क में आते हैं तो अपनी कोई भाषा न होने के कारण हमें हमेशा ही कुछ लज्जा का अनुभव होता है ।

इसके सिवा सभी नवोदित राज्यों में राजनीति के क्षेत्र में अब जनता के वे वर्ग आगे आ रहे हैं जो कभी पिछड़े हुए या अशिक्षित अथवा दलित थे और स्वाभाविक है कि उनकी माँग किसी देशी भाषा के लिये ही होगी । इसके सिवा प्रशासन के कार्य में अथवा जन-साधारण तक ज्ञान-विज्ञान के नए-नए तौर-तरीकों को पहुंचाने के काम में (ताकि वे कृषि और उद्योग आदि में उन्नति कर सकें) या शिक्षा के क्षेत्र में या प्रौढ़ शिक्षा आदि के काम में अंग्रेजी भाषा-भाषी कर्मचारी उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि उनके और जनता के बीच भाषा की एक गहरी खाई होती है । सच तो यह है कि उनके हृदय को जीतने के लिये उन्हें अपनी वेशभूषा, रहन-सहन इत्यादि में भी परिवर्तन करना होगा ताकि ग्रामीण जनता के हृदय में उनके प्रति आस्था और विश्वास उत्पन्न हो । साथ ही उन्हें उनकी भाषा में ही बात करनी होगी ताकि सम्प्रेषणता की खाई पाटी जा सके।

जो बात हिन्दी के बारे में सच है, वही प्रादेशिक भाषाओं के बारे में भी मौजू होगी। उन्हें भी अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार अपने साहित्य की समृद्धि और विकास करना चाहिए। जिस हद तक वे अपने प्रदेशों और क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगी उसी हद तक हिन्दी संघ क्षेत्र में और संपर्क भाषा के रूप में आगे आएगी । साथ ही जैसे-जैसे अहिन्दी भाषा-भाषी लोग हिन्दी सीखेंगे, वैस-वैसे उन भाषाओं के शब्दों और मुहावरों से हिन्दी को सजा कर उसे और समृद्ध कर पाएँगे । यह काम हिन्दी भाषा-भाषी नहीं कर सकते। यह तो वे ही कर सकते हैं जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है और जो उसे अपना कर उसका गुलशन-गुले गुलजार कर सकते हैं ।

[शेष पृष्ठ 47 पर]

संघ की राजभाषा नीति

यद्यपि 'राजभाषा' और राष्ट्रभाषा इन दोनों शब्दों के अर्थ बिल्कुल भिन्न हैं, फिर भी अक्सर 'राजभाषा' के लिए 'राष्ट्रभाषा' का प्रयोग किया जाता है । यूनेस्को के विशेषज्ञों की राय में उस भाषा को राजभाषा कहा जाता है, जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो और शासन तथा जनता के बीच आपसी संपर्क के काम भी आती हो । लेकिन राष्ट्रभाषा किसी देश की उस प्रमुख भाषा को कहते हैं, जो किसी बड़े भाषायी समुदाय द्वारा बोली जाती हो । आम तौर पर किसी देश की राष्ट्रभाषा ही वहाँ की राजभाषा होती है और यदि उस देश में एक से अधिक राष्ट्रभाषाएँ हों, तो उनमें से एक भाषा राजभाषा के रूप में चुन ली जाती है, लेकिन ऐसी भी मिसालें मिलेंगी जहाँ राजभाषा के रूप में इस्तेमाल के लिए एक बिल्कुल ही नई भाषा बनाई जाती है, जैसा कि इंडोनेशिया में हुआ जहाँ 'बहासा इंडोनेशिया' बनाई गई । राजभाषा पर चर्चा के दौरान एक तीसरा शब्द भी कभी-कभी आता है और वह है 'लिंगुआ फ्रैंका' । 'लिंगुआ फ्रैंका' का अभिप्राय उस भाषा से है, जिसका विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संपर्क के लिए उपयोग होता है । सामान्यतया किसी देश में वहाँ की राजभाषा ही 'लिंगुआ फ्रैंका' भी होगी, क्योंकि उसके सिवा किसी दूसरी राष्ट्रभाषा के लिए 'लिंगुआ फ्रैंका' की भूमिका अदा करना मुश्किल होगा ।

कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने कहा था कि 'जब तक इस देश का कामकाज अपनी भाषा में नहीं चलेगा, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि देश में स्वराज्य है ।' कुछ ही साल पहले गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने वाले अफ्रीका-एशिया के उभरते हुए राष्ट्रों के नेता विदेशी शासकों की भाषा की भूमिका को बदलने के लिए कृत-संकल्प थे । उनका मत था कि वे भाषाएँ नए राष्ट्रों के पुनरुत्थान के लिए उपयुक्त नहीं हो सकतीं और यदि वे उन भाषाओं को बनाए रखेंगे, तो वे उन्हें अपने लज्जास्पद अतीत की याद दिलाती रहेंगी। विभिन्न क्षेत्रों में कम से कम समय में एक बड़े पैमाने पर विकास का काम किया जाना था, साथ ही आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को, जिसमें जनता का सहयोग जरूरी था, समुचित नियमन करके चलाना था । यह सब केवल देश की अपनी भाषा के द्वारा ही संभव था । इसलिए प्रशासन आदि विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषाओं को आना ही था ।

महात्मा गांधी ने एक बार यह विचार व्यक्त किया था कि राष्ट्रभाषा बनने के लिए किसी भी भाषा में नीचे दिए पाँच गुण अवश्य होने चाहिए :—

(1) उसे सरकारी अधिकारी आसानी से सीख सकें;

(2) वह समस्त भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संपर्क के माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम हो;

(3) वह अधिकांश भारतवासियों द्वारा बोली जाती हो;

(4) सारे देश को उसे सीखने में आसानी हो; और

(5) ऐसी भाषा को चुनते समय आरज़ी या क्षणिक हितों पर ध्यान न दिया जाए ।

उनका विचार था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है, जिसमें उपर्युक्त सभी गुण मौजूद हैं। वे जिस हिन्दी के पक्ष में थे, वह एक ऐसी सरल बोलचाल की भाषा थी, जिसे हिन्दू और मुसलमान, दोनों ही स्वीकार कर लें।

भारत के संविधान में (अनुच्छेद, 343) हिन्दी को संघ की राजभाषा, केन्द्र तथा राज्यों के बीच संपर्क की भाषा और राज्यों के बीच परस्पर व्यवहार की भाषा (अनुच्छेद 346) घोषित करने के पहले जो विचार-विमर्श हुआ, वह सामान्यतया हिन्दी भाषा के स्वरूप के बारे में था कि वह साहित्यिक और अलंकृत हो या सरल और बोलचाल की और अंग्रेजी को जारी रखने के लिए समय देने के बारे में था । बहुत ही कम लोगों ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के खिलाफ बहस की थी और वह भी गंभीरता से नहीं।

हिंदी को भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बनाने की दृष्टि से 351वें अनुच्छेद में यह निदेश दिया गया था कि हिन्दी का विकास इस प्रकार किया जाए कि उसमें हिन्दुस्तानी और संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित दूसरी भारतीय भाषाओं के रूप, शब्दावलियों और पदावलियों का समावेश हो और

आवश्यकता के अनुसार दूसरी भारतीय भाषाओं के शब्दों को भी उसमें लिया जाए ।

संविधान की यह परिकल्पना थी कि राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग धीरे-धीरे हो इसलिए संविधान लागू होने के बाद पहले पन्द्रह वर्ष तक, यानी 1965 तक, आमतौर पर अंग्रेजी का उपयोग होना था और हिन्दी का इस्तेमाल अंग्रेजी के अलावा केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाना था, जिनके लिए राष्ट्रपति निर्देश देते । यह व्यवस्था की गई कि एक राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति हिन्दी की स्थिति का जायजा ले और इस बात पर विचार करे कि क्या निर्धारित समय तक अंग्रेजी की जगह पर हिन्दी को लागू करना संभव है ? संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह यदि चाहे तो कानून बनाकर पन्द्रह वर्ष की निर्धारित अवधि को आगे बढ़ा सकती है ।

राजभाषा आयोग (1955) ने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और संसदीय समिति ने आयोग की सिफारिशों की जाँच करके अपनी रिपोर्ट 1959 में पेश की । दोनों का यह मत था कि अंग्रेजी को 1965 के बाद भी एक सह-राजभाषा के रूप में जारी रखा जाना चाहिए ।

समिति ने यह राय भी जाहिर की कि हिन्दी को अंग्रेजी की जगह देने के लिए कोई तारीख तय न की जाए और परिवर्तन की इस प्रक्रिया का विकास और नियमन इस प्रकार किया जाए कि इसको पूरा करने में कोई काम न रुके और दिक्कत भी कम से कम ही हो । साथ ही, परिवर्तन की गति निर्धारित करते समय अन्य बातों के साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि हिन्दी का अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में विकास हो और उनके मौजूदा सरकारी कर्मचारियों की भाषा की जानकारी और क्षमता का भी ध्यान रखा जाए।

तत्कालीन प्रधान मंत्री पं० नेहरू ने संसद में बार-बार यह आश्वासन दिया कि हिन्दी हरगिज लादी नहीं जाएगी, और अंग्रेजी तब तक एक वैकल्पिक भाषा के रूप में जारी रहेगी, जब तक कि अहिन्दी-भाषी राज्य चाहें और अंग्रेजी को समाप्त करने का निर्णय हिन्दी-भाषी लोगों पर नहीं, बल्कि अहिन्दी-भाषी लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए । लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में अंग्रेजी एक प्रमुख भाषा के रूप में जारी नहीं रह सकती ।

राजभाषा आयोग और संसदीय समिति की अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की सिफ़ारिशों को लागू करने की दृष्टि से और साथ ही उपर्युक्त आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 बनाया गया । स्वर्गीय पंडित नेहरू ने 24 अप्रैल, 1963 को राजभाषा विधेयक पर हुई बहस के दौरान एक बार फिर निम्नलिखित आश्वासन दिया था :—

"लेकिन यह परिवर्तन एकदम नहीं हो सकता । हम इस परिवर्तन के लिए कोई तारीख निश्चित नहीं कर सकते और यह नहीं कह सकते कि अमुक तारीख से अंग्रेजी का इस्तेमाल खत्म होकर हिन्दी का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा । यह परिवर्तन धीरे-धीरे लाना होगा। इस परिवर्तन में तारीखें अहमियत नहीं रखती । इनकी अहमियत केवल इतनी हो सकती है कि हम समय-समय पर इस परिवर्तन का जायजा लें और यह देखें कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं ।"

लेकिन, अहिन्दी-भाषियों का यह कहना था कि राजभाषा अधिनियम की धाराओं में आश्वासन पूरी तरह नहीं आ पाए थे, इसलिए 1967 में राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया गया।

संशोधित राजभाषा अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि 1965 के बाद भी हिन्दी के साथ-साथ संघ के सभी सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा और संकल्प, सामान्य आदेश, अधिसूचनाएँ, रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संविदा और करार जैसे कागज-पत्रों के लिए, जिनका उल्लेख अधिनियम की धारा 3(3) में किया गया है, हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों ही भाषाओं का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा । अधिनियम में यह भी कहा गया है कि केन्द्र और हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले राज्यों के बीच तथा ऐसे राज्यों और हिन्दी-भाषी राज्यों के बीच पत्राचार अंग्रेजी में ही होगा । हां, यदि अहिन्दी-भाषी राज्य चाहते हैं तो उनके साथ हिन्दी में पत्राचार किया जा सकता है । अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाते समय सरकार को यह देख लेना चाहिए कि किसी भी कर्मचारी को हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में प्रवीणता न हासिल करने के कारण कोई नुकसान न पहुंचे।

अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि उपर्युक्त उपबंधों के अनुसार अंग्रेजी का प्रयोग तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें खत्म करने के लिए हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले राज्यों के विधान मंडल संकल्प पास न करें और उन संकल्पों पर विचार करके संसद का हरेक सदन भी ऐसा ही न करे। इस प्रकार यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई थी कि संघ के कामकाज में संघ और अहिन्दी-भाषी राज्यों के बीच पत्राचार में प्रयोग की समाप्ति का निर्णय अहिन्दी-भाषी राज्यों पर निर्भर है और जब तक एक भी ऐसा राज्य चाहेगा, अंग्रेजी चलती रहेगी ।

राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 के पास होने के साथ ही संसद के दोनों सदनों ने एक संकल्प स्वीकार किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार को निदेश दिया गया था कि वह सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करके उस पर अमल करे । उस कार्यक्रम की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए संकल्प में यह भी व्यवस्था की गई थी कि सरकार संसद के दोनों सदनों में एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट

भी प्रस्तुत करे, जिसमें कार्यक्रम को लागू करने के बारे में पूरा ब्यौरा दिया गया हो । संकल्प ने भारत सरकार को यह भी जिम्मेदारी सौंपी कि वह भारत की सभी प्रमुख पन्द्रह भाषाओं के समन्वित विकास के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार करे और उसे लागू करे । संकल्प में केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के मसले पर विचार किया गया और कहा गया कि संघ लोक सेवा आयोग से कार्यविधि के बारे में राय लेने के बाद अखिल भारतीय और उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के वैकल्पिक प्रयोग की अनुमति दी जाए । केन्द्रीय सेवाओं या पदों पर भर्ती के लिए यह वांछनीय समझा गया कि जिन सेवाओं या पदों के लिए केवल हिन्दी या केवल अंग्रेजी या दोनों का ही उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक है, उन्हें छोड़कर शेष सभी सेवाओं या पदों के लिए हिन्दी या अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य कर दिया जाए ।

ऊपर राजभाषा संबंधी उन सांविधानिक और कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें भारत सरकार को लागू करना चाहिए। इससे पता चलता है कि सरकारी कामकाज में एक दीर्घकालीन द्विभाषी अवस्था चल रही है, जिसमें केन्द्र सरकार के कर्मचारी को यह छूट दे दी गई है कि वह सरकारी कामकाज में हिन्दी या अंग्रेजी; दोनों भाषाओं में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है और उसे अपने नोट या मसौदे का (चाहे वह हिन्दी में हो या अंग्रेजी में) दूसरी भाषा में स्वयं अनुवाद नहीं देना होगा। लेकिन साथ ही कुछ प्रयोजनों के लिए दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। जाहिर है कि इन व्यवस्थाओं का देश भर में फैले हुए सभी कार्यालयों में एक साथ अनुपालन होना संभव नहीं था। इसके लिए जरूरी था कि अनुवाद कार्य और टाइपराइटरों आदि की व्यापक स्तर पर व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए जाएं। लिहाज़ा, सरकार ने एक समयबद्ध योजना तैयार की, जो प्रशासनिक कठिनाइयों को देखते हुए न केवल वांछनीय थी बल्कि आवश्यक भी।

पहले चरण में उन कार्यालयों पर जोर दिया जाना था जो हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित हैं, और दूसरे चरण में उन्हीं प्रदेशों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर ध्यान दिया जाना था। तीसरे चरण में केन्द्रीय सरकार के अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के लिए कार्रवाई करनी थी और चौथे में उन क्षेत्रों में स्थित उपक्रमों के लिए। लेकिन, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी में सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के बारे में सभी कार्यालयों में समान बल दिया जाना है, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में स्थित हों।

यहां यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा नहीं था कि दूसरे चरण में की जाने वाली कार्रवाई तभी करनी थी, जबकि पहले चरण में नीति पूरी तरह से लागू की जा चुकी हो। चरण तो केवल नीति पर अमल करने के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं को लागू करने के संबंध में दी जाने वाली प्राथमिकता के द्योतक मात्र हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत नियम जून, 1976 में बन पाए, इस बीच अधिनियम के उपबन्धों का पालन प्रशासनिक आदेशों द्वारा कराया जाता रहा। नियमों में यह व्यवस्था की गई कि पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़कर, जो केन्द्र सरकार के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने के लिए सहमत हो गए हैं, शेष सभी अहिन्दी-भाषी राज्यों के कार्यालयों या व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्र सामान्यतया अंग्रेजी में ही हों। जहां तक पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप-समूह के साथ पत्राचार का संबंध है, वह सामान्य रूप से हिन्दी में किया जाएगा । परन्तु इन राज्यों की जनता के साथ पत्र-व्यवहार में हिन्दी या अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। हिन्दी-भाषी राज्यों के अधिकारियों या उन राज्यों में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ जो पत्र-व्यवहार किया जाएगा, वह आमतौर पर हिन्दी में ही होगा। मंत्रालयों के बीच आपसी पत्राचार हिन्दी या अंग्रेजी दोनों में से किसी भी भाषा में किया जा सकता है। नियमों के कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपबन्ध इस प्रकार हैं :—

(क) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित उनके कार्यालयों के बीच पत्र-व्यवहार हिन्दी में निर्धारित अनुपात में होगा, जो फिलहाल 60 प्रतिशत है। परन्तु ऐसे राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार के दूसरे कार्यालयों के बीच पत्र आदि हिन्दी में होंगे।

(ख) अहिन्दीभाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार में हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में से किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है।

(ग) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों में हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि ये हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में जारी हो।

(घ) केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी फाइल पर अपना नोट या मसौदा हिन्दी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उसे उसका दूसरी भाषा में अनुवाद देने की जरूरत नहीं है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और अन्य कार्यविधि-साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों में द्विभाषिक रूप से तैयार किए जाएंगे। सभी फार्म, रजिस्टरों के शीर्षक, नामपट्ट, सूचना पट्ट और लेखन-सामग्री आदि के नाम हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होंगे।

सरकारी कर्मचारी हिन्दी का प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए

(च) हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिन्दी में दिए जाएँगे। जब भी कोई आवेदन-पत्र, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में प्राप्त हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों, तो उसका उत्तर हिन्दी में ही दिया जाएगा।

(छ) जिन कार्यालयों में 80 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है, उन्हें अधिसूचित किया जा सकता है और इन कार्यालयों में से कुछ को विनिर्दिष्ट (स्पसीफाई) किया जा सकता है, ताकि उनमें काम करने वाले हिन्दी में प्रवीण कर्मचारियों से नोटिंग ड्राफ्टिंग आदि में केवल हिन्दी का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा सके।

राजभाषा नियम, 1976 पैरा 10(4)क के संदर्भ में अभी तक अधिसूचित मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों की संख्या इस प्रकार है :—

(1) भारत सरकार के मुख्य मंत्रालय और विभाग . . .	14
(2) रेल मंत्रालय के कार्यालय .	12
(3) वाणिज्य मंत्रालय के कार्यालय	12
(4) उद्योग मंत्रालय के कार्यालय .	8

(ज) ये नियम तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होंगे।

(झ) प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम और इन नियमों का समुचित रूप से पालन किया जाए।

राजभाषा संबंधी कानूनी और सांविधानिक उपबन्धों को लागू करने के बारे में नीति का निर्धारण केन्द्रीय हिन्दी समिति द्वारा किया जाता है। प्रधान मंत्री जी इस समिति के अध्यक्ष हैं। यह समिति हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रमों का अनुमोदन कर यह सुनिश्चित करती है कि अंग्रेजी से हिन्दी में परिवर्तन ढंग से हो और इस प्रक्रिया में किसी को कोई असुविधा न हो।

प्रत्येक मंत्रालय और विभाग की कुछ अपनी समस्याएँ होती हैं, इसलिए केन्द्रीय हिन्दी समिति द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम को लागू करने के लिए इसे अपनी उप-नीति बनानी पड़ती है। इसी प्रयोजन से 17 मंत्रालयों/विभागों में संबंधित मंत्रियों की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समितियाँ काम कर रही हैं। संसद सदस्य, विद्वज्जन और अन्य प्रमुख नागरिक इन समितियों के सदस्य नामित किए जाते हैं, ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि जो कार्यक्रम तैयार किए जाएँ, वे ठोस हों।

संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार कोई भी राज्य अपने यहाँ प्रयुक्त किसी भाषा को या हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपना सकता है। संविधान के अनुच्छेद 347 में राष्ट्रपति को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह किसी भी राज्य को यह निदेश दे सकते हैं कि वह अपने समस्त राज्य या उसके किसी भाग के लिए किसी भी भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में मान्यता दें, बशर्तें कि उस भाषा को बोलने वालों की संख्या काफी हो। सभी राज्यों ने अपनी-अपनी राजभाषाएँ घोषित कर दी हैं और ऐसा मालूम होता है कि सरकारी कामकाज में उन भाषाओं के प्रगामी प्रयोग के लिए कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं और उन पर अमल भी शुरू हो गया है।

राजभाषा-नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भाषायी अल्प-संख्यकों को उन इलाकों या प्रदेशों में, जहां उनकी अच्छी खासी आबादी है, सरकारी कामकाज में उनकी अपनी भाषाओं के प्रयोग के लिए पर्याप्त सुविधाएँ दी जाएँ। इस विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए अनेक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए गए जिनमें राज्यों के मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों का सम्मेलन सबसे अधिक महत्वपूर्ण था जो अगस्त, 1961 में हुआ था। इस सम्मेलन में जो अहम फैसले किए गए, उनमें एक था कि किसी भी जिले में यदि वहाँ की कम से कम साठ प्रतिशत जनता राजभाषा के अलावा किसी दूसरी भाषा को बोलती या उसका किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करती है, तो उसे उस जिले की राजभाषा के रूप में मान्यता दी जाए और दूसरा यह कि किसी जिले या नगरपालिका या तहसील में सरकार की सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं, नियमादि अल्पसंख्यकों की भाषा में भी प्रकाशित किये जाएँ, बशर्ते कि उनकी संख्या कुल आबादी की 15 से 20 प्रतिशत तक हो। सम्मेलन में यह भी निर्णय किया गया था कि जनता से जो याचिकाएं राजभाषा के अलावा किसी दूसरी भाषा में प्राप्त हों तो उन्हें स्वीकार किया जाए और जहां तक संभव हो, उनके उत्तर भी उसी भाषा में दिए जाएँ।

संविधान के अनुच्छेद 350 (ख) के अन्तर्गत नियुक्त भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त का काम इस बात पर निगरानी रखना है कि इन निर्णयों पर अमल हो रहा है या नहीं और जहां उन्हें कुछ कमियां दिखाई दें, वे संबंधित राज्य से उन्हें दूर करने का अनुरोध करें। अब तो अल्पसंख्यकों का आयोग स्थापित हो चुका है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है, चाहे वे अल्पसंख्यक भाषायी हों या धार्मिक। अनुच्छेद 350 (ख) के अधीन भाषायी अल्पसंख्यकों का विशेषाधिकारी ही इस आयोग का पदेन सचिव होगा।

संविधान के अनुच्छेद 348(1) में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई है कि जब तक संसद किसी दूसरी प्रकार की व्यवस्था न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियों तथा केन्द्र और राज्यों के सभी अधिनियमों, विधेयकों, अध्यादेशों और संविधान के अधीन अथवा किसी राज्य अथवा केन्द्रीय विधि

के अधीन जारी किए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों या उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे। तथापि, इस अनुच्छेद के खंड (2) में यह उपबन्ध किया गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से किसी राज्य का राज्यपाल हिन्दी अथवा राज्य के सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त की जाने वाली किसी अन्य भाषा के प्रयोग को ऐसे उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए प्राधिकृत कर सकता है, जिसका मुख्यालय उस राज्य में हो, परन्तु निर्णयों, डिक्रियों और आदेशों के लिए अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाएगा। (इसके लिए बाद में राजभाषा अधिनियम की धारा 7 में व्यवस्था की गई)।

अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के लिए, अंग्रेजी भाषा के अलावा हिन्दी अथवा राज्य की राजभाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है और जहां कहीं ऐसा किया जाएगा, वहां निर्णय आदि के हिन्दी पाठ के साथ-साथ उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी दिया जाएगा। अब तक उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान और बिहार के राज्यपालों ने अपने उच्च न्यायालयों में उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए राष्ट्रपति से हिन्दी के प्रयोग की अनुमति ली है।

संविधान के अनुच्छेद 120(1) के अधीन संसद की कार्यवाही हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होगी। लेकिन राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष, किसी भी ऐसे सदस्य को, जो हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अच्छी तरह से अपने विचार व्यक्त न कर सकता हो, सदन में अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। अनुच्छेद 120(2) के अनुसार 26 जनवरी, 1965 के बाद संसद की कार्यवाही केवल हिन्दी में (और विशेष मामलों में मातृभाषा में) होगी, बशर्ते कि संसद विधि द्वारा कोई दूसरी व्यवस्था न करें। उल्लेखनीय है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(1) में 26 जनवरी, 1965 के बाद भी संसद के कार्य-कलाप में हिन्दी के अलावा अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की व्यवस्था कर दी गई है।

जो भाषा दूसरी भाषाओं के शब्दों के लिए अपने दरवाजे बन्द कर देती है, वह कभी भी फल-फूल नहीं सकती और कुछ समय के बाद मर जाती है। इसी का ध्यान रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 351 में निदेश दिया गया है कि हिन्दी का विकास अन्य भारतीय भाषाओं के रूप में, शैली और पदावली का समावेश करके किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा लगता है कि सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी के जिस रूप का प्रयोग किया जाने लगा, वह इन निदेशों के अनुरूप नहीं था और अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों के प्रयोग में संकोच किया जाता था। लोगों को गलतफहमी थी कि सरकारी कामकाज में केवल साहित्यिक और अलंकृत हिन्दी का ही प्रयोग किया जा सकता है। यह स्वाभाविक था कि सरकार को इससे खासी चिन्ता होती और इसलिए यह बात स्पष्ट की गई कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा देने की क्षमता ही किसी भी भाषा का एक आवश्यक गुण है और हिन्दी इसका अपवाद नहीं हो सकती, इसलिए हिन्दी में नोट और मसौदे लिखते समय दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का उपयोग करने में जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिए। यह भी कहा गया कि आधुनिक यंत्रों, तरह-तरह के पुरजों और नये जमाने की चीजों के जो अंग्रेजी नाम प्रचलित हैं, उनका कृत्रिम अनुवाद करने की बजाय, उन्हें फिलहाल मूल रूप में ही देवनागरी लिपि में लिख दिया जाए।

हिन्दी के क्रमिक प्रयोग के प्रश्न पर अन्य भाषाओं को छोड़ कर अलग से विचार नहीं किया जा सकता। वास्तव में सभी प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग के लिए एक समन्वित कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए, तभी वे अपने-अपने क्षेत्र से अंग्रेजी को हटाने में सफल होंगी। यदि इस सम्बन्ध में समन्वित नीति अख्तियार न की गई हो तो वह न केवल इन भाषाओं के लिए बल्कि राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य के लिए भी घातक सिद्ध होगी। यही नहीं, यदि ऐसा हुआ तो संविधान-निर्माताओं का अंग्रेजी हटा कर भारतीय भाषाओं को प्रतिष्ठित करने का सपना कभी साकार न हो पाएगा। हमारा लक्ष्य सर्वविदित है और हमें उसकी ओर अपनी नीति के अनुसार आगे बढ़ना है। प्रगति अवश्य होगी, भले ही वह धीमी हो। भाषा के मामले में जल्दबाजी से काम लेना कभी भी वांछनीय नहीं होता।

[अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका से साभार]

OOO

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन :

विवरण और सिफारिशें

सरकारी कामकाज में भारतीय भाषाओं के प्रयोग की स्थिति पर विचार करने के लिये सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में 1, 2 और 3 मार्च को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया और उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता गृह मंत्री ने की। सम्मेलन का समापन भाषण गृह राज्य मंत्री श्री धनिक लाल मंडल ने दिया।

सम्मेलन के पहले दिन के कार्यसत्र की अध्यक्षता पर्यटन और नागर विमानन मंत्री श्री पुरुषोतम कौशिक ने की। 2 मार्च, 1978 के एक सत्र की अध्यक्षता रेल मंत्री प्रो० मधु दण्डवते ने और दूसरे सत्र की अध्यक्षता विधि राज्य मंत्री श्री नरसिंह यादव ने की। बिहार के मुख्य मंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर ने सम्मेलन में तीनों दिन भाग लिया और 2 मार्च, 1978 को एक सत्र की अध्यक्षता भी की। मध्य प्रदेश के भाषा मंत्री श्री जंगबहादुर सिंह भी सम्मेलन में उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में राज्यों, केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के लगभग 200 वरिष्ठ अधिकारियों आदि ने भाग लिया।

1,2,3 मार्च 1978 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए राजभाषा विभाग के अधिकारी

सम्मेलन के अवसर पर विचार-विमर्श करते हुए प्रतिनिधिगण ।

सम्मेलन ने महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं उनका विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

'क' सरकारी कामकाज में भारतीय भाषाओं का प्रयोग

1. विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार ने भारतीय भाषाओं को राजभाषाओं के रूप में प्रयोग में लाने के लिये जो अधिनियम और नियम बनाये हैं, या आदेश जारी किए हैं ये पर्याप्त नहीं प्रतीत होते। अभी भी कई कामों को अंग्रेजी में ही करने की अनिवार्यता बनी हुई है और कई मामलों में अंग्रेजी के प्रयोग की छूट दी हुई है। इस प्रकार की अनिवार्यता और छूट को शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए ।

2. राजभाषाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में बनाए गए कानूनों और आदेशों का कोई अर्थ ही न रह जाएगा यदि उनका कार्यान्वयन ठीक प्रकार से न हो । कई राज्यों में तथा केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों में भी अभी कार्यान्वयन का काम देखने वाली मशीनरी मजबूत नहीं है । इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है । सरकार के विभिन्न कार्यालयों से नियमित रूप से आवधिक रिपोर्टें तो मँगाई ही जानी चाहिए, उन कार्यालयों का निरीक्षण करके भी यह देखना चाहिए कि वहां सरकारी आदेशों के अनुसार कितना कितना काम संबंधित राजभाषाओं में हो रहा है, आदेशों के अनुपालन में क्या कमियाँ हैं तथा क्यों, और उन्हें किस प्रकार दूर किया जाए ।

3. राज्यों में उनकी राजभाषाओं में काम हो रहा है पर इनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। सभी राज्यों में ऐसा समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए जिससे वहाँ का सारा काम दो साल के भीतर उनकी राजभाषाओं में होने लगे।

4. प्रत्येक राज्य में मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राजभाषा समिति और सरकार के विभागों और नीचे के कार्यालयों में अधिकारियों की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन होना चाहिए। वे समितियाँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजभाषाओं के प्रयोग को सुनिश्चित करेंगी।

5. केन्द्रीय स्तर पर एक स्थाई समिति बनाई जाए जिसमें केन्द्रीय सरकार के, राज्य सरकारों के, उपक्रमों के और गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि रहें। राज्यों की राजभाषा समितियाँ इस स्थाई समिति को अपने यहाँ की स्थिति के बारे में तिमाही रिपोर्ट दें।

6. राजभाषा का काम अनेक जगह अभी तक अनुवाद के माध्यम से किया जा रहा है। यह स्थिति राजभाषाओं की प्रगति में बाधक हैं। कुछ कामों के लिए अनुवाद की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अधिकांश काम मौलिक रूप से ही राजभाषाओं में किया जाना चाहिए।

7. सभी राज्यों में स्वतन्त्र राजभाषा विभाग की स्थापना की जानी चाहिए और उसे राजभाषा नीति के निर्धारण, कार्यान्वियन, अनुवाद, प्रशिक्षण, भाषाओं के विकास आदि के कार्य सौंपे जाने चाहिएं। इस विभाग के अधिकारियों को पर्याप्त अधिकार दिये जाएं जिससे वे कार्यान्वियन उचित ढंग से करा सकें।

8. राजभाषा के काम के लिये स्टाफ, टाइपराइटर, छपाई, टेलीप्रिंटर, कम्प्यूटर आदि जिन साधनों की आवश्यकता है उन्हें जुटाने के लिये आवश्यक वित्तीय मंजूरी दी जानी चाहिए। उस काम को बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम रखे जाएँ उन्हें 'योजनागत व्यय' माना जाए और उनके लिये अन्य योजनाओं की भांति बजट में प्रावधान किया जाए।

9. अच्छा हो यदि मुख्यमंत्री, मंत्रीगण तथा उच्च स्तर के अधिकारी राजभाषाओं में स्वयं काम करें ताकि नीचे के कर्मचारियों को भी वैसा करने की प्रेरणा मिले।

10. भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिन अधिकारियों को राज्यों में नियुक्ति के लिए चुना जाता है उन्हें वहां तैनात करने से पहले राज्य की राजभाषाओं में अच्छा प्रशिक्षण दे दिया जाना चाहिए जिससे वे वहां सरकारी कामकाज अंग्रेजी में नहीं बल्कि उस क्षेत्र की राजभाषा में अच्छी तरह कर सकें।

11. जहां-जहां आवश्यक साधनों की कमी के कारण राजभाषाओं के प्रयोग में अभी तक विशेष प्रगति नहीं हो पाई है, वहां राजभाषा में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन-वृद्धि, नकद पुरस्कार, प्रशंसा पत्रों आदि के रूप में समुचित प्रोत्साहन दिये जाने चाहिएं। लेकिन जहां सुविधाओं का अभाव नहीं है और राजभाषाओं में काम करने के आदेश काफी समय पहले निकल चुके हैं, वहां यदि राजभाषाओं का ज्ञान रखने वाले अधिकारी तथा कर्मचारी आदेशों की लगातार अवहेलना करें तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना भी अनुचित न होगा।

12. राजभाषा का काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा-शर्तों को सुधारने और उन्हें पदोन्नति के उचित अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिएं।

13. जो कर्मचारी राजभाषा की टाइपिंग तथा आशुलिपि में काम करने की क्षमता बनाए रखें और उसमें काम भी करें, उन्हें विशेष वेतन दिया जाए।

14. प्रशासकीय भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए जिसे सामान्य कर्मचारी या जनता आसानी से समझ सके।

15. प्रथम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन बहुत ही उपयोगी रहा है ऐसा सम्मेलन वर्ष में एक बार अवश्य किया जाना चाहिए। वह सम्मेलन देश के विभिन्न भागों में बारी बारी से किया जाए।

16. राजभाषाओं के प्रयोग के बारे में गम्भीरता लाने के लिए 1978-79 को सारे देश में 'राजभाषा वर्ष' के रूप में मनाया जाये जिसमें राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालय इस बात का गम्भीर प्रयत्न करें कि अधिकतम सरकारी कामकाज उनकी राजभाषाओं में हो।

17. विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषाओं की प्रगति तथा उस विषय में अनुभव होने वाली कठिनाइयों के बारे में यदि सूचनाओं का आदान-प्रदान हो तो उससे समान समस्याओं का पता लगाने और उनका हल निकालने में मदद मिलेगी। इसलिये, केन्द्रीय सरकार के राजभाषा विभाग को 'राजभाषाओं का विभाग' बनाकर उसे इस समन्वय के काम की जिम्मेवारी सौंपी जानी चाहिए और उसके लिये केन्द्रीय शासन को समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

18. अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में जनता से जो पत्र क्षेत्रीय भाषाओं में प्राप्त होते हैं उन पर तत्परता से कार्रवाई कर सकने के लिए उन पत्रों के हिन्दी या अंग्रेजी में अनुवाद की व्यवस्था की जानी चाहिए।

19. हिन्दी भाषी राज्यों में वायरलेस सन्देश अभी तक अंग्रेजी में ही जाते रहे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय को शीघ्र ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हिन्दी भाषी क्षेत्रों को भेजे जाने वाले वायरलेस सन्देश हिन्दी में भेजे जा सकें।

20. केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में एक निगम की स्थापना करे जो भारतीय भाषाओं के टाइपराइटरों, टेलीप्रिंटरों और अन्य यांत्रिक सुविधाओं के उत्पादन के लिये काम करे और भारतीय भाषाओं में छपाई की टैक्नोलोजी विकसित करे। इस निगम में विभिन्न संबंधित क्षेत्रों में अनुसन्धान करने के लिए एक अनुसन्धान पक्ष भी होना चाहिए।

'ख' सरकारी उपक्रमों में भारतीय भाषाओं का प्रयोग

21. राज्य सरकारों को चाहिए कि वे निम्नलिखित कार्रवाई यथाशीघ्र करें:—

(1) यदि किसी राज्य में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उस राज्य की राजभाषा के प्रयोग के लिए आवश्यक अधिसूचना अब तक जारी नहीं की गई है, तो ऐसी अधिसूचना तत्काल जारी की जाए।

(2) इन उपक्रमों में राजभाषाओं के प्रयोग के लिये समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर उसे कार्यान्वित किया जाए तथा उसके लिए उचित मशीनरी की व्यवस्था की जाए।

(3) इन उपक्रमों में राजभाषाओं के टाइपराइटर मंगाने, कर्मचारियों को उन भाषाओं में सेवाकालीन प्रशिक्षण देने, फार्मों आदि का अनुवाद कराने, कर्मचारियों को सहायक साहित्य उपलब्ध कराने आदि के लिये तत्काल कदम उठाये जाएं।

(4) इन उपक्रमों में राज्यों की राजभाषाओं को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन दिए जाएं।

'ग' लोक सेवाओं में भारतीय भाषाओं का प्रयोग

22. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं में अंग्रेजी के पर्चे को छोड़कर अन्य विषयों में सभी राज्यों की राजभाषाओं को माध्यम के रूप में प्रयुक्त किये जाने की छूट देने का जो निर्णय किया गया है उसे 1978 तक पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। आयोग द्वारा इन विषयों के प्रश्न-पत्रों को भी सभी राज्यों की राजभाषाओं में तैयार किए जाने की कार्रवाई की जानी चाहिए।

23. सभी अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं में संविधान के अष्टम सूची में उल्लिखित किसी एक आधुनिक भारतीय भाषा का एक पर्चा अनिवार्य होना चाहिए।

24. लालबहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में और विविध राज्यों में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रोबेशनरों को राजभाषाओं का प्रशिक्षण देने के लिये इस समय जो सुविधायें उपलब्ध हैं, ये पर्याप्त नहीं हैं और इस प्रशिक्षण के लिए जो अवधि निर्धारित की गई है वह भी पर्याप्त नहीं हैं। इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

25. अखिल भारतीय सेवाओं के प्रोबेशनरों के लिए राज्यों में नियुक्त होने के बाद एक वर्ष के भीतर राजभाषा की समुचित स्तर (हायर सैकंड्री स्तर) की परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया जाए। इसके लिए राज्य सरकारें सेवाकालीन प्रशिक्षण देने की पर्याप्त व्यवस्था करें।

26. राज्यों के लोक सेवा आयोगों और अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी या हिन्दी के अतिरिक्त राज्यों द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी भारतीय भाषा में (जिसमें राजभाषा भी शामिल है), एक अनिवार्य प्रश्न-पत्र होना चाहिए जो परीक्षार्थी राज्य की राजभाषा से भिन्न किसी दूसरी भाषा का विकल्प दे उन्हें सेवा में आने के बाद राजभाषा में निर्धारित परीक्षा देनी चाहिए।

27. जिन सरकारी कर्मचारियों को राजभाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाना है उनके संबंध में ऐसे उपाय किए जाएं जिनसे कर्मचारियों को 45 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही प्रशिक्षण दे दिया जाए ताकि राजभाषा नियमों के कार्यान्वियन में कोई कठिनाई न हो।

28. लोक सेवा आयोगों तथा अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा ली जाने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के माध्यम के रूप में राज्यों की राजभाषाओं का प्रयोग करने की नीति में एकरूपता होनी चाहिए। इसके लिए सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती एजेंसियां शीघ्र ही अपने-अपने राज्य की राजभाषा को सभी भर्ती परीक्षाओं के वैकल्पिक माध्यम के रूप में स्वीकार करें।

घ—विधि के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं का प्रयोग

29. केन्द्रीय अधिनियमों, राज्य अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों का अनुवाद कार्य 6 वर्ष के भीतर समाप्त करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए। इस बारे में प्रगति पर निगरानी रखने के लिए एक अधिकार सम्पन्न समिति गठित की जाए जो प्रति वर्ष इस बारे में प्रगति पर निगाह रखे और शीघ्र क्रियान्वयन कराए।

30. (क) अधिनियमों का प्रकाशन द्विभाषी रूप में अर्थात् अंग्रेजी और राज्य की राजभाषा में एक साथ किया जाए।

(ख) केन्द्रीय अधिनियमों के इस प्रकार के द्विभाषी संस्करणों का खर्च केन्द्रीय सरकार वहन करे।

31. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 में राज्यों के अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद किए जाने का उपबन्ध किया गया है। एकरूपता और अनुवाद के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि यह कार्य केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले।

32. प्राधिकृत अनुवाद पुस्तक (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 को यथासंभव शीघ्र लागू किया जाए।

33. (क) विधियों का मूल प्रारूपण राज्यों की राजभाषाओं में किया जाए।

(ख) संघ में भी मूल प्रारूपण हिन्दी में करने की व्यवस्था की जाए।

(ग) भारतीय भाषाओं में प्रारूपण करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(घ) भारतीय भाषाओं में मानक प्रारूप तैयार किए जाने चाहिएं जिनका भारतीय भाषाओं में काम करने वाले प्रारूपकार प्रयोग कर सकें।

(ङ) भारतीय भाषाओं में काम करने वाले प्रारूपकार को प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हें उच्चतर वेतनमान आदि दिया जाना चाहिए।

34. राज्य सरकारें अपने राज्य की भाषा में मानक निर्णयों का संकलन करें। राज्य सरकारें विधिक शब्दावली भी तैयार कराएं। यह संग्रह और शब्दावली और राज्यों की राजभाषा में अधिनियमों की प्रतियां पर्याप्त संख्या में न्यायालयों में उपलब्ध होनी चाहिएं।

35. एक अखिल भारतीय शब्दावली के सिद्धान्त को खेर आयोग ने प्रतिपादित किया था और पंत कमेटी ने इसे स्वीकार किया था। उक्त आयोग और समिति की सिफारिश के अनुसरण में 1960 के राष्ट्रपति के आदेश में यह कहा गया था कि एक अखिल भारतीय शब्दावली का निर्माण किया जाए, जिसमें जहां तक हो सके यथासंभव अधिकतम

एकरूपता हो। इस शब्दावली को स्वीकार करने और उसको प्रयोग करने के बाद राज्यों को उस शब्दावली को छोड़कर अन्य शब्द नहीं अपनाने चाहिएं भविष्य में भी इसी शब्दावली को अपनाया जाए और प्रयोग किया जाए।

36. राज्यों के उच्च न्यायालयों के प्रकाशन-योग्य निर्णयों का अनुवाद राज्यों की राजभाषा में उच्च न्यायालय द्वारा कराया जाना चाहिए।

37. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 का संशोधन किया जाए जिससे उच्च न्यायालय द्वारा राज्य की भाषा में दिए गए प्रत्येक निर्णय का अंग्रेजी में अनुवाद आवश्यक न रहे। जहां आवश्यक हो वहां निर्णयों के अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए उचित व्यवस्था की जाए।

38. न्यायिक अधिकारियों के पद के लिए जिन लोगों का चयन किया जाता है उन्हें राज्य की राजभाषा में प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वह अपने निर्णय आदि अपनी राज्य की राजभाषा में दे सकें।

39. अपर-जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश जैसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को राज्य की राजभाषा में काम करने के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्यशालाओं की व्यवस्था की जाए जिससे वे अपना काम अपने राज्य की भाषा में कर सकें।

40. राज्यों को चाहिए कि वे अपने विधि अधिकारियों को अर्थात् अधिवक्ताओं को यह निर्देश दें कि वे न्यायालयों में जहां तक हो सके केवल राज्य की राजभाषा में ही बहस करें, ताकि बाद में चल कर पूरा काम राज्य की राजभषाओं में हो सके।

41. राज्य स.कारें शपथ-पत्र, वाद-पत्र और लिखित कथन केवल अपने राज्य की राजभाषा में ही प्रस्तुत करें जिससे अन्ततोगत्वा यह कार्य पूरा पूरा राज्य की राजभाषाओं में हो सके।

42. अधीनस्थ न्यायालयों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वह अपने निर्णय डिग्री और आदेश अपने राज्य की भाषा में पारित करें।

43. विश्वविद्यालयों को विधि की पढ़ाई राज्यों की राजभाषा ों के माध्यम से करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

44. बार कौंसिल ने जो यह नियम बनाया है कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षा पास करने वाले विधि स्नातक अंग्रेजी की परीक्षा अनिवार्य रूप से पास करें इसे निरस्त किया जाए।

45. उच्चतम न्यायालय की कार्रवाईयों के लिए हिन्दी के विकल्प की व्यवस्था की जानी चाहिए और इसके लिए संविधान की धारा 348 में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।

[शेष पृष्ठ 47 पर]

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के समापन के अवसर पर लिया गया चित्र

केन्द्रीय हिन्दी समिति :

गठन और कार्य

भाषा का मसला एक नाजुक मसला है इससे संबंधित समस्याओं पर गम्भीर विचार-विमर्श आवश्यक है क्योंकि इस विषय पर किए गए निर्णयों के दूरगामी परिणाम होते हैं। इसलिए, भाषा सम्बन्धी मामलों में काफी सोच विचार के बाद लोगों का दृष्टिकोण जानकर ही नीति निर्धारित की जाती है। प्रजातांत्रिक देश में तो भाषा सम्बन्धी मामलों में जनता की आशाओं, आकांक्षाओं को जानकर, उसका पूरा सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता और भी अधिक होती है। अगर जनता के विचार जाने बिना सरकार भाषा के बारे में कोई नीति निर्धारित करे या कोई ऐसा निश्चय करे जो जनता की इच्छाओं के अनुकूल न हो, तो वह नीति सफल नहीं हो सकती और न ही लिए गए निर्णय सफलतापूर्वक कार्यान्वित ही किए जा सकते हैं। सामान्यतया किसी विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके यथासंभव सर्वमान्य हल सुझाने और जनता के विचार जान कर उसका सहयोग प्राप्त करने के लिए समितियां बनाई जाती हैं। इन समितियों में मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा संबंधित विषय के अधिकारी विद्वानों के साथ-साथ जनता के कुछ चुने हुए प्रतिनिधि भी रखे जाते हैं जो न सिर्फ अपने विषय के ज्ञाता ही होते हैं, बल्कि जिनमें असंदिग्ध रूप से जन सेवा की भावना भी होती है। इन समितियों के माध्यम से जनता के विचार जानकर और आवश्यक विचार-विमर्श के बाद ही किसी महत्वपूर्ण विषय में, नीति निर्धारित की जाती है।

संविधान लागू होने के दूसरे दशक में जब पूर्व निर्णीत राजभाषा नीति को लागू करने में सरकार के सामने कुछ कठिनाइयाँ आईं और जनता के एक वर्ग में कुछ गलतफहमियाँ होने लगीं, तब सरकार ने राजभाषा अधिनियम के संशोधन के साथ ही एक उच्चतम समिति के गठन का निर्णय किया। इस निर्णय के पालन में सरकार ने केन्द्रीय हिन्दी समिति के नाम से एक ऐसी समिति गठित की जो भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के लिये भाषा सम्बन्धी नीति निर्धारित कर सके और जिसके निर्णय सभी पर लागू हों। यह भी ध्यान रखा गया कि यह समिति राजनीतिक विवाद से परे रहे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख कर 1967 में इस समिति का गठन किया गया।

5 सितम्बर, 1967 को इस सम्बन्ध में जारी किए गए संकल्प में स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह समिति हिन्दी के विकास और प्रसार के सम्बन्ध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों तथा कार्यक्रमों का समन्वय करेगी।

मूल समिति में 13 सदस्य रखे गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इस समिति के अध्यक्ष थे तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार इसके सदस्य सचिव मनोनीत किए गए थे। अध्यक्ष तथा सचिव के अतिरिक्त इस समिति में 5 सरकारी सदस्य (उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, सूचना तथा प्रसारण मंत्री और वित्त मंत्री) थे सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त इस समिति में 6 गैर-सरकारी सदस्य भी रखे गये थे। उस समय सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समितियां काम कर रहीं थीं तथा शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी शिक्षा समिति यह काम देखती थी। इन सलाहकार समितियों से 6 प्रतिनिधियों को गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में इस समिति में रखा गया था। 1970 में इस समिति की सदस्य संख्या 18 हो गई और इसमें सरकारी सदस्यों में एक मंत्री (विदेश मंत्री) और गैर-सरकारी सदस्यों में 4 व्यक्तियों को और नामित कर दिया गया था।

1967 से 1970 के बीच इस समिति की 5 बैठकें हुईं। 1 दिसम्बर, 1972 को इस समिति का पहला पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित समिति में 18 सदस्यों को रखा गया। केन्द्रीय सरकार के प्रमुख मंत्रियों कुछ संसद सदस्यों और विभिन्न मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अहिंदी भाषी प्रदेशों के कुछ विद्वानों और साहित्यकारों को भी समिति का सदस्य नियोजित किया गया। पहले इस समिति के लिये कोई कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया था। पुनर्गठन के समय प्रधान मंत्री जी के निदेश पर इस समिति का कार्यकाल 3 वर्ष निश्चित किया गया। पुनर्गठित समिति का कार्यकाल दिसम्बर, 1975 में समाप्त हुआ और अप्रैल, 1976 में इसका फिर से पुनर्गठन किया गया। इस पुनर्गठन द्वारा अहिन्दी भाषी राज्यों, हिन्दी भाषी राज्यों और केन्द्र के पत्रव्यवहार के लिए हिन्दी को स्वीकार करने वाले राज्यों में से एक-एक राज्य के मुख्य

मंत्री को भी समिति में सदस्यता दी गई । यह सदस्यता रोटेशन से रखी गई थी। इस पुनर्गठन से गृह मंत्री (पहले पुनर्गठन के समय गृह विभाग प्रधान मंत्री जी के पास था, इस लिए गृह मंत्री जी को अलग से उस समय नामित नहीं किया गया था) कृषि मंत्री, संचार मंत्री, रेल मंत्री, और रक्षा मंत्री को भी सदस्य नामित किया गया । मूल समिति की 1967 से 1970 के बीच 5 बैठकें हुई थीं । इसके बाद 1972 में समिति का पुनर्गठन हुआ था और 1972 से 1975 तक 3 वर्ष की अवधि में समिति की 8 बैठकें हुईं। इसके बाद फिर समिति का फिर से पुनर्गठन हुआ । पुनर्गठित समिति की एक ही बैठक हुई थी कि लोक सभा के चुनावों के बाद इसे भंग कर दिया गया और यह समिति फिर से गठित की गई। पुनर्गठन के बाद समिति की 2 बैठकें हुई हैं। इस प्रकार, गठन के बाद अब तक इस समिति की कुल 15 बैठकें हो चुकी हैं :

(1) 2-12-1967, (2) 20-7-1968 (3) 17-12-1968 (4) 18-2-1970 (5) 29-8-1970 (6) 20-12-1972 (7) 10-8-1973 (8) 2-4-1974 (9) 26-11-1974 (10) 9-4-1975 (11) 25-11-1975 (12) 26-5-1976 (13) 11-1-1977 (14) 12, 13-12-1977 (15) 27-2-1978

केन्द्रीय हिन्दी समिति के पुनर्गठन के कुछ समय बाद ही छठी लोक सभा के लिए आम चुनाव हुआ और चुनाव के बाद बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए इस समिति को भंग कर इसको फिर से पुनर्गठन करने का निश्चय किया गया। समिति के इस तीसरे पुनर्गठन से इसकी सदस्यता काफी कम हो गई और प्रधानमंत्री जी के अतिरिक्त सिर्फ गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, विधि मंत्री, शिक्षा मंत्री, और आन्ध्र महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों को सरकारी सदस्य रखा गया (पुनर्गठन के तुरन्त बाद ही विदेश मंत्री जी को भी सदस्य नियोजित किया गया) । राजभाषा सचिव और हिन्दी सलाहकार पहले की भांति सदस्य सचिव बने रहे। गैर-सरकारी सदस्यों में से सर्वश्री सुधाकर पाण्डेय, गंगा शरण सिंह, मलिक मोहम्मद, और संसद सदस्य पी० वी० नरसिंह राव को सदस्य नामित किया गया। पुनर्गठित समिति की पहली बैठक 12-13 दिसम्बर, 1977 को हुई और इस बैठक में यह निर्णय किया गया कि कुछ और संसद सदस्यों को समिति में रखा जाए । इस निर्णय के अनुसरण में गृह राज्य मंत्री, श्री धनिक लाल मण्डल और 6 संसद सदस्य सर्वश्री रविराय, राम लाल पारीख, सरोजिनी महिषी, नवाब सिंह चौहान, ओम मेहता और योगेन्द्र शर्मा को सदस्य नामित किया गया।

केन्द्रीय हिन्दी समिति ने अपनी बैठकों में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों में से प्रमुख निम्नलिखित हैं:—

(1) इस समिति के निर्णय सभी मंत्रालयों और विभागों को मान्य होंगे । अगर किसी मंत्रालय को किसी निर्णय के कार्यान्वियन में दिक्कत हो तो वह मामला समिति के सामने शीघ्र से शीघ्र उपस्थित किया जाना चाहिए ।

(2) समिति ने पहली बैठक में यह निर्णय किया था कि इस की बैठक प्रत्येक तिमाही में होनी चाहिए। बाद में यह कहा गया था कि साल में दो बैठकें जरूर हों, लेकिन कोशिश यही रहे कि साल में तीन बैठकें हो सकें। अब फिर यह निर्णय किया गया है कि हर तीन महीने में समिति की एक बैठक की जानी चाहिए।

(3) जिन मंत्रालयों या विभागों का जनता से काफी सम्पर्क रहता है या जिनके अन्तर्गत अनेक केन्द्रीय उपक्रम काम करते हैं, उन सभी में हिन्दी सलाहकार समिति बनाई जानी चाहिए। इस निर्णय के अनुसार अब लगभग सभी महत्वपूर्ण मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियाँ गठित की जा रही हैं।

(4) समिति के निर्णयों के कार्यान्वियन पर नजर रखने के लिए समिति के कुछ संसद सदस्यों की एक उप समिति भी काम करती है। इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय हिन्दी समिति की भी एक उपसमिति उस मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी के उपयोग की देखभाल करती है । पहले विदेश मंत्रालय में भी केन्द्रीय हिन्दी समिति की उपसमिति काम करती थी, लेकिन अब वहां अलग से एक हिन्दी सलाहकार समिति बनाने का निर्णय किया गया है।

(5) समिति ने अपनी 20-12-72 की बैठक में यह राय व्यक्त की कि गैर-सरकारी संस्थाओं को हिन्दी पढ़ाने के लिए ग्रांट देने के मामले में सरकार पुनः विचार करे और कोई ऐसी तदबीर निकाले ताकि राज्य सरकारों के बिना किसी प्रकार के संघर्ष के ही इन संस्थाओं को सीधे ग्रांट दी जा सकें। लेकिन यह जरूरी है कि जिन संस्थाओं को सीधे ग्रांट दी जाए उनकी यथोचित देख-रेख हो।

(6) समिति की 10-8-73 को हुई बैठकों में यह सुझाव दिया गया कि शिक्षा मंत्रालय को स्कूलों के विद्यार्थियों के प्रयोग के लिए छोटे-छोटे शब्दकोष तैयार करने की योजना बनानी चाहिए। जैबी शब्दकोष भी बनाए जाने चाहिए। प्रारम्भ में ये अंग्रेजी-हिन्दी और हिन्दी-अंग्रेजी में हों । धीरे-धीरे अन्य भाषाओं जैसे हिन्दी-तमिल, हिन्दी-तेलुगु, तेलुगु-हिन्दी आदि में भी बनाए जाने चाहिए।

(7) अपनी 26-11-74 की बैठक में केन्द्रीय हिन्दी समिति ने गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की यह सिफारिश स्वीकार की कि दिल्ली में केन्द्रीय पुस्तकालय के रूप में एक भारतीय भाषा पुस्तकालय की स्थापना करने के लिए कार्रवाई की जाए।

(8) समिति ने 2-4-74 की बैठक में इस बात पर सहमति प्रकट की कि निमंत्रण पत्रों को छापने में आवश्यकतानुसार हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। त्रिभाषिक निमंत्रण पत्र किस प्रकार भेजे जाएं, यह बात संयोजकों पर छोड़ दी जानी चाहिए।

(9) रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति की 14 मार्च, 1974 को हुई बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि जनता के उपयोग में आने वाले रेलवे के फार्मों को हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं में भी छपवाने में प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण इन्हें हिन्दी भाषी क्षेत्रों में केवल हिन्दी में और अन्य क्षेत्रों में केवल हिन्दी तथा अंग्रेजी में छपवाया जाए। विचार-विमर्श के बाद केन्द्रीय हिन्दी समिति ने अपनी 26-11-74 की बैठक में यह राय व्यक्त की कि जनता की सहूलियत के लिए यह उचित होगा कि उनके उपयोग में आने वाले फार्म क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराए जाएँ।

(10) समिति की 10-8-73 को हुए बैठक में यह सुझाव दिया गया कि भारत सरकार द्वारा विदेशों में हिन्दी सीखने के इच्छुक विदेशी नागरिकों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों को पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम भी तैयार किए जाने चाहिएं जो भारत की संस्कृति और रीति-रिवाजों को प्रतिबिम्बित करे।

(11) भारत सरकार के 18 जनवरी, 1968 के संकल्प के पैरा 4 (ख) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त संविधान 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति दी जाएगी। सामान्य ज्ञान और निबन्ध के प्रश्न पत्रों के लिए ऐसी छूट दी जा चुकी है। समिति ने अपनी 10-8-73 की बैठक में यह सिफारिश की कि अन्य प्रश्न-पत्रों में भी हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के वैकल्पिक माध्यम के रूप में प्रयोग की अनुमति देने में तेजी लाई जाए।

(12) समिति की 2-4-74 की बैठक में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय तथा प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय सेवाओं के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में अंग्रेजी के समान किसी एक भारतीय भाषा का प्रश्न पत्र अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया। समति ने निश्चय किया कि आयोग यह सुझाव विचार करने के लिए कोठारी समिति को भेज दे।

(13) समिति की 26 नवम्बर, 1974 की बैठक में यह कहा गया कि यद्यपि टाइपराइटरों के निर्माण की सभी योजनाओं के लिए अनुमति देते समय यह शर्त रखी जाती है कि निर्माता 80 प्रतिशत हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की मशीनें बनाएं तथापि इनका उत्पादन निरन्तर घटता ही जा रहा है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि विभिन्न मंत्रालयों के हिन्दी टाइपराइटरों के लिए भेजे गए आर्डर कई वर्षों से कम्पनियों के पास पड़े हुए हैं। इस संबंध में यह तय हुआ कि हिन्दी सलाहकार संबंधित मंत्रालयों और टाइपराइटरों निर्माताओं के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर भारतीय भाषाओं के टाइपराइटरों का उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार करें।

[शेष पृष्ठ 47 पर]

प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 27 फरवरी, 1978 को केन्द्रीय हिन्दी समिति के सदस्य विचार-विमर्श करते हुए

संघ के सरकारी कर्मचारियों का हिन्दी में प्रशिक्षण

अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजी शासकों की भाषा थी। विदेश के साम्राज्यवादी शासकों को न जनता से सीधे सम्पर्क की जरूरत थी, और न उन्हें अपने कर्मचारियों से ही ऐसी अपेक्षा थी। इन हालात में अंग्रेजी का ज्ञान, शासकीयसेवा में प्रवेश की आवश्यक शर्त होने के साथ, शासक और शासित के बीच की दीवार भी बन चुका था। आजादी मिलने के बाद जहां एक ओर गूंगी जनता को नागरिक अधिकारों की जबान मिली, वहीं शासन का सिद्धांत भी सेवा के उसूलों से जुड़ गया। जनता का शासन जनता की भाषा में होना चाहिये, इसीलिये भारतीय संविधान के निर्माताओं ने यह फैसला किया कि देवनागरी लिपि में हिन्दी ही संघ की राजभाषा होगी। इस निर्णय पर अमल करने के लिए जरूरी था कि केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को हिन्दी की जानकारी हो। सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के काम की शुरूआत शिक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई 1952 में हुई। भारत के राष्ट्रपति ने जून 1955 में गृह मंत्री को एक पत्र लिखकर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के विषय में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये, इन पर कार्रवाई करने के लिए एक अन्तर मंत्रालय समिति बनाई गई। इस समिति ने 17 अगस्त 1955 को अन्य बातों के साथ यह भी निर्णय लिया कि केन्द्रीय सरकार के. कर्मचारियों में गृह मंत्रालय के व्यापक प्रभाव को देखते हुए उन्हें हिन्दी सिखाने का काम गृह मंत्रालय ही करे।

इस निर्णय के अन्तर्गत गृह मंत्रालय द्वारा अक्तूबर 1955 से हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी कक्षाएं सरकारी काम के समय चलाई जा रही हैं। शुरू-शुरू में हिन्दी सिखाने का काम स्वैच्छिक था किन्तु राष्ट्रपति के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश के अनुसार हिन्दी का सेवाकालीन प्रशिक्षण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों के लिए जिनकी उम्र 1-1-61 को 45 वर्ष से कम थी, अनिवार्य बना दिया गया। इसी प्रकार टाइपिस्टों और आशुलिपिकों के लिए भी हिन्दी टाइप और आशुलेखन का प्रशिक्षण भी अनिवार्य कर दिया गया। भारत सरकार के प्रतिष्ठानों/उद्योगों, सांविधिक संगठनों और स्वायत्त संस्थानों और संस्थाओं को भी राजभाषा अधिनियम का अनुपालन करना होता है, इसलिए उनके कर्मचारियों के लिए भी हिन्दी में प्रशिक्षण जरूरी है और उन्हें हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सरकारी कर्मचारी हिन्दी टाईपिंग सीखते हुए

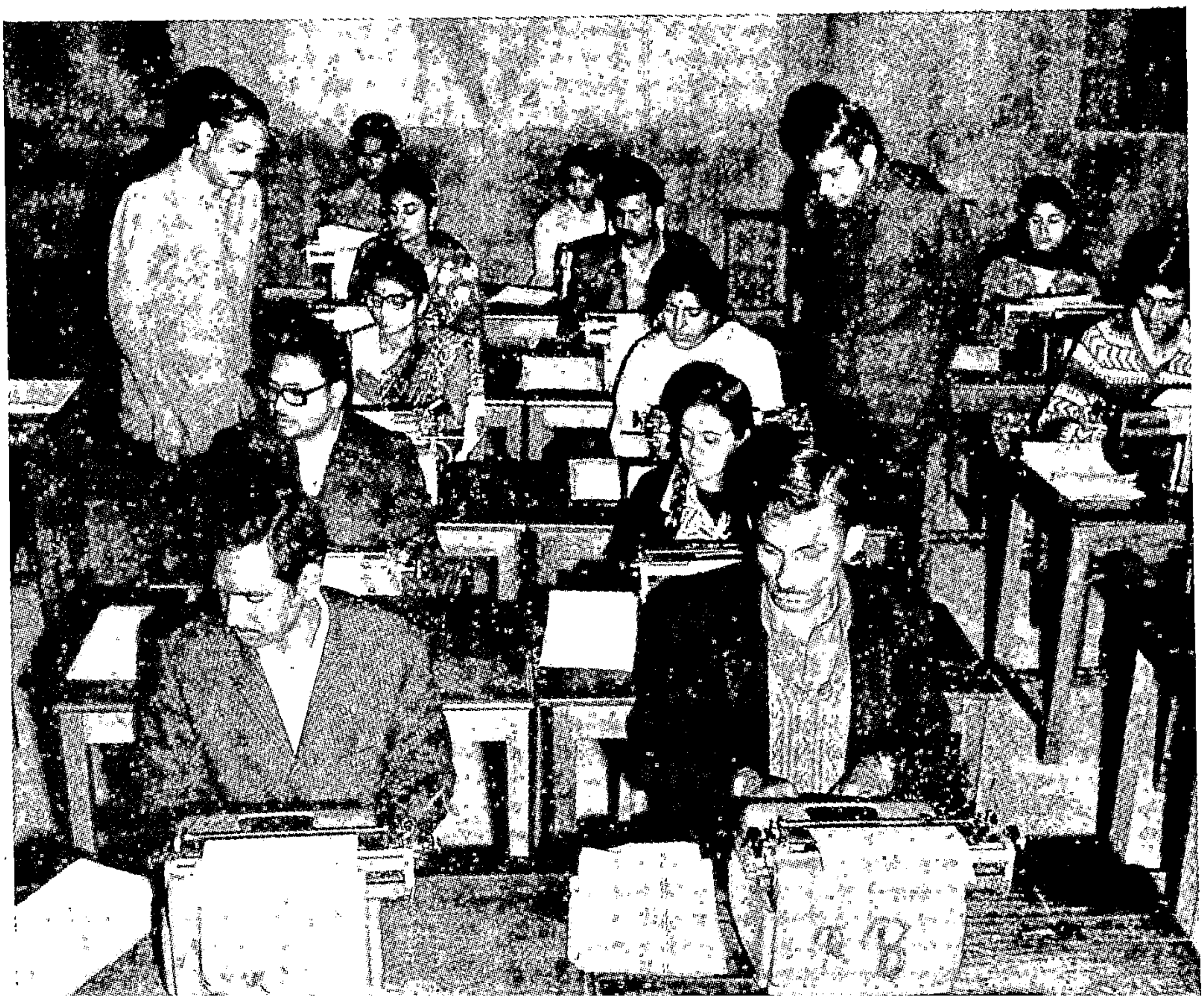

इस प्रशिक्षण के लिए हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए पूर्ण-कालिक केन्द्र खोले गये हैं। जिन जगहों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कम हैं वहां अंशकालिक केन्द्रों के जरिये हिन्दी सिखाने का काम किया जा रहा है। इन स्थानों पर केन्द्र सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी को राजभाषा विभाग द्वारा सर्व कार्यभारी अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है, जो अन्य केन्द्रीय कार्यालयों से समन्वय रख, योजना के संचालन में मदद देते हैं। योजना के प्रशासनिक काम को सुचारु रूप से चलाने के लिए इस समय देश को 5 क्षेत्रों में बाँटा गया है। इन क्षेत्रों के मुख्यालय नई दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और जबलपुर में हैं जहां कि हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत उप निदेशकों को नियुक्त किया गया है। इनकी मदद के लिए सहायक निदेशक भी तैनात हैं। इस समय हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी सिखाने के लिए करीब 150 पूर्णकालिक तथा अंशकालिक केन्द्र हैं और 25 सहायक निदेशक तथा 225 प्राध्यापक हैं। इसके अलावा टाइपिंग व आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए भी सहायक निदेशकों के 19 स्वीकृत पद हैं।

योजना के अन्तर्गत एक-एक वर्ष के निम्नलिखित 3 पाठ्य-क्रम पढ़ाये जाते हैं :—

1. प्रबोध : यह एक प्रारंभिक पाठ्यक्रम है जो मुख्य रूप से उन कर्मचारियों के लिए रखा गया है जिनकी मातृ भाषा दक्षिण भारतीय भाषाओं में से कोई एक भाषा या अंग्रेजी है।
2. प्रवीण : यह बीच का पाठ्यक्रम है और लगभग मिडिल स्कूल के स्तर का है।
3. प्राज्ञ : यह आखिरी पाठ्यक्रम है और लगभग हाई स्कूल के स्तर का है।

इन तीनों पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक केन्द्रीय सरकार के साढ़े तीन लाख कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि में प्रशिक्षित होने वाले कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 24,000 तथा 4500 है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिए सरकार ने कई सुविधाएँ तथा वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रबन्ध किया है जिनका विवरण इस प्रकार है :—

1. शिक्षण के दौरान और परीक्षा में बैठने के लिए कोई फीस नहीं ली जाती।
2. कक्षाएँ कार्यालय के समय में ही चलाई जाती हैं और इन कक्षाओं में हिन्दी सीखने में जो समय लगता है वह ड्यूटी में बिताया गया समय समझा जाता है। फरवरी 1976 से कक्षाओं में उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है।
3. प्रशिक्षार्थियों को जहाँ हिन्दी कक्षाओं तक आने-जाने के लिए 1.6 किलोमीटर से ऊपर जाना पड़ता है, वहां उनके आने-जाने के खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।
4. पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त दी जाती हैं।
5. परीक्षाओं में बैठने के लिए यात्रा-भत्ता/वास्तविक खर्च दिया जाता है।
6. हिन्दी, हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि की परीक्षाएँ पास करने पर अनेक प्रोत्साहन दिए जाते हैं जैसे—
   (अ) वैयक्तिक वेतन,
   (ब) नकद पुरस्कार,
   (स) एक मुश्त पुरस्कार।

नकद पुरस्कारों, वैयक्तिक वेतन और एक मुश्त इनामों की शीघ्र मंजूरी के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों को इन पुरस्कारों की स्वीकृति करने के अधिकार दे दिये गए हैं।

भाषा के कई स्तर होते हैं। साहित्य की भाषा कल्पना प्रधान, चित्रात्मक तथा संवेदनशील हो सकती है, पर सरकारी काम काज की भाषा तर्क और तथ्यों की भाषा है। इसका सरल और सहज होना लाजमी है और जैसा कि राजभाषा विभाग के सचिव श्री रमा प्रसन्न नायक ने कहा है, "पारिभाषिक शब्दावली के फेर में न पड़कर अपनी बातें दूसरों तक सहज ही पहुंचाने के उद्देश्य से लोगों को बेझिझक ऐसी जबान इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसमें रवानी हो।" सरकारी काम-काज की इस भाषा में जहां अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, गुजराती, तामिल आदि के प्रचलित शब्दों के समावेश से समृद्धि आएगी, वहीं प्रचलित शब्दों से रवानी और ताजगी। सरकारी काम-काज की भाषा के सन्दर्भ में पाठ्यक्रम में सुधार करने तथा हिन्दी शिक्षण योजना के प्रशासनिक पक्ष को सुदृढ़ बनाने के लिए, सरकार ने 24 सितम्बर 1973 को एक पुनरीक्षण समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष राजभाषा विभाग के सचिव श्री रमा प्रसन्न नायक थे। इस समिति ने जून 1974 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा कई महत्वपूर्ण सुझावों द्वारा हिन्दी शिक्षण योजना को एक नई दिशा तथा दृष्टि दी। इन सुझावों में सबसे प्रमुख सुझाव नए पाठ्यक्रम बनाने के बारे में था। नए पाठ्यक्रम में हिन्दी का व्यावहारिक पक्ष लेकर उसे कार्यालयीन भाषा का स्वरूप दिया जाना है। इसके अनुसार वर्तमान 3 पाठ्यक्रमों की जगह 5 सत्रों में हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले 2 सत्रों में भाषा का ज्ञान तथा सत्र 3 और 4 में कार्यालयीन हिन्दी की सामान्य जानकारी दी जाएगी। सत्र 5 में मंत्रालयों और विभागों की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए उसके अनुसार नोटिंग और ड्राफ्टिंग में प्रशिक्षण दिया जाएगा। शायद इससे अलग से कार्यशाला चलाने की जरूरत भी न पड़े क्योंकि कर्मचारियों को भाषा ज्ञान के साथ-साथ उनके मंत्रालय और विभाग से संबंधित टिप्पण और आलेखन का प्रशिक्षण भी दे दिया जाएगा।

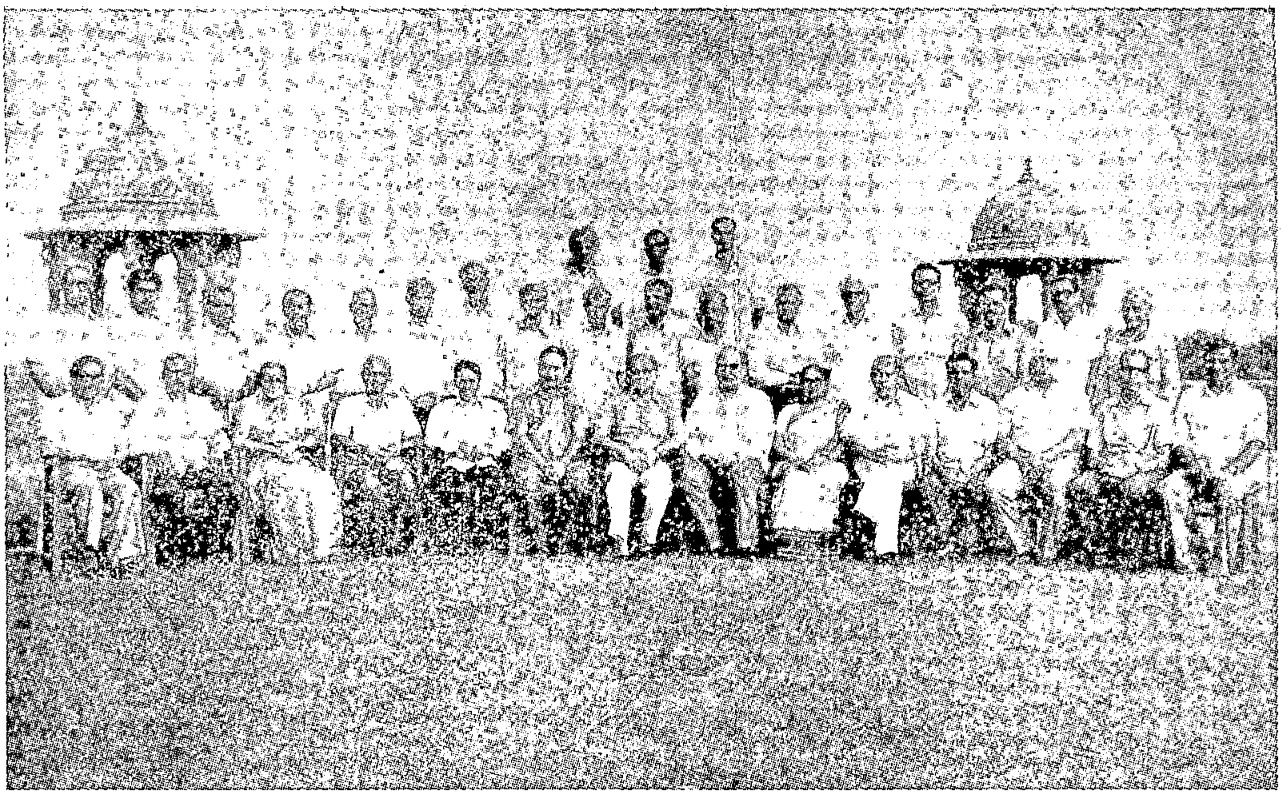

नई दिल्ली में हिन्दी शिक्षण योजना के उप निदेशकों की बैठक के समापन के समय लिया गया चित्र .

पहले सत्र की पाठ्य सामग्री आगरा के केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के सहयोग से बना ली गयी है और इस पाठ्यक्रम का परीक्षण उप निदेशकों की बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों में जनवरी 1978 से प्रारम्भ किया जा चुका है। प्राध्यापकों को नये पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण देने में दिक्कत न हो इसलिए उन्हें केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के अनुभवी विद्वानों द्वारा मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है।

पुनरीक्षण समिति की यह भी सिफारिश थी कि हिन्दी शिक्षण योजना से संबंधित परीक्षाओं का काम राजभाषा विभाग द्वारा ही किया जाए तथा एक अनुसंधान एकक का भी गठन किया जाए। सरकार ने पाठ्यक्रमों में संशोधन के संबंध में समिति की यह सिफारिश मानकर अगस्त 1977 से परीक्षा तथा अनुसंधान के कार्य के लिए संयुक्त निदेशक के कार्यालय की स्थापना की है। हिन्दी शिक्षण योजना के शैक्षणिक काम तथा परीक्षाओं के संचालन आदि की व्यवस्था संयुक्त निदेशक, 2 सहायक निदेशकों की मदद से करेंगे। अनुसंधान एकक का काम भी उन्हीं को दिया गया है। पुनरीक्षण समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि हिन्दी शिक्षण योजना के प्राध्यापकों और सहायक निदेशकों को भाषा विज्ञान के सिद्धांत, नई शिक्षा पद्धतियों तथा दृश्य और श्रव्य साधनों के प्रयोग द्वारा अद्यतन शिक्षा प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाए। इसके अन्तर्गत केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में अभी तक 140 प्राध्यापकों को भेजा जा चुका है और योजना बद्ध तरीके से सभी प्राध्यापकों को ऐसा प्रशिक्षण दिलवाने का इरादा है। प्रायः पुनरीक्षण समिति की सभी महत्वपूर्ण सिफारिशों पर कार्रवाई की जा चुकी हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने का काम राजभाषा विभाग के अलावा केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा तथा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय दिल्ली द्वारा भी किया जा रहा है। जहां हिन्दी शिक्षण योजना के केन्द्र नहीं हैं ऐसे कर्मचारियों को पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा 3 महीने का एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है जिसके 28 सत्र पूरे हो चुके हैं और 29वां सत्र जनवरी 1978 से चालू किया गया है। सीधी भर्ती से आने वाले केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी सेवा के अधिकारियों को राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मंसूरी तथा अन्य विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर हिन्दी का आवश्यक ज्ञान कराया जाता है।

एक बहुभाषी विविधताओं से भरे देश में सम्पर्क सूत्र के रूप में भाषाई एकता लाने का काम कठिन और दुरुह है तथा समय और धैर्य से ही पूरा होगा। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार देश एक द्विभाषीय स्थिति से गुजर रहा है जिसमें कर्मचारियों को अंग्रेजी या हिन्दी में काम करने की पूरी तरह से छूट है। अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के हिन्दी प्रशिक्षण से हिन्दी के प्रयोग में गतिरोध नहीं उत्पन्न होगा और बहुत ही कम हिन्दी के कागज पत्रों को अंग्रेजी में अनुवाद करने की जरूरत पड़ेगी।

संसदीय राजभाषा समिति

—उद्देश्य और स्वरूप

भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया कि संघ सरकार की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी और इसका प्रचार प्रसार और विकास केन्द्रीय सरकार करेगी। धारा 344(1) में कहा गया कि संविधान के लागू होने के 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे जिसमें आठवें अनुच्छेद में उल्लिखित सभी भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होंगे और जो भाषा से संबंधित मसलों पर विचार करके राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा। श्री बी० जी० खेर की अध्यक्षता में इस आयोग ने काफी सूचनाएँ इकट्ठी करने के बाद अगस्त 1957 में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दी। संविधान में प्रावधान के अनुसार 30 सदस्यों की एक संसदीय समिति बनाई गई जिसको यह काम सौंपा गया कि वह इस रिपोर्ट को जाँच-परख कर अपनी राय राष्ट्रपति महोदय को दे। इस समिति के अध्यक्ष पं० गोविन्द वल्लभ पन्त थे और इसमें 10 सदस्य राज्य सभा के थे और 20 सदस्य लोक सभा के। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को फरवरी, 1959 में दी।

खेर आयोग की रिपोर्ट तथा संसदीय समिति की राय पर विचार करने के बाद 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ जिसकी धारा 4 में यह प्रावधान किया गया कि अधिनियम की धारा 3 के लागू होने के 10 वर्षों के बाद 30 सदस्यों की एक संसदीय राजभाषा समिति बनाई जाएगी जो सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन (रिव्यू) करेगी और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगी। राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएँगे और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएंगे। इस रिपोर्ट की सिफारिशों को और उन पर व्यक्त संसद और राज्य सरकारों के विचारों को ध्यान में रखते हुए पूरी रिपोर्ट या उसके किसी भाग के अनुसार राष्ट्रपति आवश्यक निदेश निकाल सकेंगे। लेकिन इस प्रकार निकाले गए निदेश राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।

समिति का गठन :

राजभाषा अधिनियम 26 जनवरी 1965 को लागू किया गया था, इसलिए 26 जनवरी 1975 के बाद संसदीय राजभाषा समिति का गठन होना था। 1975 में ही इस समिति के गठन के बारे में केन्द्रीय हिन्दी समिति में और मंत्रिमंडल में चर्चा हुई और यह निर्णय लिया गया कि समिति का गठन तत्काल कर दिया जाना चाहिए। गठन से संबंधित प्रक्रियाओं के पूरा होने पर जनवरी 1976 में इस समिति का गठन हुआ जिसमें अधिनियम के अनुसार 10 सदस्य राज्य सभा से चुने गए और 20 सदस्य लोक सभा से। समिति के सदस्य और तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री ओम मेहता उस समय समिति के अध्यक्ष थे।

अनूठी समिति :

यह समिति राजभाषा से संबंधित आयोग और समितियों की श्रृंखला में अंतिम लड़ी है और अपने आप में अनूठी है। यह एक ऐसी समिति है जिसमें केवल संसद् के सदस्य ही सदस्य हैं, लेकिन यह समिति अपनी रिपोर्ट न तो संसद् को देगी और न सदनों के अध्यक्षों को। इसकी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति के पास भेजी जाएंगी और राष्ट्रपति महोदय इसे दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे और सभी राज्य सरकारों को भी भिजवाएंगे। पन्त समिति का गठन भी करीब-करीब इसी प्रकार का था लेकिन उसमें केवल यही कहा गया था कि समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगी। हालांकि बाद में यह प्रश्न उठाया गया कि इस रिपोर्ट को संसद् के सामने भी रखा जाना चाहिए तब पन्त जी ने राष्ट्रपति महोदय की अनुमति से समिति की रिपोर्ट को संसद् में पेश किया।

साधारणतया संसदीय समितियों को सचिवालयीन सहायता लोक सभा अथवा राज्य सभा सचिवालय देता है लेकिन इस समिति को सचिवालयीन सहायता गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा दी जा रही है। यह समिति एक और मायने में भी अनूठी है कि हिन्दी से संबंधित कार्य के लिए यह पहली समिति है जो देश के विभिन्न भागों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का स्वयं निरीक्षण करके, वहां के वास्तविक हालात को जानकर, उनकी कठिनाइयों का अहसास करके अपने विचार बनाना चाहती है और उसके बाद अपनी सिफारिशें करेगी। इस समिति के सदस्य करीब-करीब सभी राजनैतिक पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते

हैं और साथ ही वे देश के विभिन्न क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इस समिति में 12 सदस्य जनता पार्टी के, 12 सदस्य कांग्रेस के, 2 कम्युनिस्ट पार्टी के, एक डी०एम०के० के, एक अन्ना डी०एम०के० के और एक अकाली दल के तथा एक निर्दलीय हैं। ये सभी भारत के विभिन्न राज्यों-असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, गोआ, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, पंजाब, पांडिचेरी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं।

समिति के कार्यकलाप :

अधिनियम में केवल समिति के गठन के बारे में कहा गया था इसलिए समिति को अपनी कार्यपद्धति, अपना कार्य-क्षेत्र और प्रक्रियाएं खुद नियत करनी थीं। इसके लिए समिति की कुछ बैठकें हुई जिनमें एक निर्णय यह लिया गया कि जनता के विभिन्न वर्गों की राय जानने के लिए कुछ प्रश्नावलियां बनाई जाएं। इस काम के लिए एक उपसमिति बनाई गई जिसमें 8 सदस्य थे। इस प्रकार समिति ने 5 तरह की प्रश्नावलियां बनाई जिनमें से एक जनता के विभिन्न वर्गों के लिए थी, दूसरी सरकारी कर्मचारियों के लिए, तीसरी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए, चौथी हिन्दी भाषी राज्य सरकारों के लिए और पांचवीं अहिंदी-भाषी राज्य सरकारों के लिए।

देश में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को यदि नमूने के तौर पर भी देखा जाए तो भी पूरी समिति के लिए यह काम काफी कठिन और समय लेने वाला होता। इसलिए निरीक्षण के इस काम के लिए तीन उपसमितियां बनाई गई जिनमें से पहली उपसमिति को गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय के कार्यालयों के निरीक्षण का काम सौंपा गया। दूसरी उपसमिति को रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के कार्यालयों के निरीक्षण का काम सौंपा गया। तीसरी उपसमिति को बाकी सभी मंत्रालयों और विभागों के निरीक्षण का काम सौंपा गया। श्री सुधाकर पाण्डेय पहली उपसमिति के संयोजक बनाये गये, श्री योगेन्द्र शर्मा दूसरी उपसमिति के और श्री शंकर दयाल सिंह तीसरी उपसमिति के संयोजक बनाये गये। इन उपसमितियों ने जुलाई, 1976 से अपने दौरों का कार्यक्रम शुरू किया और जनवरी, 1977 तक देश में स्थित लगभग 330 कार्यालयों का निरीक्षण किया था।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति के सदस्य श्रीनगर में स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की फैक्ट्री के अधिकारियों से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में विचार-विमर्श करते हुए (अक्तूबर, 1978)।

समिति का पुनर्गठन :

पांचवीं लोक सभा के भंग होने पर उस लोक सभा के सदस्य समिति के सदस्य नहीं रहे, लेकिन राज्य सभा के सदस्य समिति के सदस्य बने रहे। छठी लोक सभा के गठित होने के बाद गृह मंत्री जी ने एक प्रावेदन (मोशन) लोक सभा में पेश किया जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि उस सभा से 20 सदस्यों को चुनकर समिति के लिए भेजा जाए। यह चुनाव की प्रक्रिया जुलाई, 1977 में पूरी हुई और 20 सदस्यों के निर्वाचित होने के साथ ही साथ समिति फिर से सक्रिय हो गई और इसकी पहली बैठक 3 सितम्बर, 1977 को हुई।

यह बैठक समिति के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें समिति के तत्कालीन अध्यक्ष श्री ओम मेहता ने एक पत्र द्वारा समिति के सचिव को सूचित किया कि समिति की यह परिपाटी रही है कि गृह मंत्री इसके अध्यक्ष रहें। इसी परिपाटी के अनुसार पन्त जी पुरानी समिति के अध्यक्ष थे इसके बाद वे स्वयं अध्यक्ष बने। इस परिपाटी का निर्वाह करने के लिए उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और स्वयं प्रस्ताव किया कि गृह मंत्री श्री चरण सिंह जी को समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। उनके इस प्रस्ताव को सभी सदस्यों ने स्वीकार किया।

इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई जिनमें से एक तो यह थी कि समिति ने जो प्रश्नावलियाँ जनता और सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई थीं उनको भरकर लौटाने की तारीख 31 दिसम्बर, 1977 तक बढ़ा दी गई। इस बैठक में समिति की कार्यविधि और कार्यसंचालन की नियमावली पर फिर से विचार हुआ जिसमें पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधन किए गए। इसमें एक संशोधन यह था कि समिति में एक उपाध्यक्ष भी होना चाहिए जो अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में कार्य संचालन कर सके और अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार दिया गया कि वे समिति के किसी सदस्य को उपाध्यक्ष नामित कर दें। बाद में अध्यक्ष महोदय ने 6 दिसम्बर, 1977 को श्री ओम मेहता को उपाध्यक्ष नामित किया।

पुनर्गठित समिति ने भी पहली समिति की तरह अपनी तीन उपसमितियाँ बनाई और उन तीनों उपसमितियों के कार्यक्षेत्र भी वही रहे जो पहले थे। पुनर्गठित उपसमितियों में पहली उपसमिति के संयोजक का काम श्री नवाब सिंह चौहान को, दूसरी उपसमिति के संयोजक का काम

[शेष पृष्ठ 40 पर]

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति के सदस्य अण्डमान और निकोबार, संघ शासित क्षेत्र के मुख्य आयुक्त और अन्य अधिकारियों से पोर्ट ब्लेयर में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में विचार-विमर्श करते हुए (फ़रवरी, 1978)।

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के कार्य

○○

राजभाषा के रूप में हिन्दी का सफलता से प्रयोग तभी संभव है जब केन्द्रीय सरकार में प्रयुक्त होने वाली सभी नियम-पुस्तकें, फार्म, रजिस्टर तथा अन्य कार्यविधि साहित्य हिन्दी में उपलब्ध हों। यह स्वाभाविक था कि जब सारा काम हिन्दी के माध्यम से ही होता था तो यह सब सामग्री केवल अंग्रेजी में ही तैयार की जाती थी। परन्तु खेर आयोग की रिपोर्ट के बाद इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि उपर्युक्त सारी सामग्री हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होनी चाहिए। यह सामग्री दो प्रकार की थी—सांविधिक और इतर। सांविधिक सामग्री के अनुवाद का कार्य विधि मंत्रालय के अधीन राजभाषा (विधायी) आयोग को सौंपा गया था जो अब नहीं रह गया है और जिसका स्थान विधायी विभाग के राजभाषा खंड ने ले लिया है। इतर सामग्री के अनुवाद का कार्य उस समय शिक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को दिया गया था। पर उक्त सामग्री का सीधा संबंध शिक्षा से न होकर प्रशासन से था इसलिए 1971 में यह निर्णय किया गया कि इस काम के लिए गृह मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय स्थापित किया जाए और तदनुसार 1 मार्च, 1971 को केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई। तब से ब्यूरो इस कार्य को कर रहा है।

कार्यविधि साहित्य का अनुवाद

ब्यूरो केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों तथा कंपनियों के कार्यविधि साहित्य का अनुवाद करता है जिसमें विधीतर नियमावलियाँ, कार्यविधि से संबंधित मैनुअल तथा फार्म, रजिस्टर आदि सभी कुछ हैं। ब्यूरो आरंभ में कुछ समय तक कुछ मंत्रालय की वार्षिक-रिपोर्टों के अनुवाद में भी सहायता देता रहा क्योंकि उस समय उन विभागों में इस काम के लिए उपयुक्त कर्मकारी नहीं थे परन्तु अब वह काम बंद कर दिया गया है और ब्यूरो में केवल उसी सामग्री का अनुवाद होता है जिसका स्थायी महत्व है। ब्यूरो के लिए वर्ष भर में 30,000 पृष्ठ अनुवाद का कोटा निर्धारित है जो आरंभ के एक-दो वर्षों को छोड़कर पिछले सभी वर्षों में पूरा होता रहा है। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण नियम-संग्रहों का अनुवाद हो चुका है जो अनेक कार्यालयों में उपयोगी हो सकते हैं। फार्मों के प्रयोग की दैनंदिन आवश्यकता होती है इसलिए उनके अनुवाद को प्राथमिकता दी जाती है।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा सेवाओं सहित), डाक तार और रेलवे के कार्यविधि साहित्य का अनुवाद मुख्यतः उन्हीं विभागों में होता है परन्तु वह अनुवाद पुनरीक्षण के लिए ब्यूरो में ही आता है। 1977 के अंत तक लगभग 1,76,500 पृष्ठों के अनुवाद को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

अनुवाद का प्रशिक्षण

विविध मंत्रालयों में हो रहे अनुवाद-कार्य को देखते हुए यह महसूस किया जाता रहा है कि राजभाषा के रूप में हिन्दी का समुचित विकास तभी संभव है जब अनुवादकों के प्रशिक्षण की भी कोई समुचित योजना हो। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया और इसके लिए एक प्रशिक्षण स्कंध की भी व्यवस्था की गई। सरकारी दफ्तरों में हिन्दी के काम में विशेष रूप से अनुवाद के क्षेत्र में लगे, कर्मचारियों को अनुवाद की प्रक्रिया, सिद्धांतों, शब्दावली आदि की जानकारी देने के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो अनुवादकों के लिए एक त्रैमासिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहा है। यह पाठ्यक्रम अगस्त 1973 में चालू किया गया था। अब तक ऐसे 16 सत्र चलाए जा चुके हैं। इस समय सत्रहवाँ बैच प्रशिक्षण पा रहा है। एक बैच में प्रायः 30 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पाते है। ये प्रशिक्षणार्थी भारत सरकार के विविध मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, कंपनियों, बैंकों आदि से आते हैं। और इनमें से अधिक संख्या दिल्ली से बाहर के लोगों की ही होती है। इसके लिए छात्रावास की भी व्यवस्था है जिसमें 20 छात्र रह सकते हैं। ब्यूरो की योजना के अनुसार हिन्दी अधिकारियों के लिए भी एक मास के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी है जिसे राजभाषा विभाग ने स्वीकृति दे दी है पर यह कार्य प्रशिक्षकों की समुचित व्यवस्था के अभाव में अभी आरंभ नहीं किया जा सका है। प्रशिक्षक प्राप्त हो जाने पर इसे आरंभ किया जाएगा। ब्यूरो का विचार प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिए एक मास के पुनरनुस्थापन पाठ्यक्रम को भी चालू करने का है जिसके लिए विभाग से अभी अनुमति नहीं मिल पाई है।

शब्दावली समन्वय

वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक शब्दावली के निर्माण का कार्य मूलतः शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय कर रहा है। विधि शब्दावली का निर्माण राजभाषा (विधायी) आयोग ने किया है। दोनों आयोगों के बीच समन्वय कम रहने तथा राज्यों में भी अपनी-अपनी शब्दावलियाँ चलाई जाने के कारण प्रायः एक केन्द्रीय समन्वय-समिति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा जुलाई 1973 में आयोजित अनुवाद सम्मेलन में हिन्दी भाषी राज्यों तथा हिन्दी को संपर्क-भाषा के रूप में स्वीकृत करने वाले राज्यों के प्रतिनिधियों ने ही नहीं, केन्द्रीय मंत्रालयों के

[शेष पृष्ठ 40 पर]

भारत सरकार द्वारा हिन्दी में प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं को और अधिक उपयोगी बनाना

□ □

भारत सरकार के अनेक मंत्रालय और विभाग अपने-अपने यहाँ किए जाने वाले कार्यों और कार्यक्रमों की जानकारी देने तथा उनको कार्यान्वित करने में सरकारी कर्मचारियों और जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए अपनी विभागीय पत्रिकाएँ प्रकाशित करते हैं। इन पत्रिकाओं के माध्यम से वे न केवल विभागीय सूचनाएँ प्रकाशित करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण नीति संबंधी विषयों को भी साहित्यिक और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कुछ विभाग तो अपने कार्यों के प्रचार के लिए कहानियों, कविताओं, नाटकों, भेंटवार्ताओं इत्यादि का सहारा लेते हैं और प्रभावशाली ढंग से अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं, जिससे विभागीय जानकारी सहज भाव से पाठक की समझ में आ जाती है। कुछ पत्रिकाओं में बैठकों, घटनाओं इत्यादि के चित्रों द्वारा ऐसी सामग्री भी प्रकाशित की जाती है, जिससे पाठक को पूरे परिवेश का दृश्य स्पष्ट हो जाता है। वस्तुतः पत्रिकाएँ संबंधित विभाग की वाणी का काम करती हैं और जो बात कोई विभाग या कार्यालय अन्य प्रकार से प्रकट नहीं कर पाता उसे वह बड़ी आसानी और कारगर ढंग से अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकट कर सकता है।

विभागीय पत्रिकाओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। विभिन्न विषयों पर विविध दृष्टिकोण से पत्रिकाएँ प्रकाशित की जा रही हैं। आज जहां कृषि, सिंचाई, उद्योग, व्यापार, योजना, रेल इत्यादि मंत्रालयों द्वारा अपने-अपने विषयों से संबंधित पत्रिकाएँ प्रकाशित की जा रही हैं वहीं 'परमाणु', 'इंजीनियरी', 'आविष्कार' इत्यादि वैज्ञानिक विषयों से संबंधित पत्रिकाएँ भी प्रकाशित हो रही हैं। ये पत्रिकाएँ न केवल अंग्रेजी में प्रकाशित हो रही हैं बल्कि हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशित की जा रही हैं। राजभाषा हिन्दी में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं की संख्या काफी बड़ी है।

जो विभागीय पत्रिकाएँ अंग्रेजी में प्रकाशित होती हैं उनकी समस्याओं पर समय-समय पर विचार होता रहा है, जिससे उनका स्तर काफी अच्छा हो गया है किन्तु राजभाषा हिन्दी में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएँ अधिक पुरानी नहीं हैं और कुछ थोड़े से मंत्रालयों को छोड़कर अधिकांश मंत्रालयों की पत्रिकाएँ पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रारम्भ हुई हैं। अतः इन पत्रिकाओं की समस्याओं और उनके समाधान के लिए व्यापक और सामूहिक रूप से विचार नहीं हुआ है। राजभाषा विभाग की स्थापना हो जाने से इस विभाग का कर्त्तव्य हो गया है कि वह यह देखे कि हिन्दी में जो पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं उनका स्तर संतोषजनक हो, उनमें अच्छा कागज लगाया जाए, उनकी साज-सज्जा सुन्दर हो, उनकी सामग्री विषय के अनुकूल हो तथा उनमें कलात्मक ढंग से विषय का प्रतिपादन किया गया हो।

राजभाषा विभाग की यह धारणा है कि इन पत्रिकाओं को रोचक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इन्हें केवल आँकड़ों से भरी हुई पत्रिकाएँ न बना कर ऐसी पत्रिकाएँ बनाया जाए जिनमें भारत के जन-जीवन की झाँकी हो और उनकी माटी की सुगंध। इनमें जन-जीवन का सजीव चित्रण होना चाहिए जिससे पाठक न केवल इन्हें पढ़कर विषय को हृदयंगम कर सकें बल्कि भविष्य की जानकारी के लिए इनका संग्रह भी करते चलें।

उपर्युक्त समस्याओं तथा अन्य प्रासंगिक विषयों पर विचार करने के लिए राजभाषा विभाग ने अपने यहाँ सबसे पहले सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जा रही 7 पत्रिकाओं के संपादकों, उपसंपादकों और सहायक संपादकों की 29-11-76 तथा 8-12-76 को दो बैठकें बुलाई थीं। इन बैठकों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हिन्दी पत्रिकाओं के न केवल संपादकों ने भाग लिया था बल्कि उक्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया था। इन बैठकों में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए जिनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं:—

1. सभी पत्रिकाओं में अक्षरों, शब्दों, नामों, पदनामों इत्यादि की एक ही प्रकार की वर्तनी का प्रयोग किया जाना चाहिए। पंचमाक्षरों के प्रयोग के संबन्ध में शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सुझावों का पालन किया जाना चाहिए।
2. अनुस्वार और चन्द्रबिन्दु के प्रयोग में भी सावधानी बरती जानी चाहिए और यथा प्रसंग दोनों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए।
3. पत्रिकाओं की भाषा ऐसी प्रवाहमयी, सरल और सहज होनी चाहिए जो आसानी से सामान्य लोगों की समझ में आ सके। जहाँ तक संभव हो अटपटे समस्त पदों का प्रयोग न किया जाए।

4. अन्य भाषाओं के जो शब्द हिन्दी में रचपच गए हैं उनका सहज भाव से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन जिन अंग्रेजी शब्दों के लिए हिन्दी में अच्छे और प्रचलित शब्द पहले से मौजूद हैं उनकी जगह जानबूझकर अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

5. पत्रिकाओं में ऐसे लेख छापे जाएं जिनके स्तर, प्रामाणिकता और उपयोगिता के संबन्ध में किसी विवाद की गुंजाइश न हो।

6. सभी पत्रिकाओं की साज-सज्जा सुन्दर होनी चाहिए तथा उनके आवरण पृष्ठ और अन्य पृष्ठों के लिए अच्छे कागज का प्रयोग किया जाना चाहिए।

7. हिन्दी पत्रिकाओं के लिए स्टाफ की वैसी व्यवस्था नहीं है, जैसी कि उन्हीं के समकक्ष अंग्रेजी पत्रिकाओं के लिए है। चूंकि स्टाफ के अभाव में किसी पत्रिका का स्तर ऊँचा नहीं किया जा सकता, इसलिए इस पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है।

8. विभागीय पत्रिकाओं के अंग्रेजी संस्करणों की भांति हिन्दी संस्करणों के लिए भी प्रधान संपादक, उप संपादक, सहायक संपादक, आर्टिस्ट तथा सहायक स्टाफ आदि की यथोचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्र-पत्रिकाओं के बारे में समय-समय पर विशिष्ट व्यक्तियों की तरफ से इस प्रकार के सुझाव प्राप्त होते रहे हैं कि इन्हें और अधिक उपयोगी तथा प्रभावशाली बनाया जाए। उनके सुझावों पर विचार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित प्रायः सभी प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों की एक बैठक राजभाषा विभाग के सचिव श्री रमाप्रसन्न नायक की अध्यक्षता में 5 नवम्बर, 1977 को बुलाई गई थी जिसमें लगभग 25 संपादकों तथा हिन्दी के कार्य से संबन्धित 25 अन्य अधिकारियों ने भाग लिया था। इसमें पिछली बैठकों में लिए निर्णयों पर पुनः व्यापक रूप से विचार किया गया और उनकी पुष्टि की गई। साथ ही संपादकों के सामने आने वाली कठिनाइयों के संबन्ध में विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में प्रायः सभी संपादकों ने यह विचार प्रकट किया कि यद्यपि हिन्दी भारत संघ की राजभाषा है किन्तु हिन्दी में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं के संपादकों का वेतनमान अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं की तुलना में कम होता है जबकि अंग्रेजी में भारत सरकार की केवल सहराजभाषा है। कुछ ने इस बात का भी उल्लेख किया कि कहीं कहीं हिन्दी संपादक ही अपनी पत्रिका का सभी कार्य करते हैं किन्तु उनकी पत्रिकाओं पर मुख्य संपादक या प्रधान संपादक के रूप में अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकों का नाम दिया जाता है, जिससे हिन्दी संपादकों की प्रतिष्ठा कम हो जाती है और उन्हें अपने परिश्रम का पूरा श्रेय भी प्राप्त नहीं होता। बैठक में इस बात पर मतैक्य था कि हिन्दी की पत्रिकाओं पर उन्हीं के नाम छापे जाएं जो हिन्दी पत्रिकाओं के संपादन का कार्य करते हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि जहां एक ही पत्रिका अंग्रेजी, हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं में छपती है वहां अंग्रेजी पत्रिका के संपादक का वेतनमान हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं की तुलना में अधिक होता है, जो उचित नहीं है। हिन्दी में सम्पादन का कार्य करने के कारण किसी संपादक को कम वेतन नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि संघ की राजभाषा का सम्पादक होने के नाते यदि उसे अधिक वेतन दिया जाए तो अनुचित नहीं होगा। इससे राजभाषा हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं का संपादक होने में लोग गौरव का अनुभव करेंगे।

इस बैठक में जो अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं:—

(1) अनुनासिक के लिए जहाँ अनुस्वार लगाने से किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट न होता हो, वहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाए जैसे हँस और हंस का, अर्थभेद स्पष्ट करने के लिए क्रमशः चन्द्रबिन्दु और अनुस्वार का प्रयोग आवश्यक है। पूर्णविराम के लिए विन्दु लिखने के बजाय खड़ी पाई का प्रयोग चलता रहना चाहिए। वर्तनी के संबन्ध में गया-गई, नया-नई इत्यादि में बादवाले स्वरात्मक रूपों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, गयी, नयी इत्यादि का नहीं। बैठक में यह भी निश्चय किया गया कि वर्तनी के संबन्ध में शिक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रकाशित "देवनागरी का विकास : परिवर्धन और मानकीकरण" नामक पुस्तिका का व्यापक रूप से प्रचार किया जाए ताकि सभी पत्रिकाओं में मानक लिपि का समान रूप से पालन किया जा सके और वर्णों के रूपों में अनेकरूपता न दिखाई पड़े।

(2) दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय यह था कि सभी पत्रिकाओं की साज-सज्जा सुन्दर और आकर्षक होनी चाहिए, उनमें अच्छे कागज का प्रयोग किया जाना चाहिए और उनके निबन्धों, लेखों इत्यादि की विषय-वस्तु न केवल विषय के अनुकूल और उपयोगी होनी चाहिए बल्कि उसका स्तर भी काफी ऊँचा होना चाहिए।

इस प्रकार राजभाषा विभाग हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं का कायाकल्प करने, उन्हें उपयोगी बनाने तथा उनका स्तर सुधारने के लिए प्रयत्नशील है। यही नहीं उसका प्रयास है कि हिन्दी पत्रिकाओं के संपादकों को अंग्रेजी संपादकों के समकक्ष या उनसे उच्च स्तर का वेतनमान और सुविधाएँ प्राप्त हों। उन्हें इतना स्टाफ दिया जाए जिससे इन पत्रिकाओं के

संपादन में कोई कठिनाई न हो और इनका स्तर सुधारने में सहायता मिले। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं के लिए समुचित स्टाफ, वेतनमान तथा अन्य सुविधाएं दिलाने के बारे में 12 और 13 दिसम्बर, 1977 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक में भी विचार किया गया था। राजभाषा की समस्याएं सुलझाने वाली यह सर्वोच्च समिति है। प्रधानमंत्रीजी के अतिरिक्त 10 केन्द्रीय मंत्री, 3 राज्यों के मुख्य मंत्री, 7 संसद सदस्य और 4 विशिष्ट विद्वान इनके सदस्य हैं। समिति के कुछ सदस्यों का विचार था कि हिन्दी पत्रिकाओं के संपादकों को आज भी अंग्रेजी की तुलना में हीन समझा जाता है और उन्हें निम्नतर वेतनमान तथा न्यूनतम सुविधाएं दी जाती हैं। यह स्थिति राजभाषा हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के गौरव के अनुकूल नहीं है। अत: समिति ने यह निर्णय किया है कि :—

"विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के जो अधिकारी तथा कर्मचारी काम करते हैं, उनके तथा समान प्रकार का अंग्रेजी में काम करने वाले व्यक्तियों के वेतनमान, पदनाम तथा अन्य सेवा शर्तों में कोई भेद भाव नहीं होना चाहिए और इस बारे में एकरूपता लाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।

इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए राजभाषा विभाग ने सभी मंत्रालयों तथा विभागों को सूचित किया है कि वे अपने अपने यहां से प्रकाशित की जाने वाली हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के पत्रिकाओं के संपादकीय स्टाफ की स्थिति की पूरी जांच करें और ऐसी व्यवस्था करें जिससे अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय स्टाफ की तुलना में उनके साथ कोई भेदभाव न हो जाए। वास्तव में अच्छी सुविधाएं सुलभ होने पर ही अच्छा कार्य होगा, इससे पत्रिकाओं के स्तर में सुधार होगा और उनकी उपयोगिता बढ़ेगी। आशा है सभी मंत्रालय और विभाग अपनी-अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और अपने यहाँ से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं की स्थिति सुधारने के लिये पूरा प्रयास करेंगे।

□ □ □

[पृष्ट 36 का शेष]

श्री योगेन्द्र शर्मा को और तीसरी उपसमिति के संयोजक का काम श्री ओम मेहता को सौंपा गया। इसके बाद तीनों उपसमितियों ने फिर से देश में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का निरीक्षण शुरू कर दिया और इस प्रकार पुनर्गठन के बाद फरवरी, 1978 तक लगभग 350 कार्यालयों का निरीक्षण हो चुका है। निरीक्षण की यह प्रक्रिया अभी कुछ और समय चलने की संभावना है क्योंकि अभी कई राज्य ही अछूते पड़े हैं और निरीक्षित कार्यालयों की संख्या केन्द्रीय सरकार के कुल कार्यालयों की संख्या की तुलना में बहुत कम है।

भावी कार्यक्रम :

निरीक्षण के कार्यक्रम के खत्म होने पर समिति गवाही का काम अपने हाथ में लेना चाहेगी जिसमें जनता के विभिन्न वर्गों से भाषा और केन्द्रीय सरकार के कार्यकलापों से संबंध रखने वालों के विचार जानना चाहेगी ताकि सभी क्षेत्रों, सभी व्यवसायों, सभी वर्गों के लोगों के विचार मालूम हो सकें। केन्द्रीय सरकार जिस भाषा का प्रयोग करेगी उसका असर राज्य सरकारों पर होगा, केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों पर होगा और इस तरह सारी जनता पर होगा। इसलिए बेहतर होगा कि इन सब के विचार जानकर ही समिति अपनी रिपोर्ट बनाये और सिफारिशें करे। संसद के सभी सदस्यों और सभी विधान सभाओं के सदस्यों को प्रश्नावलियाँ भेजी गई हैं, ताकि उनके विचारों से भी समिति अवगत हो सके। इनके अलावा राज्य सरकारों के विचारों को जानने के लिए भी प्रश्नावलियां भेजी गई और संघ लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राजभाषा आयोग, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय आदि कोई पूरक प्रश्नावलियाँ भी भेजी गई जिनका शिक्षण, भर्ती अथवा अन्य किसी रूप में भाषा से सीधा संबंध है। इसके बाद राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा करने का विचार है और इन सब विचारों को ध्यान में रखकर समिति की रिपोर्ट तैयार होगी। समिति को जो काम सौंपा गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए समिति की जिम्मेदारी काफी बड़ी है और उसको निभाने में काफी परिश्रम करना होगा। ○○

[पृष्ठ 37 का शेष]

प्रतिनिधियों ने भी, इस बात पर जोर दिया था कि भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार की अध्यक्षता में शब्दावली समन्वय के लिए एक समिति बनाई जाए। यह समिति तभी बना दी गई थी जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों और दिल्ली प्रशासन के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विधि मंत्रालय (राजभाषा खंड) तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रतिनिधि हैं।

इस समिति ने आरंभ में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले पदनामों की विसंगतियों को इकट्ठा करके उनका समाधान किया। उसके बाद कृषि मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय), कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग आदि द्वारा भेजी गई ऐसी शब्द-सूचियों पर भी विचार किया जिनमें विसंगतियाँ थीं।

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अपना संपूर्ण कार्य हिन्दी के माध्यम से करना शुरू कर दिया है ताकि यह सिद्ध हो सके कि कार्यालय का कोई भी काम हिन्दी के माध्यम से करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। □

हिन्दी कहाँ और कितनी ?

○

*रेलों के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। एक विवरण से पता चलता है कि आजकल पूर्वोत्तर रेलवे में 90 प्रतिशत, मध्य रेलवे में 72 प्रतिशत, पश्चिम रेलवे में 65 प्रतिशत और उत्तर रेलवे में 71 प्रतिशत काम हिन्दी में हो रहा है।

* * *

****भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में** 1976-77 के दौरान 75,989 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए जिनमें से 35,964 पत्रों के उत्तर हिन्दी में भेजे गए। इनके अलावा हिन्दी भाषी राज्य सरकारों को 2,08,740 मूल पत्र हिन्दी में भेजे गए। इसी तरह इस अवधि में जनता से 3,63,617 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए और उनमें से 70,144 पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए।

* * *

स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को आदेश दिया गया है कि रोगियों की पर्ची, उनके नाम, उनके विवरण आदि को हिन्दी में लिखना प्रारंभ किया जाए।

* * *

डाक विभाग के शिमला कार्यालय में हिन्दी में काम करने को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से स्थानीय रूप से सभी अंग्रेजी फर्मों का हिन्दी अनुवाद कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप शिमला में 80 प्रतिशत कार्य हिन्दी में होने लगा है।

* * *

उत्तर रेलवे इंजन कर्मशाला, अमृतसर के कार्यालय में काफी काम हिन्दी में हो रहा है। हिन्दी में किए गए कार्य का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां कार्मिक, भण्डार, उत्पादन, विद्युत आदि विभागों में 20 से 40 प्रतिशत टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखी जा रही हैं। साथ ही बहुत बड़ी संख्या में पत्र भी हिन्दी में लिखे जा रहे हैं। रेल यात्रा संबंधी स्थानीय पास, 90 प्रतिशत और दूसरी रेलों के पास 30 प्रतिशत, हिन्दी में ही बनाए जाते हैं। बिल अनुभाग में 90 प्रतिशत भुगतान के आदेश हिन्दी में ही किए जा रहे हैं।

* * *

*मध्य प्रदेश महालेखाकार के कार्यालय से 16,232 पत्र हिन्दी में भेजे गए और 476 सामान्य आदेश केवल हिन्दी में अथवा द्विभाषिक रूप में जारी किए गए।

सेंट्रल एक्ससाइज के नई दिल्ली के कार्यालय से 1,99,915 मूलपत्र हिन्दी में भेजे गए। साथ ही 220 सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप में और 84 सामान्य आदेश हिन्दी में जारी किए गए।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के कार्यालय में हिन्दी में प्राप्त 8,767 में से 3,559 पत्रों के उत्तर हिन्दी में भेजे गए। इसके अलावा अपनी ओर से हिन्दी भाषी राज्यों को 4,298 मूल पत्र हिन्दी में भेजे गए।

* * *

क्या आप जानते हैं कि

हिन्दी शिक्षण योजना के प्रारंभ से अब तक 3,65,628 अधिकारी और कर्मचारी हिन्दी की विभिन्न परीक्षाएं पास कर चुके हैं तथा 24,278 कर्मचारी हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।

**प्रशासनिक और तकनीकी शब्दावली निर्माण के क्षेत्र में वृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह के विज्ञान खंड में 1,30,000 शब्द, मानविकी खंड में 80,000 शब्द, आयुर्विज्ञान खंड में लगभग 50,000 शब्द तथा समेकित प्रशासन शब्दावली में 80,000 तकनीकी शब्द दिए गए हैं। और

* * *

***इस समय कृषि के 17,500, रक्षा के 40,000 और इंजीनियरी के 50,000 शब्दों के संग्रह प्रकाशित करने की तैयारी चल रही है।

****(1) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम, (2) इलायची बोर्ड, कोचीन, (3) दी स्पाइसेज एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंशिल, एर्णाकुलम, (4) आयात निर्यात का कार्यालय, पंजिम (गोआ), तथा (5) उप विस्फोटक नियंत्रक, दक्षिणी—उप अंचल हैदराबाद जैसे अहिन्दी भाषी प्रदेशों के कार्यालयों में भी 80 प्रतिशत स्टाफ हिन्दी में प्रवीण है अथवा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर चुका है।

* * *

पर्यटक और नागर विमानन मंत्रालय में हिन्दी की प्रगति

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं:

(1) विमान के एक ओर संबंधित एयरलाइन का नाम जैसे "एयर-इंडिया", "इंडियनएयर लाइन्स" हिन्दी (देवनागरी) में भी लिखा जाए।

(2) दोनों एयरलाइनों की समय-सारणियाँ हिन्दी में भी प्रकाशित की जाएं।

(3) दोनों एयरलाइनों के विमान टिकटों और आरोहण कार्डों के आवरण-पृष्ठों पर भी हिन्दी का प्रयोग किया जाए।

(4) विमान परिचारिकाओं को विशेषकर उनका हिन्दी उच्चारण सुधारने के लिए हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जाए।

(5) पर्यटन, साहित्य, विशेषकर वह साहित्य जो अन्तर्देशीय उपयोग के लिए है, हिन्दी में भी प्रकाशित किया जाए।

(6) भारत पर्यटन विकास निगम के अधीन होटलों पर्यटक लाजों पर लगे साइन बोर्ड हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रदर्शित किए जाएँ।

(7) भारत पर्यटन विकास निगम के कोचों पर एक ओर निगम का नाम हिन्दी में भी लिखा जाए।

(8) एयर-इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स इस ओर विशेष ध्यान दें कि विमान परिचारिकाओं से हिन्दी में प्राप्त आवेदन-पत्रों को अस्वीकार न किया जाए।

(9) सभी विमान क्षेत्रों पर अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के अतिरिक्त हिन्दी में भी घोषणा की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए।

(10) हिन्दी भाषी राज्यों के साथ समस्त पत्र-व्यवहार यथासंभव हिन्दी में ही किया जाए।

(11) सभी मुख्य सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में वर्तमान आवश्यकता के अनुसार हिन्दी टाइपराइटरों की व्यवस्था कर दी गई है। हिन्दी स्टेनोग्राफी एवं हिन्दी टाइपराइटिंग में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी सभी सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों आदि में उपलब्ध हैं।

(12) अनुभागों को अपना अधिकाधिक दैनंदिन कार्य हिन्दी में करने के निमित सहायता हेतु बहुत से मानक प्रारूपों का हिन्दी अनुवाद तैयार किया गया है और उनकी प्रतियां सभी संबंधियों को उपलब्ध करायी जा रही हैं। इसी प्रकार के कदम भारत मौसम विज्ञान विभाग इत्यादि द्वारा भी उठाए गये हैं।

(13) इस मंत्रालय के सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ली जाने वाली भर्ती परीक्षाओं और विभागीय परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी के ऐच्छिक प्रयोग की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

□ □ □

केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के क्षेत्र "क" "ख तथा ग" अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालयों में हिन्दी में काम-काज की स्थित

अप्रत्यक्ष कर प्रभाग अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के देश व्यापी अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालयों में केन्द्र की राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

क्षेत्र "क" तथा "ख" तथा "ग" में हिन्दी अनुभागों की स्थापना

इस समय इन कार्यालयों में कुल 15 हिन्दी अधिकारी, 15 हिन्दी अनुवादक, 14 हिन्दी आशुलिपिक और 30 हिन्दी टाइपिस्ट कार्य कर रहे हैं।

विभाग के सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वियन को सुगठित करने और मौजूदा नियमों को प्रभावशाली ढँग से अमल में लाने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (अप्रत्यक्ष कर प्रभाग) के सम्बद्ध कार्यालय, निरीक्षण निदेशालय को सौंपा गया है। निरीक्षण निदेशक की देखरेख में निदेशालय के हिन्दी अनुभाग द्वारा, हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित तिमाही प्रगति रिपोर्टों के बारे में विस्तृत समीक्षा तथा व्याख्या की जाती है। केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्डों के स्तर पर सदस्य, निदेशालय स्तर पर निदेशक और समाहर्तालय स्तर पर कलक्टरों द्वारा इस ओर स्वयं रुचि लेने के कारण हिन्दी के कामकाज में उल्लेखनीय प्रगति हो सकी है।

डिवीजन कार्यालयों से लेकर अप्रत्यक्ष कर प्रभाग तक (मुख्यालय स्तर पर) राजभाषा कार्यान्वियन समितियां गठित की गयी हैं। विभागाध्यक्षों की अध्यक्षता में आयोजित, मासिक तथा तिमाही बैठकों के दौरान हिन्दी के प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्टों पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श और व्याख्या की जाती है जिससे कि जिन क्षेत्रों में अधिक कारगर उपायों की आवश्यकता हो उस ओर सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। ये समितियां सशक्त "चैक-प्वाइंट के रूप में कार्य कर रही हैं।

हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर :—

राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 के अनुपालन के लिए सभी कार्यालयों को इस के आदेश दिए गए हैं कि वे किसी भी दशा में, अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर जनता, राज्य सरकारों तथा अन्य कार्यालयों से हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दें। परिणाम स्वरूप "क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित अधिकांश कार्यालयों द्वारा हिन्दी पत्रों का शतप्रतिशत उत्तर तो हिन्दी में दिया ही जा रहा है, इलाहाबाद तथा पटना स्थित कार्यालयों द्वारा विभागीय पत्र-व्यवहार में कुछ अंग्रेजी पत्रों का उत्तर भी हिन्दी में दिया गया है। इसके अतिरिक्त फाइलों पर नेमी तौर की टिप्पणियां पर्याप्त मात्रा में हिन्दी में लिखी जा रही हैं।

मूल पत्र व्यवहार :—

राजभाषा नियमावली, 1976 के बन जाने के बाद से मूल रूप से हिन्दी में लिखे जाने वाले पत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षेत्र "क" तथा "ख" में स्थित कार्यालयों में मार्च, 76 में ऐसे पत्रों की संख्या क्रमशः

4,924 तथा 2,376 थी, और 31-12-77 को यह संख्या बढ़कर क्रमशः 51,987 तथा 101,097 हो गयी। अंग्रेजी पत्रों की तुलना में क्षेत्र "क" में स्थित कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग का अधिकतम प्रतिशत 82% और क्षेत्र "ख" के कार्यालयों में 48% रहा।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी कागजात :—

अनुवाद कार्य के लिए उपलब्ध सुविधाओं तथा सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में की गयी प्रगति भी उल्लेखनीय है। 31-12-77 को समाप्त होने वाली तिमाही प्रगति रिपोर्टों के अनुसार द्विभाषीय तथा केवल हिन्दी में जारी दस्तावेजों का सम्मिलित प्रतिशत (58.32%) केवल अंग्रेजी में जारी दस्तावेजों (41.68%) की तुलना में 16 64% अधिक रहा है। जबकि 31-12-76 की रिपोर्टों के अनुसार यह प्रतिशत क्रमशः 40.24% (द्विभाषिक तथा हिन्दी) और 59.7% (केवल अंग्रेजी का) था।

हिन्दी कार्यशालाएँ :—

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों को, विभागीय विशिष्टियों का ध्यान रखते हुए, हिन्दी में टिप्पणी लिखने तथा मसौदा तैयार करने का अभ्यास कराने, और उनके मन में बैठी हुई इस भ्रांति को दूर करने के लिए कि "सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा का विकल्प हो ही नहीं सकता;" क्षेत्र "क" तथा "ख" में स्थित कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाएं चलाई जाती हैं उनमें वर्ष 1976 में 13 तथा वर्ष 1977 में 15 पाठ्यक्रम चलाए गए जिसमें क्रमशः 241 और 216 अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

वर्ष 1976-77 के दौरान हिन्दी टाइपराइटरों की स्थिति सुदृढ़ हुई है और वास्तविक उपयोग के आधार पर प्रत्येक कार्यालय को देवनागरी टाइपराइटर उपलब्ध करवाए गए हैं।

1944 से विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी की लिखित तथा मौखिक परीक्षाएं शुरू की गयीं। उत्पाद शुल्क से संबंधित प्रपत्र स्वतन्त्रतापूर्वक द्विभाषिक रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं।

विभागीय तथा भर्ती परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान तथा गणित के प्रश्न-पत्र के लिए हिन्दी माध्यम का विकल्प दिया गया है।

नार्कोटिक्स विभाग के उप-निरीक्षकों को, विभागीय पदोन्नति की मौखिक परीक्षाओं में, हिन्दी का प्रयोग करने के विकल्प के आदेश 1976 में जारी कर दिए गए हैं। विभागीय केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए चलाए जाने वाले इंडक्शन तथा रिफ्रेशर्स पाठ्यक्रमों में भी प्रशिक्षण के माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग शुरू कर दिया गया है।

संस्थान में सीधी भर्ती से आने वाले प्रोबेशनर अधिकारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए बनाए गए अधिनियमों तथा अद्यतन नियमों की भी जानकारी दी जाती है।

विशिष्ट विभागीय संदर्भ को ध्यान में रखकर तकनीकी शब्दावलियां तैयार की गयी हैं। इसका पहला संस्करण 1975 में तथा दूसरा संस्करण दिसम्बर, 1977 में मुद्रित हुआ है।

"क्षेत्र "क" ख" तथा "ग" में स्थित कार्यालयों के उपयोग के लिए द्विभाषिक और त्रिभाषिक फार्म तैयार कर लिए गए हैं तथा काम में लाए जा रहे हैं।

विभाग में संबंधित प्रचार-प्रसार की सामग्री दोनों भाषाओं में तैयार की जाती है। विभागीय अधिनियमों, नियमावलियों नियम पुस्तकों, तथा अन्य कार्यविधिक साहित्य के अनुवाद का काम जारी है।

हिन्दी टाईपिंग/हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण :—

क्षेत्र "क" तथा "ख" में स्थित कार्यालयों में बड़ी संख्या में कर्मचारी हिन्दी में प्रशिक्षित हो चुके हैं। क्षेत्र "ग" में इस ओर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने और कर्मचारियों को हिन्दी में लिखने को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय भी किए गए :—

1. कुछ अनुभागों को केवल हिन्दी में कार्य करने वाले अनुभाग घोषित किया गया है।
2. "हिन्दी दिवस के दौरान केवल हिन्दी में कार्य"।
3. हिन्दी समारोहों का आयोजन।
4. "हिन्दी पत्रिकाओं" का प्रकाशन" इस समय कुल मिलाकर 5 द्विभाषिक तथा त्रैमासिक पत्रिकायें प्रकाशित हो रही हैं।

□ □

केन्द्रीय सरकार के अधिसूचित कार्यालय

राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) की व्यवस्था के अनुसार उन कार्यालयों के नाम जिनके 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, राजपत्र में अधिसूचित किया जाना है।

यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रालयों और विभागों को अधिसूचित करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई राजभाषा विभाग द्वारा की जाएगी और सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों को अधिसूचित करने की कार्रवाई संबंधित मंत्रालय और विभाग करेंगे।

इस निर्णय के अनुसार राजभाषा विभाग द्वारा अब तक निम्नलिखित मंत्रालयों और विभागों को राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है :--

(1) निर्माण और आवास मंत्रालय, (2) नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता विभाग (3) न्याय विभाग, (4) मंत्रिमंडल सचिवालय, (5) संसदीय कार्य विभाग, (6) पुनर्वास विभाग, (7) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, (8) इस्पात विभाग, (9) राजभाषा विभाग, (10) राजस्व विभाग, (11) सिंचाई विभाग, (12) पूर्ति विभाग, (13) सरकारी उद्यम कार्यालय, (14) खाद्य विभाग,

जहाँ तक सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के नाम अधिसूचित करने का प्रश्न है अब तक रेल मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, और वाणिज्य मंत्रालय ने निम्नलिखित कार्यालयों के नाम अधिसूचित करा दिये हैं।

रेल मंत्रालय

(1) पूर्वोत्तर रेलवे सभी कार्यालयों तथा कारखानों सहित
(2) रेल सेवा आयोग, मुजफ्फरपुर
(3) मंडल अधीक्षक का कार्यालय इलाहाबाद (उत्तर रेलवे),
(4) क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर (उत्तर रेलवे),
(5) मंडल अधीक्षक का कार्यालय, दानापुर, (पूर्व रेलवे),
(6) मंडल अधीक्षक का कार्यालय, अजमेर (पश्चिम रेलवे),
(7) मंडल अधीक्षक का कार्यालय, जयपुर (पश्चिम रेलवे),
(8) मंडल अधीक्षक का कार्यालय, रतलाम (पश्चिम रेलवे),
(9) मंडल अधीक्षक का कार्यालय, कोटा (पश्चिम रेलवे),
(10) मंडल अधीक्षक का कार्यालय, झांसी (मध्य रेलवे),
(11) क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद (पश्चिम रेलवे),
(12) मंडल अधीक्षक का कार्यालय, जबलपुर, (मध्य रेलवे)।

वाणिज्य मंत्रालय

(1) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय, नई दिल्ली।
(2) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि०, नई दिल्ली।
(3) सेंट्रल काटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया लि० नई दिल्ली।
(4) आफिस आफ दी कस्टोडियन फार एनिमी प्रापर्टी आफ इंडिया, बम्बई।
(5) विकास आयुक्त का कार्यालय, सांताक्रुज इलैक्ट्रानिकी निर्यात संसाधन क्षेत्र, बम्बई।
(6) आयात-निर्यात के नियंत्रक का कार्यालय, अमृतसर।
(7) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फार फिनिश्ड लेदर ऐंड लेदर मैन्युफैक्चर्स, कानपुर।
(8) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम।
(9) इलायची बोर्ड, कोचीन।
(10) दी स्पाइसेज एक्सपोर्ट प्रोमोशन कांउसिल एर्णाकुलम्, कोचीन।
(11) आयात-निर्यात का कार्यालय, पंजिम् (गोआ)।
(12) आयात-निर्यात का कार्यालय, राजकोट।

उद्योग मंत्रालय (औदयोगिक विकास विभाग)

(1) सीमेंट नियंत्रक का कार्यालय, नई दिल्ली।
(2) विस्फोटक नियंत्रक, उत्तरी अंचल, आगरा।
(3) लघु उद्योग सेवा संस्थान, बम्बई।
(4) नमक अधीक्षक का कार्यालय, जोधपुर (राजस्थान)।
(5) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मुख्यालय, नागपुर (महाराष्ट्र)।
(6) नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर (राजस्थान)।
(7) उप-विस्फोटक नियंत्रक, केन्द्रीय अंचल, ग्वालियर।
(8) उप-विस्फोटक नियंत्रक, दक्षिणी-उप-अंचल, हैदराबाद।

सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग

भारतीय संविधान के अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा है। लेकिन राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार सरकारी कामकाज में हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी के प्रयोग की भी अनुमति दी गई है। इस तरह राजभाषा के विषय में हम एक द्विभाषिक स्थिति से गुजर रहे हैं जिसमें केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी सरकारी काम में हिन्दी या अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में से किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकता है और उसे अपने नोट, ड्राफ्ट, आदि का दूसरी भाषा में अनुवाद स्वयं नहीं करना पड़ेगा। लेकिन, केन्द्रीय सरकार की बराबर यह नीति रही है कि हिन्दी के प्रयोग के क्षेत्र को धीरे-धीरे बढ़ाया जाये। इसीलिये, संसद् के दोनों सदनों द्वारा 18 जनवरी, 1968 को स्वीकृत भाषा संकल्प में यह व्यवस्था की गई कि केन्द्रीय सरकार सरकारी कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिये वार्षिक कार्यक्रम तैयार करे और इसके कार्यान्वयन की रिपोर्ट संसद् को दे।

2. 1968 से ही बराबर वार्षिक कार्यक्रम बनाये जाते हैं और हिन्दी-भाषी और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, उस कार्यक्रम में मदें रखी जाती रही हैं। इसी कड़ी में, पिछले साल राजभाषा अधिनियम के अधीन नियम जारी किये गये, जिनमें हिन्दी संबंधी कानूनी व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कार्यालय के अध्यक्ष को सौंपी गई है।

3. समय-समय पर जारी किये गये आदेशों द्वारा यह अनुरोध किया जाता रहा है कि केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीति के अनुसार और राजभाषा अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाये और इसके लिये जिन साधनों की जरूरत हो, उन्हें जुटाया जाये। तिमाही प्रगति रिपोर्टें मंगाकर एवं राजभाषा कार्यान्वियन समितियों के माध्यम से इस संबंध में प्रगति की जांच की जाती है और जहां कहीं कमी होती है, उसे दूर करने के बारे में संबंधित मंत्रालयों और विभागों को लिखा भी जाता है।

4. यद्यपि यह देखा गया है कि काफी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग जरूर बढ़ा है—कहीं ज्यादा कहीं कम, परन्तु बहुत से कार्यालय ऐसे भी हैं जहां इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है ऐसे कार्यालयों में राजभाषा नीति और नियमों के अनुपालन में शिथिलता बरती जाती है, जनता से प्राप्त हिन्दी पत्रों का अंग्रेजी में उत्तर दिया जाता है, राजभाषा अधिनियम में उल्लिखित कागज-पत्रों को केवल अंग्रेजी में जारी किया जाता है। और हिन्दी भाषी राज्य सरकारों के साथ पत्राचार भी केवल अंग्रेजी में किया जाता है। ऐसे भी उदाहरण हैं जहां किसी कर्मचारी को हिन्दी में काम करने से हतोत्साह किया गया है। ऐसी स्थिति निश्चय ही चिन्तनीय है और इसे सुधारने के लिये समुचित कदम उठाना जरूरी है।

5. सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में हिन्दी न जानने वाले, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, हिन्दी में प्रशिक्षित करना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपाय है और इसके लिये हिन्दी शिक्षण योजना भी चलाई जा रही है, जिसके केन्द्र देश के कोने-कोने में फैले हुए हैं। पिछले वर्ष यह निश्चय किया गया था कि जो कर्मचारी हिन्दी कक्षाओं के लिये नामित किये जाते हैं, वे कक्षाओं में जायेंगे और बाद में परीक्षाओं में बैठेंगे और यदि वे ऐसा नहीं करते, तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है। नामित व्यक्तियों को कक्षाओं में जाने से रोकने के बारे में अधिकारियों को बहुत ही सीमित अधिकार दिया गया था। लेकिन, हाल ही, में यह देखा गया है कि कुछ कार्यालयों के कर्मचारी नामित होने के बावजूद, नियमित रूप से हिन्दी कक्षाओं में नहीं जाते और जाते भी हैं तो प्रशिक्षण में पूरी दिलचस्पी नहीं लेते या प्रशिक्षण के बाद परीक्षा में नहीं बैठते। इन सबकी वजह से योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में काफी दिक्कत हो जाती है और प्रशिक्षणार्थियों को इकट्ठा करने के लिये शिक्षकों को इधर-उधर देखना पड़ता है। जाहिर है, ऐसी स्थिति में योजना से पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता।

6. सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध है कि वे अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों आदि को आवश्यक निदेश दें जिससे राजभाषा अधिनियम, उसके अन्तर्गत जारी किये गये नियमों और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। सरकारी कामकाज में हिन्दी का उपयोग उत्तरोत्तर बढ़ाना सरकार की सुविचारित नीति है और इसके लिये मंत्रालयों और विभागों को सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिये। कार्यालयों को यह भी निदेश देना चाहिये कि कार्यालयों के अध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि हिन्दी कक्षाओं के लिये नामित कर्मचारी कक्षाओं में जायें और बाद में परीक्षाओं में बैठें। बार बार अनुरोध के बाद जो कर्मचारी कक्षाओं में नहीं जाते, उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने के बारे में पहले ही लिखा जा चुका है। □□

नोटः 31 अगस्त 1977 में जारी किए गए का ज्ञा. सं. 1/14011/13/77 रा. भा. क–1 की नकल।

हिन्दी टाईपिंग/हिन्दी आशुलिपि सीखिए
और
वेतन वृद्धि तथा नकद पुरस्कार पाइए

सुविधाएं :

1 पढ़ाई और परीक्षा की कोई फ़ीस नहीं ली जाती ।

2 पाठ्य पुस्तकें मुफ्त दी जाती हैं ।

3 कक्षाएं दफ्तर के समय में लगाई जाती हैं।

4 कक्षाओं में आने-जाने के मार्ग-व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है ।

5 परीक्षाओं में बैठने के लिए नियमानुसार यात्रा-भत्ता/वास्तविक खर्च दिया जाता है ।

6 परीक्षाओं के लिए विशेष छुट्टी दी जाती है ।

7 परीक्षाओं में प्राइवेट रूप में बैठने की भी छूट है।

8 मान्यताप्राप्त टाईपिंग/आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्रों पर दफ्तर के समय प्रशिक्षण के लिए जाने की इजाज़त दी जाती है और फ़ीस देने के लिए अग्रिम (ऐडवांस) भी दिया जाता है ।

9 निर्धारित परीक्षा पास करने पर सेवापंजी में इन्दराज किया जाता है।

10 नक़द और एकमुश्त पुरस्कारों की राशि पर आयकर नहीं लगता ।

प्रोत्साहन :

(क) वैयक्तिक वेतन (12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर) :

1-अराजपत्रित कर्मचारियों को हिन्दी टाईपिंग/हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर ।

2-राजपत्रित आशुलिपिकों को भी हिन्दी आशुलिपि परीक्षा 90% या उससे अधिक अंक लेकर पास करने पर ।

विशेष : जिन आशुलिपिकों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उन्हें हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर पहले 12 महीनों के लिए दो वेतन वृद्धि और अगले 12 महीनों के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है ।

(ख) नक़द पुरस्कार (विशेष योग्यता के साथ परीक्षा पास करने पर) :

3- राशि	हिन्दी टाईपिंग	हिन्दी आशुलिपि	
300 रु०	97%	95%	या अधिक अंकों पर
200 रु०	95%	92%	--वही--
100 रु०	90%	88%	--वही--

(ग) एक मुश्त पुरस्कार (निजी प्रयत्नों से परीक्षा पास करने पर) :

4-उन कर्मचारियों को, जो ऐसे स्थानों पर नियुक्त हैं, जहाँ हिन्दी टाईपिंग/हिन्दी आशुलिपि सिखाने के केन्द्र नहीं खोले गये हैं :—

हिन्दी आशुलिपि	हिन्दी टाइपिंग
300 रु०	150 रु०

(पृष्ठ 16 का शेष)

प्रजातन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता हमारे संविधान के आधार स्तम्भ हैं। प्रजातन्त्र तक तब सार्थक नहीं हो सकता है जब तक हमारे देश का राजतन्त्र हमारे देश की भाषाओं से ही संचालित नहीं होता। दूसरी ओर इतनी अधिक भाषाओं की उलझन के कारण कोई गलत मार्ग अपना कर हम राष्ट्रीय एकता को भी नष्ट-भ्रष्ट नहीं होने दे सकते। हमें राष्ट्रीय एकता भी चाहिए और प्रजातन्त्र भी। कुछ लोगों को लग सकता है कि इतनी अधिक भाषाओं को प्रोत्साहन दे कर हम विभाजीय प्रवृत्तियों को उकसा रहे हैं लेकिन जैसा मैंने स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है अपने देश में हमने इस सिलसिले में ऐसी नीति अपनाई है कि कोई भी प्रदेश या भाषा ऐसा नहीं महसूस कर सकती कि उसे नजरअन्दाज किया गया है। हमारे देश की सारी भाषाएँ एक-दूसरे की बहिनें हैं और हिन्दी उन सब को साथ लेकर आगे बढ़ रही है ताकि वे सब अपने-अपने क्षेत्र में अपना समुचित स्थान प्राप्त कर सकें।

इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश की महान प्रादेशिक भाषाओं को अपने-अपने देश में, महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, लेकिन अखिल भारतीय सम्पर्क के लिये हमें एक सामान्य भाषा अपना कर उसका प्रचार-प्रसार करना होगा ताकि हम उसके माध्यम से अनेकता में एकता कायम कर सकें।

[भारत सरकार के वर्तमान हिन्दी सलाहकार के एक लेख से साभार]

(पृष्ठ 27 का शेष)

सम्मेलन के अवसर पर विज्ञान भवन में "राजभाषाओं के बढ़ते चरण" प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इस प्रदर्शनी में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी के बढ़ते प्रयोग और विभिन्न राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में सरकारी कामकाज में उनकी राजभाषाओं के प्रयोग की स्थिति प्रदर्शित की गई थी। साथ ही विभिन्न भारतीय भाषाओं के टाइपराइटर, देवनागरी लिपि की पता लेखी मशीनें, देवनागरी-रोमन लिपि के टेलीप्रिंटर, देवनागरी-तेलुगु लिपि का कम्प्यूटर और भारतीय भाषाओं की कम्पोजिंग करने वाली मशीनों के संबंध का विवरण भी प्रदर्शनी में रखा गया। इस प्रदर्शनी को कई मंत्रियों, संसद सदस्यों, राज्यों और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों ने भी देखा। □ □ □

[पृष्ठ 30 का शेष]

16 फरवरी, 1978 को वर्तमान केन्द्रीय हिन्दी समिति का फिर से गठन किया गया है। 27 फरवरी, 1978 को इसकी पहली बैठक प्रारम्भ हुई किन्तु प्रधान मंत्री जी की व्यस्तता के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। अब यह बैठक 13 अप्रैल, 1978 को होने जा रही है। इसमें कुछ और मंत्रियों को भी नामित किया गया है। वर्तमान समिति की सदस्य संख्या इस प्रकार है :—

अध्यक्ष

श्री मोरारजी देसाई, प्रधान मंत्री, भारत सरकार

सदस्य गण

(1) गृह मंत्री (2) रक्षा मंत्री (3) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (4) सूचना और प्रसारण मंत्री (5) रेल मंत्री (6) शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (7) वित्त, राजस्व और बैंकिंग मंत्री (8) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (9) विदेश मंत्री (10) मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र (11) मुख्य मंत्री, आन्ध्र प्रदेश (12) मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश (13) गृह राज्य मंत्री (14) श्री पी० वी० नरसिंह राव, संसद सदस्य (15) श्री रबी राय, संसद सदस्य (16) श्री रामलाल पारिख, संसद सदस्य (17) डा० सरोजिनी महिषी, संसद सदस्य (18) श्री नवाब सिंह चौहान, संसद सदस्य (19) श्री योगेन्द्र शर्मा, संसद सदस्य (20) श्री ओम मेहता, संसद सदस्य (21) श्री सुधाकर पाण्डेय (22) डा० मालिक मोहम्मद (23) श्री गंगाशरण सिंह

सदस्य सचिव

श्री रमाप्रसन्न नायक, सचिव राजभाषा विभाग, एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार

□ □ □

विचार-कण

(1) जब तक इस देश का राजकाज अपनी भाषा में नहीं चलेगा, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि देश में स्वराज्य है।

—मोरारजी देसाई

(2) हिन्दी के द्वारा ही सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।

—स्वामी दयानन्द

(3) हिन्दी देश के सबसे बड़े हिस्से में बोली जाती है। हमें इस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

(4) हिन्दी एक जानदार भाषा है। वह जितनी बढ़ेगी, देश को उतना ही लाभ होगा।

—जवाहर लाल नेहरू

(5) हिन्दी पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्त्तव्य है। उसे हम सबको अपनाना है।

—लाल बहादुर शास्त्री

(6) हिन्दी अब सारे भारत की राष्ट्रभाषा बन गई है। हमें उस पर गर्व होना चाहिए।

—सरदार वल्लभ भाई पटेल

(7) देश के सबसे बड़े भू-भाग में बोली जाने वाली हिन्दी ही राष्ट्रभाषा पद की अधिकारिणी है।

—सुभाष चन्द्र बोस

(8) सब को हिन्दी सीखनी चाहिए—इसके द्वारा भाव विनिमय से सारे भारत को सुविधा होगी।

—चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

(9) हिन्दी की होड़ किसी प्रान्तीय भाषा से नहीं, केवल अंग्रेजी के साथ है।

—डा० राजेन्द्र प्रसाद

(10) हिन्दी देश की एकता की कड़ी है।

—डा० ज़ाकिर हुसैन

(11) मेरे देश में हिन्दी की इज्ज़त न हो, यह मैं नहीं सह सकता।

—विनोबा भावे

सरकारी कामकाज

सरल और सुबोध हिन्दी में करें,

अटपटी और बोझिल भाषा से बचें,

दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों से न कतराएँ।

हिन्दी में लिखना शुरू तो करें,

धीरे-धीरे आपकी कठिनाइयाँ

अपने आप दूर हो जाएँगी।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिये श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी (उप संपादक) द्वारा 23-24 बाबा खड़कसिंह मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।